Tuesday, 03 December, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1968/12 अग्रहायण, 1890 (शक)
No. 17, Tuesday, December 3, 1968/Agrahayana 12, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
481. विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा ट्रैक्टरों का उपहार	Gift of Tractors by Indians Living Abroad	.. 1047—1052
482. उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting of Industries in U. P.	.. 1052—1055
483. केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects	.. 1055—1061
अ० सू० प्र० संख्या **S. N. Q. No.**		
7. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तोड़-फोड़	Subversion in Durgapur Steel Plant	.. 1062—1067
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
484. खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा सुरक्षित रखने के लिये सुविधायें	Facilities for Food Processing and Preservation	.. 1068
485. बल्गेरिया और रूमानियां द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors by Bulgaria and Rumania	.. 1068—1069
486. पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये और वापस लौटाये गये भारतीय माल का बम्बई पत्तन पर पड़ा रहना	Indian Goods Seized and Released by Pakistan Lying at Bombay Port	.. 1069—1070

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

487. इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in Steel Plants ..	1070
488. संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee ..	1070—1071
489. मैसर्स किलिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	M/s. Killick Industries Ltd., Bombay ..	1071—1072
490. इस्पात मिलें चलाने के लिये रद्दी लोहे (स्क्रैप) का प्रयोग	Use of Iron Scrap for Running Steel Mills ..	1072—1073
491. शराब का उत्पादन	Production of Liquor ..	1073
492. मैंगनीज पर से निर्यात शुल्क हटाना	Abolition of Export Duty on Manganese ..	1073
493. रूस के सहयोग से कानपुर में जूतों का कारखाना	Shoe Factory at Kanpur in Collaboration with U.S.S.R. ..	1074
494. पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	1074
495. देवनागरी लिपि में स्टेशनों के नाम लिखना	Devanagri Lettering Indicating Names of Stations ..	1075
496. औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	1075
497. बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन, लिमिटेड	Bombay Oxygen Corporation Limited ..	1076
498. हंगरी से व्यापार	Trade with Hungary ..	1076
499. पालघाट के निकट सूक्ष्म औजार कारखाना	Precision Instruments Factory near Palghat	1077
500. रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late Running of Trains ..	1077—1078
501. रेलवे लाइन बिछाना	Laying of Railway Lines ..	1078
502. कच्चे पटसन का आयात	Import of Raw Jute ..	1078—1079
503. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited ..	1079—1080
504. भारतीय माल का पुनः निर्यात	Re-Export of Indian Goods	1081
505. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अग्निकांड	Fire in Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	1081
506. राज्य व्यापार निगम के लाभ	Profits Earned by State Trading Corporation ..	1081—1082

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
507. रेलवे में डीजल से रेलगाड़ियां चलाने का कार्यक्रम	Programme of Dieselisation in Railways..	1082
508. गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains ..	1082—1083
509. औद्योगिक नीति संकल्प	Industrial Policy Resolution	1083
510. राजनैतिक दलों को चन्दा	Contribution to Political Parties ..	1084
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2980. केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं	Rural Industrial Projects in Kerala ..	1084
2981. काजू की गिरियों का निर्यात	Export of Cashew Kernels ..	1084—1085
2982. कपास की समर्थन कीमतें	Support Price for Cotton ..	1085—1086
2983. जम्मू के लिये रेलवे लाइन	Rail Link to Jammu	1086
2984. हैवी प्लेट तथा वैसल्स प्रोजैक्ट	Heavy Plate and Vessels Project ..	1086—1087
2985. नेपाल के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडल	Trade Delegation to Nepal ..	1087—1088
2986. महाराष्ट्र में सोने के खनिज भंडार	Gold Deposits in Maharashtra ..	1088
2987. यवतमाल अचलपुर छोटी रेलवे लाइन का सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Yeotmal-Achalpur narrow gauge Railway line ..	1088—1089
2988. यवतमाल अचलपुर छोटी लाइन पर स्टेशनों में प्लेटफार्मों पर शेड	Sheds over Platforms on Stations on Yeotmal Achalpur N.G. Line ..	1089
2989. चाय निर्यात	Export of Tea ..	1090
2990. निर्यात तथा आयात सलाहकार समितियां/परिषदें	Export and Import Advisory Committees/ Councils ..	1090
2991. हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Himachal Pradesh ..	1090—1091
2992. रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे के माल की चोरी	Theft of Railway Goods by Railway Employees ..	1091—1092

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2993.	रेलवे स्टेशनों पर चाय की बिक्री — Sale of Tea at Railway Stations	1092
2994.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक योजनाएं — Central Industrial Schemes in Madhya Pradesh ..	1092—1093
2995.	कच्चे पटसन के माल की कीमतें — Prices of Raw Jute Goods	1093
2996.	इस्पात की रेलों का निर्यात — Export of Steel Rails ..	1094
2997.	धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार — Extension of Railway Line from Dharamanagar to Agartala	1094
2998.	त्रिपुरा में पटसन मिल — Jnte Mill in Tripura ..	1095
2999.	विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण तथा खोज कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी — Staff Employed in the Office of Air-Borne Mineral Surveys and Exploration ..	1095—1096
3000.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में पड़ा माल — Stocks of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	1096
3001.	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी — Payment of D.A. to Khadi Gramodyog Bhawan Employees ..	1096
3002.	रेलों से प्राप्त होने वाला राजस्व — Revenue received from Railways ..	1096—1097
3003.	फिल्मों का निर्यात — Exports of Films ..	1097
3004.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कच्चे मैंगानीज का निर्यात — Export of Manganese Ore by M.M.T.C..	1097—1098
3005.	भाप से चलने वाले इंजन — Steam Locomotives	1098
3006.	छोटे पैमाने के मशीनों के औजार बनाने के कारखाने — Small Scale Machine Tool's Units ..	1098—1099
3007.	साराभाई केमिकल्स लिमिटेड — M/s. Sarabhai Chemicals Ltd.	1099
3008.	रेलवे मंत्रालय के प्रपत्र और नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद — Translation into Hindi of Forms and Manuals Pertaining to Railway Ministry ..	1099—1100
3009.	रेलवे माल की चोरी — Theft of Railway Goods ..	1100—1101

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3010. रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिये समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Employees of Railway Board	1101
3011. लघु उद्योग बोर्ड	Small Scale Industries Board ..	1101—1102
3012. इंजीनियरिंग इंसपेक्टरों की मांगें	Demands of Engineering Inspectors	1102
3013. रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons	1103
3014. चौथी योजना में इस्पात का उत्पादन	Steel Production During the Fourth Plan..	1103
3015. राजस्थान में जस्ता उत्पादन में कमी	Decline in Production of Zinc in Rajasthan	1104
3016. हानि में चलने वाले उद्योग	Industries Running at Loss ..	1104
3017. औद्योगिक समूहों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Industrial Groups of Industries ..	1105
3018. बिड़ला सार्थों द्वारा रुई की गांठों के अवैध सौदे	Illegal Transaction of Cotton Bales ..	1105
3019. भेड़ों की खालों का निर्यात	Export of Sheep Skin ..	1105—1106
3020. विदेशी सहयोग से खाद्य पदार्थ इत्यादि तैयार करना	Manufacture of Foodstuffs etc. with Foreign Collaboration ..	1106
3021. होडल रेलवे स्टेशन पर मेल रेलगाड़ियां का रुकना	Mail Trains' Halts at Hodal Railway Station ..	1106—1107
3022. गिट्टयों की सप्लाई का ठेका	Contracts for Supply Ballast	1107
3023. माल परिवहन से रेलवे की आय	Railways' Earnings from Goods Transport ..	1107—1108
3024. रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on Railways	1108
3025. चिरिमिरी रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge on Chirimiri Railway Station ..	1108—1109
3026. पीने के पानी की गाड़ी को बाड़मेर भेजा जाना	Despatch of Trains Carrying Drinking Water to Barmer ..	1109
3027. बिड़ला फर्म समूह के कार्यों के बारे में जांच	Inquiry into Affairs of Birla Group of Firms	1109
3028. हथकरघा उत्पादों का निर्यात	Export of Handloom Products ..	1109—1110

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3029. औद्योगिक लाइसेंस नीति	Industrial Licensing policy	1110—1111
3030. रूरकेला उर्वरक कारखाने में नैफ्था रिफार्मिंग एकक	Naphtha Reforming Unit of Rourkela Fertilizer Plant	1111
3031. दिल्ली में सिटी बुकिंग एजेंसी	City Booking Agency in Delhi	1112
3032. आउट एजेंसियों को पुन: खोला जाना	Re-opening of Out-agencies	1112—1113
3033. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans Given by National Industrial Development Corporation	1113—1114
3034. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हानि	Loss Incurred by N.C.D.C.	1114
3035. चश्मे बनाने के काम आने वाले उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Optical Instruments	1115
3036. दिल्ली शाहदरा के निकट लोनी में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory at Loni near Delhi-Shahdara	1116
3037. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1116—1117
3038. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation	1117
3039. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited	1117—1118
3040. बोकारो स्टील लिमिटेड	Bokaro Steel Limited	1118—1119
3041. बोकारो स्टील लिमिटेड	Bokaro Steel Limited	1119—1120
3042. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	Bharat Aluminium Co. Ltd.	1120—1121
3043. राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	State Khadi and Village Industries Boards	1121—1122
3044. कोटा डिवीजन में डिवीजनल प्रयोक्ता समिति	Divisional Users' Committee in Kota Division	1122
3045. मशीन टूल्स का उत्पादन	Production of Machine Tools	1122—1123
3046. विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations	1123—1124
3047. विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ियों में गुण्डागर्दी	Holiganism by Students on Trains	1124

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3048. लघु उद्योग	Small Scale Industries	1124—1125
3049. असलपुर जाबनेर रेलवे स्टेशन को जलाया जाना	Burning of Asalpur-Jobner Railway Station	1125
3050. भोपाल तथा हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने	Electricals Factories in Bhopal and Hardwar	1125—1126
3051. केरल और मद्रास में औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations in Kerala and Madras	1126—1127
3052. ऊन का आयात	Import of Wool	1127
3053. सिंगापुर में बिलेट स्टील प्लांट की स्थापना	Setting up of Billet Steel Plant at Singapore	1127
3054. बाढ़ के कारण बरौनी और कटिहार में फंसे यात्रियों की कठिनाइयां	Difficulties faced by Passengers Stranded at Barauni and Katihar due to Floods	1127—1128
3055. कृषि वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings from Exports of Agricultural Commodities	1128
3056. राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलान के स्वदेशी धागे का वितरण	Distribution of Indigenous Nylon Yarn through S. T. C.	1129
3057. चिली के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Chile	1129—1130
3058. भारतीय मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Indian Machine Tools	1130
3059. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	1130—1131
3060. विशेष रेलवे सुरक्षा यंत्र का कार्यकरण	Working of the Special Railway Safety Device	1131—1132
3061. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा	India's Share in World Trade	1132
3062. औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण	Review of Industrial Policy	1132
3063. पंजाब में राज्य सरकारी उपक्रम	State Public Undertakings in Punjab	1133
3064. रूस को रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to U. S. S. R.	1133—1134

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3065. मैसर्स ग्रैफाईट इण्डिया लिमिटेड	M/s. Graphite India Limited	1134
3066. कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Revision of Coal Prices ..	1134—1135
3067. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors ..	1135—1136
3068. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation :	1136
3069. कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले का उत्पादन	Production of Coking and Non-coking coal ..	1136
3070. चौथी योजना के दौरान कोयले की आवश्यकता	Requirement of Coal during the Fourth Five Year Plan ..	1137
3071. हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	1137
3072. कोचीन पत्तन के साथ भीतरी भागों को मिलाने के लिये रेलवे लाइन	Railway Lines to Connect Hinterland with Cochin Port ..	1138
3073. बन्द पड़ी कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills ..	1138—1139
3074. हीरों तथा कीमती पत्थरों आदि का विक्रय	Sale of Diamonds, Precious Stones etc. ..	1139—1140
3075. डायमण्ड हार्बर तथा सदर सब डिवीजन, पश्चिम बंगाल में उद्योग	Industries in the Diamond Harbour and Sadar Sub-Divisions, West Bengal ..	1140
3076. मजेरहाट से डायमन्ड हार्बर तथा फाल्टा स्टेशन के लिये शटल गाड़ी सेवा	Shuttle train service from Majerhat to Diamond Harbour and Falta Station ..	1140—1141
3077. निर्यात तथा आयात	Exports and Imports ..	1141—1142
3078. लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	1142
3079. रायलासीमा मिल्स लिमिटेड अदौनी	Rayalaseema Mills Ltd. Adoni ..	1142—1143
3080. औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates ..	1144
3081. सिलवर आक्साईड जिंक बैटरियों का आयात	Import of Silver Oxide Zinc Batteries ..	1144
3082. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड	All India Handloom Board ..	1144—1145

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3084. चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति	Barooah Committee on Tea Industry ..	1145
3085. दिल्ली प्रशासन में औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारियों के पदों का निर्माण	Creation of Posts of Industrial Survey Officers in Delhi Administration ..	1145—1146
3086. दुर्गापुर में कीमती इस्पात पिंड	Precious Steel Ingots at Durgapur ..	1146
3087. कोयले पर उपक्रमों की दर	Quantum of Cesses on Coal ..	1146—1147
3088. इस्पात पुनर्बेलन उद्योग	Steel Re-rolling Industry ..	1147—1148
3089. कपड़ा उद्योग	Textile Industry ..	1148
3091. पन्ना खानों द्वारा विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earned by Panna Mines ..	1148
3092. बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धक निदेशक द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by Managing Director, Bokaro Steel Plant ..	1148—1149
3093. कम्बोडिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Cambodia ..	1149
3094. गुंटूर हुबली यात्री गाड़ी का कोप्पल स्टेशन पर देरी से पहुंचना	Late Arrival of Guntur-Hubli Passenger train at Koppal Station ..	1149—1150
3095. कालामेसरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना	H. M. T. Unit at Kalamassery ..	1150
3096. छोटे पैमाने के कारखाने	Small Scale Units ..	1151
3097. मनीपुर में सहकारी बुनकर समितियां	Cooperative Weavers' Societies in Manipur ..	1151
3098. रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड एक और ग्रेड दो के क्लर्कों द्वारा किया जाने वाला कार्य	Work done by Clerks Grade I and II in Railway Accounts Department ..	1152
3099. पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में पदोन्नति	Promotion in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi ..	1152
3100. भारतीय रेलों के लेखा विभाग में पदोन्नतियां	Promotion in Accounts Department of Indian Railway ..	1153

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3101.	आई० ए० एफ० टी० के बदले में रेलवे टिकट जारी करना	Railway Tickets issued in exchange of I. A. F. T. ..	1153
3102.	प्रेषक रेलवे	Forwarding Railways ..	1154
3103.	यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	Sanctioned Strength of Traffic Accounts Office, Ajmer ..	1154—1155
3104.	पटसन के सामान और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात	Export of Jute Goods and Coir-Products ..	1155
3105.	राजस्थान के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Mineral resources of Rajasthan..	1155—1156
3106.	सैय्यदपुर स्टेशन पर घिरे हुए रेलवे यात्री	Railway Passengers marooned at Saiyedpur Station ..	1156
3107.	एक माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train ..	1156—1157
3108.	कोटेगंगूर और हारनहाली स्टेशनों के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Goods Train between Kotegangur and Harnahalli Stations ..	1157
3109.	पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खनन	Coal Mining in West Bengal and Bihar ..	1157—1158
3110.	स्वचालित ट्रेलर ब्रेक व्यवस्था	Automatic Trailer Brake System ..	1158
3111.	अजमेर में पिसाई के मशीनी औजार बनाने का कारखाना	Grinding Machine Tool Plant at Ajmer ..	1158—1159
3112.	चन्दनपुर तथा बेलमुड़ी के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train Between Chandpur and Belmuri ..	1159—1160
3113.	कच्चे पटसन की कमी	Shortage of Raw Jute ..	1160
3114.	राज्य कपड़ा निगम की स्थापना	State Textile Corporations ..	1160
3115.	अम्बिका नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge on River Ambica ..	1161
3116.	अनन्तपुर जिले में हीरे वाली चट्टानें	Diamond Bearing Rocks in Ananthapur District ..	1161—1162

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3117. भावनगर में मशीन औजार कारखाना	Machine Tool Factory at Bhavanagar ..	1162—1163
3118. इस्पात औद्योगिकीविज्ञों का प्रशिक्षण	Training of Steel Technologists ..	1163
3119. पूर्व रेलवे में अभियोजन निरीक्षक (प्रोसीक्यूटिंग इंस्पेक्टर)	Prosecuting Inspectors on Eastern Railway ..	1163—1164
3120. लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद की बैठक	Meeting of the Iron and Steel Advisory Council ..	1164—1165
3121. पटना और राजगीर स्टेशनों के बीच तेज रेलगाड़ी	Fast Train between Patna and Rajgir Stations ..	1165
3122. दानापुर में लकड़ी का ऊपरी पुल	Wooden Overbridge at Danapur ..	1165—1166
3123. पश्चिम रेलवे के इतर यातायात कार्यालय का प्रतिनिधिमण्डल	Deputation from Foreign Traffic Office Western Railway ..	1166
3124. पाकिस्तान को निर्यात	Exports to Pakistan ..	1166—1167
3125. रेलवे पर दावे	Railway Claims ..	1167—1168
3126. पश्चिम के देशों के वित्तीय संकट का भारत के व्यापार पर प्रभाव	Impact of Western Countries Financial Crisis on India's Trade ..	1168
3127. बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Bihar ..	1168—1169
3128. गोमोह पश्चिमी बाह्य केबिन पर डाउन मालगाड़ी का रुकना	Stoppage of Down Goods Train at Gomoh West Outer Cabine ..	1169—1170
3129. यात्री डिब्बों से सामान की चोरी	Theft of Railway Goods from Coaches ..	1170
3130. कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allotment of Quota of Raw Films to Producers ..	1170
3131. बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा, के लेखों में अनियमितताएं	Irregularities in the accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sangh, Darbhanga..	1171
3132. निर्यातकों को प्रोत्साहन	Incentives to Exporters ..	1171—1172

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3133. समाचार पत्रों को दिए गए रेलवे के विज्ञापन	Railway Advertisements given to the Newspapers	1172
3134. श्रीलंका को साड़ियों की तस्करी	Smuggling of Saris to Ceylon	1172
3135. बेलाडिला में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Bailadila ..	1172—1173
3136. मनीपुर को दिया गया कारों और स्कूटरों का कोटा	Quota of Cars and Scooters Allotted to Manipur ..	1173
3137. इस्पात का आयात	Import of Steel ..	1173—1174
3138. ईस्टर्न रेलवे बायज एच० एस० एम० पी० स्कूल आसनसोल में दाखिला	Admission to the Eastern Railway Boys H.S.M.P. School, Asansol ..	1174
3139. खादी ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	1174—1175
3140. भारतीय इंजीनियरी सामान के पश्चिमी यूरोप को निर्यात पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट	Expert's report on Export of Indian Engineering Goods to West Europe ..	1175
3141. बर्मा को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Burma ..	1175—1176
3142. उत्तरी कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to North Korea	1176
3143. लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	1176—1177
3144. ईरान द्वारा औद्योगिक संयंत्रों तथा मशीनों का क्रय	Purchase of Industrial Plants and Machinery by Iran ..	1177
3148. जी० ई० सी० इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड और ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड	G.E.C. India (P) Ltd. and AEI (India) Ltd. ..	1177—1178
3149, जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड	G.E.C. of India (P) Ltd. ..	1178
3150. रेडियो के पुर्जों का आयात	Import of Radio Components ..	1178—1179
3151. बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए विद्यार्थियों का सहयोग लेना	Students Mobilised for Checking Ticketless Travel ..	1179

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3152.	सलाहकार समितियां और बोर्ड	Advisory Committees and Boards ..	1179
3153.	पार्ली उपरि पुल योजना	Parli Overbridge Scheme ..	1179—1180
3154.	बिहार में कास्ट आयरन टूल्स सेंटर	Cast Iron Tools Centre in Bihar ..	1180
3155.	रेलवे गार्डों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Railway Guards ..	1180—1181
3156.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सहायक स्टेशन-मास्टरों वर्ग 4 सैक्शन कन्ट्रोलरों और यार्ड मास्टरों का चयन	Selection of A.S.Ms. IV/Section Controllers and Yard Masters in Delhi Division of Northern Railway ..	1181
3157.	पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ जिला के गार्डों को मील भत्ता	Mileage Allowance to Guards of N.E. Railway Lucknow District ..	1181—1182
3158.	मुख्यालय, गोरखपुर में गार्ड ग्रेड 'सी' के पद	Post of Guards Grade 'C' in Headquarters Gorakhpur ..	1182
3159.	रेलवे अस्पतालों में नर्सें	Nurses in Railway Hospitals ..	1182—1183
3160.	थाईलैंड को साइकिलों के फ्री व्हील का निर्यात	Export of Bicycle Free Wheels to Thailand ..	1183
3161.	अमरीका से रुई का आयात	Import of Cotton from U.S.A. ..	1183—1184
3162.	आटोमोबाइल एसोसियेशन आफ अपर इण्डिया	Automobile Associations of Upper India..	1184
3163.	नमक का मूल्य	Price of Salt ..	1184—1185
3164.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छपाई मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machines by H.M.T. ..	1185
3165.	फास्फोरस के विकास के लिये भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग	Collaboration between India and U.A.R. For Developing Phosphorus ..	1186
3166.	विदेशी पूंजी नियोजन बोर्ड	Foreign Investment Board ..	1186—1187
3167.	जुण्ड कांडला रेलवे लाइन	Zund-Kandala Railway Line ..	1187
3168.	भारत के निर्यात व्यापार प्रणाली में परिवर्तन	Changes in Pattern of India's Export Trade ..	1187

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3169. निवाड़ी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platform at Nivari Railway Station	1188
3170. भिलाई इस्पात कारखाने में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts at Bhilai Steel Plant ..	1188
3171. इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ..	1189
3172. बांदीकुंई और जयपुर के बीच शटल सेवा	Shuttle Service between Bandikuin and Jaipur ..	1189—1190
3173. बम्बई और कोचीन के बीच नियमित रेलगाड़ी चलाना	Running of regular train between Bombay and Cochin ..	1190
3174. सीसल और सन के रस्सों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Sisal and Manila Ropes..	1190
3175. रूस के सहयोग से ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Plant with Soviet Collaboration..	1191
3176. मैसूर लोक अयस्क का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey of Iron Ore in Mysore ..	1191
3177. रूई व्यापार में 'हैज' ठेके	Hedge contracts in Cotton Trade ..	1192
3178 रूई में हैज 'व्यापार'	Hedge trading in Cotton ..	1192—1193
3179. राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार द्वारा आयातित इस्पात उत्पादों का वितरण	Distribution of Imported Steel Products by STC and MMTC ..	1193
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
न्यू शाहदरा कालोनी में डकैती	Dacoity at New Shahdara Colony ..	1193—1196
अनुपूरक प्रश्नों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re.Supplementary to Questions and Calling Attention Motions ..	1197
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	1197—1198
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1198—1199
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Threatened strike by LIC employees ..	1200—1202
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	1200—1202

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter Under Rule 377—	
पेट्रोल तथा डीजल आयल पर शुल्क में वृद्धि	Enhancement of duty on Petrol and diesel oil ..	1202—1204
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia ..	1202—1203
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao ..	1203—1204
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— प्रस्तुत किया जाना	Customs (Amendment) Bill-Introduced..	1204
राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक	State Agricultural Credit Corporations Bill ..	1205—1207
विधेयक को संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	1205
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	1205,1207
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	1205
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ..	1205
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ..	1205—1206
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1206
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chdndra Jha ..	1206—1207
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ..	1207
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	1207
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	1207
सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re final report of road transport taxation enquiry committee ..	1208—1216
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal ..	1208—1209
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	1209—1210
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	1210—1211
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	1212
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah ..	1212—1213
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail ..	1213
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	1213—1214
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen ..	1214—1215

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	..	1215—1216
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	1216
केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में चर्चा	Discussion re. Centre-State Relations	..	1216—1232
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	1216—1219
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	..	1219—1220
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	..	1220—1222
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Dal Bohra	..	1222—1223
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	..	1223—1225
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	1225—1226
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	..	1226—1228
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	..	1228—1230
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	..	1230—1232

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1968/12 अग्रहायण, 1890 (शक)
Tuesday, December 3, 1968/Agrahayana 12, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा ट्रैक्टरों का उपहार

*481. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत में अपने सम्बन्धियों को उपहार स्वरूप ट्रैक्टर भेज सकते हैं ;

(ख) क्या अब तक उपहार स्वरूप कोई ट्रैक्टर भेजे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने, किस-किस के द्वारा और किन-किन देशों से भेजे गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भेंट के रूप में ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति देने की आयात नीति का ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 234-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में दिया गया है, जो कि उसी तारीख के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की की गई है ; इसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). इतने थोड़े समय में किसी आयात की अभी से आशा करना सम्भव नहीं है ।

श्री बाबूराव पटेल : मुझे विश्वास है कि सरकार को मालूम है कि ट्रैक्टरों जिसकी

आवश्यकता किसानों को होती है, के भारतीय निर्माता विशेषकर फालतू पुर्जों के मामले में बड़ी मात्रा में चोर-बाजारी कर रहे हैं ? मुझे यह सूचना मिली है कि एस्कोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक फर्म विशेषकर चोर-बजारी के कारण बहुत बदनाम है, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि ट्रैक्टर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना खाद्य उत्पादन, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार चोर-बाजारी रोकने और किसानों को राहत देने के लिए ट्रैक्टर और उसके फालतू पुर्जों की बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : देश में पांच लाइसेंस शुदा कारखाने हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 30,000 ट्रैक्टर है। परन्तु उत्पादन 12,000 से 15,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष है, ट्रैक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने उपहार योजना की स्वीकृति दे दी है। इस उपहार योजना के अन्तर्गत अगर किसी का निकट सम्बन्धी विदेश में रह रहा हो तो भारत में कृषि कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को ट्रैक्टर भेज सकता है ;

श्री बाबूराव पटेल : फालतू पुर्जों में हो रही चोर-बाजारी के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री बाबूराव पटेल : क्या यह सच है कि हमारे महान मित्र देश रूस ने अपने ट्रैक्टरों को बेचने के बाद फालतू पूर्जों के मनमाने ऊँचे मूल्य कहे हैं और राज्य द्वारा प्रायोजित कृषि पर आधारित उद्योग निगम को अपने ट्रैक्टरों के किए वितरण एजेंसियां देना अस्वीकार कर दिया ? क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे रूसी मित्र इस प्रकार का अमैत्रीपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं जब कि वे यह जानते हैं कि हम भारत में यथाशीघ्र साम्यवाद स्थापित करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सोवियत सरकार ने जो 6500 ट्रैक्टर भेजे हैं उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी पुर्जों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने फालतू पुर्जे आदि भेजे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मुझे पता चला है कि उपहार योजना के अन्तर्गत विदेशों से भारत को जो ट्रैक्टर आयात किये जाते हैं उनकी संख्या इस समय करीब एक हजार है, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में करीब एक हजार प्रर्थना-पत्र हैं। क्या सरकार इस उपहार दिये जाने वाले ट्रैक्टरों का कोटा बढ़ायेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह योजना अक्तूबर, 1969 तक लागू रहेगी। यह विदेशों में कार्य कर रहे रिश्तेदारों की संख्या पर आधारित होगी।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सरकार को मालूम है कि फालतू पुर्जों विशेषकर ट्रैक्टर और बिजली से चलने वाले हलों की बहुत कमी है ? क्या ऐसी कोई योजना है जिससे भारत सरकार फालतू पुर्जों को प्राप्त कर सके ताकि ट्रैक्टर और बिजली से चलने वाले हल बेकार न हो जायें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जब हम ट्रैक्टरों का आयात करते हैं तो स्वभावतः हमें फालतू पुर्जों का भी आयात करना पड़ता है ।

श्री पीलु मोडी : इसकी कमी क्यों है ?

श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि हम 50,000 ट्रैक्टरों की अधिष्ठापित क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच सके हैं और केवल 12,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बना पा रहे हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि देश में बने हुए ट्रैक्टर और सोवियत रूस से आयातित ट्रैक्टरों के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ट्रैक्टरों की विशेषतः विशिष्ट विवरण और हार्सपावर बताएं । तभी मैं उनको यहां बनने वाले और आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य विवरण दे सकता हूं । हमारे अभी तक उत्पादन के पूर्ण क्षमता तक न पहुंचने का कारण यह है कि इस उद्योग के सामने कुछ कठिनाइयां हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आगामी वर्ष से इसकी क्षमता बढ़ जायेगी ।

श्री सु० कु० तापड़िया : समाजवादी ढांचे पर आधारित समाज भी एक अजीब चीज मालूम होती है । जबकि सरकार साधारण जन और छोटे किसानों की भलाई के बारे में शोर मचाती है और निजी थैली, उद्योगपति और बड़े जमींदारों की बुराई करती है, परन्तु चुपके से कार्यरूप में उनका समर्थन करती है जिनकी वह सार्वजनिक रूप से निन्दा करती है । इसका क्या कारण है क्या मैं जान सकता हूं ? भारत में कम से कम 750 लाख से 10 करोड़ लोग हैं जोकि छोटे किसान हैं और इनके पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है, क्या सरकार ने इसका सर्वेक्षण किया है कि ऐसे साधारण किसान कितने हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिनके रिश्तेदार विदेशों में हैं और इस योजना से लाभ उठाने में समर्थ हैं ? सरकार केवल बड़े जमींदार, भू-स्वामी और धनी व्यक्तियों की सहायता कर रही है···· **(व्यवधान)**

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं । मैंने सोचा था कि वे उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता चाहते हैं जिनके विरुद्ध वे कह रहे हैं···· **(व्यवधान)**

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं आपकी तरह पाखंडी नहीं हूं जो किसी के लिए बोले और किसी दूसरे का हित करे ।

श्री पीलु मोडी : यह जानना मनोरंजक होगा कि वे किसान कल्याण चाहते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस समय इन ट्रैक्टरों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 30,000 है । क्या कारण है कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं किया गया है ? यदि कोई कठिनाइयां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ताकि लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बराबर उत्पादन किया जा सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस वर्ष मांग का अनुमान 30,000 ट्रैक्टर है। 1970-71 में क्षमता 40,000 ट्रैक्टर होगी। हम अधिष्ठापित क्षमता एक विशिष्ट स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, since not more than 20,000 tractors can be manufactured this year according to Government assessment and not more than 10,000 can be imported by you and according to their own assessment the demand during the current year has been placed at 50,000. The demand will certainly be 60-70 thousands as many people have felt disappointed and stopped applying for registration keeping in view the fact that applications have been pending for 3-4 years. In view of restrictions on receiving of tractors as gifts, not more than 5-7 thousands are likely to be received. In these circumstances, when you are unable to manufacture the required number indigenously or meet the shortage by imports, how the Hon. Minister is going to meet the current year's demand of 70,000 tractors ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Government fully realise the shortage of tractors but we cannot meet it through gifts. The Hon. Member is well aware that we do import tractors. My assessment is that we would be importing about 9 thousand tractors from various countries and our own capacity is likely to reach 30,000. We receive gifts also which help overcome the shortage to some extent. It is always our attempt to increase our production.

Shri D. N. Tiwary : All are aware that there are large number of small farmers in this country, who can not afford to purchase tractors. May I know if Government have prepared any scheme whereby one or two tractors may be provided in each village for their use ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : In a way the Hon. Member is referring to service cooperatives, which may provide tractors as well as other agricultural implements for the use of the farmers. I think that the Ministry of Agriculture had thought of it. If the Hon. Member addresses a question to that ministry, they may be able to give details about it.

श्री वी० कृष्णमूर्ति : चाहे हिन्दुस्तान ट्रैक्टर हो चाहे टी० ए० एफ० ई० का अथवा एस्कार्ट्स का ट्रैक्टर हो एक ट्रैक्टर का चोर-बाजार मूल्य 2,000 रुपये से 3,500 रुपये है। हमारी मांग कि गरीब किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध किये जाने चाहिए, मंत्रालय के कानों तक नहीं पहुंची है, जो छोटी कार के निर्माण में विश्वास करता है, जिसकी तुरन्त इतनी आवश्यकता नहीं है। वे सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर सकते थे। लेकिन वे इसमें असफल रहे हैं।

यदि इस देश में इंजीनियरी उद्योग का कोई विकास हुआ है, तो उसका कारण इस देश में उपकरणों और मशीनों के उदार आयात का। ट्रैक्टरों के आयात के बारे में भी जिनके लिये किसानों की बहुत अधिक मांग है, सरकार ऐसी ही नीति क्यों नहीं अपनाती ? ट्रैक्टरों के आयात के बारे में यह संकीर्ण दृष्टिकोण क्यों हो ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह तो सुझावमात्र है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ट्रैक्टरों के आयात के बारे में सरकार उदार नीति अपनायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मूल प्रश्न को पढ़ें । वह केवल विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों द्वारा ये चीजें भेजने के बारे में है । माननीय सदस्य को प्रथक प्रश्न की सूचना देनी चाहिए तभी वह उत्तर दे सकेंगे क्योंकि उन्हें जानकारी इकट्ठी करनी होगी ।

Shri Randhir Singh: Most of the Indians abroad are non-agriculturists and 80 per cent of them are rich people. How can the poor people go to far off countries? The demand of poor farmers for tractor is so large that it can not be met by your scheme of manufacture of 50,000 tractors annually. The dispute about distribution of tractors being supplied by Russia should be settled through negotiations. Either we should take the help of Russia or Czechoslovakia or set up a factory in the corporate sector to manufacture at least 1 lakh tractors so that the poor people may get tractors.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The Hon. Member is right and we are trying our best in this direction.

Shri Beni Shanker Sharma: The Commerce Minister knows how the gift parcels are missed in Nepal. As far as farmers are concerned, we have no objection if some tractors are received as gifts. But what are the safeguards to be provided by the Hon. Minister to see that these gifts are not misused by the people, particularly the businessmen?

Shri Dinesh Singh: If the Hon. Member goes through our scheme, he will find that we have tried to see that this facility is not misused.

श्री मनुभाई पटेल : जहां तक सम्बन्धियों से उपहारों का सम्बन्ध है सरकार किसानों को यह उपहार प्राप्त करने की अनुमति देने के लिये सहमत हो गई है । क्या किसी संस्था से किसी संस्था को उपहार देने की भी अनुमति दी जायेगी और क्या सम्बन्धियों से उपहार में प्राप्त ये ट्रैक्टर आयात शुल्क से मुक्त होते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ट्रैक्टरों के उपहार सम्बन्धी वर्तमान योजना के अन्तर्गत संस्था से संस्था को उपहार जैसी कोई चीज नहीं है । इन पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता ।

श्री पीलु मोदी : क्या विभिन्न किस्मों और मार्कों के ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के बारे में अनुभव की जा रही कठिनाई को यथासम्भव शीघ्र दूर करने के लिए सरकार कोई गम्भीर कदम उठा रही है । आज अनेक ट्रैक्टर केवल इसलिये अप्रयुक्त पड़े हैं कि कुछ फालतू पुर्जे नहीं मिल रहे हैं । मुझे बताया गया है कि विशेष रूप से सोवियत संघ से आयात किये गये ट्रैक्टरों के बारे में ऐसी स्थिति है । क्या यह सच है कि देश में निर्मित ट्रैक्टरों के बारे में भी यही कठिनाई है ? क्या भारत सरकार की नीति में ट्रैक्टरों को छोटी कार की अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है अथवा नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सभी स्थानों से चाहे सोवियत संघ अथवा किसी अन्य देश

से आये हुए ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जों की आवश्यकता है। हमने बिना कोई आयात शुल्क लगाये फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति दी है। हम आयातकों को ये सुविधा दे रहे हैं।

Setting of Industries in U. P.

+

*482. **Shri Mahant Digvijai Nath:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Bharat Singh Chauhan:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the big factories proposed to be set up in Uttar Pradesh under the Fourth Five Year Plan;

(b) the estimated amount of expenditure likely to be incurred on each of the said factories;

(c) whether it is a fact that Uttar Pradesh is lagging far behind many other States in the field of industries; and

(d) if so, the steps being taken to remove this backwardness?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) and (b). The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. Information about new industries to be set up in Uttar Pradesh during the Plan period will be available only after the Plan is formulated.

(c) and (d). Taking into consideration the investments made on the public sector projects during the first three Plan periods, and details of the productive capital, labour employed and value added by manufacture in factory establishments in the different States it would be seen that Uttar Pradesh is ahead of a number of other states in the field of industries, though there are also a few states ahead of U. P. in this respect.

Shri Mahant Digvijai Nath: I come from the Eastern region of U. P. and I want to draw your attention to the fact that the Eastern Part of U. P. is very poor and backward. The per capita income there is only Rs. 145 to 175 whereas in the Western Region it is 244 and the all India income is 315. The country is well aware of the role played by the Eastern U. P. in the freedom struggle. May I know the names of the industries proposed to be set up in the Eastern region and outlay proposed to be made there by Government during the Fourth and Fifth Five year Plans. In Gorakhpur.....

अध्यक्ष महोदय : विशेष स्थानों के बारे में न पूछिये।

Shri Mahant Digvijai Nath: I want to stress that the industries should be set up keeping in view the local conditions.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): We have been called upon to state the position of Uttar Pradesh in comparison to other States. Here the Hon. Member wants to know about the region to which he belongs and not about the various states. I know that he comes from the Eastern Region and that area is

backward as compared to Western U. P. We have to take into account many considerations while deciding the setting up of industries and we will keep in mind the fact that statewise imbalance should be removed. But as regards imbalance within the State, it is for the State Government to submit plans about it so that we may act accordingly.

Shri Mahant Digvijai Nath : Do you propose to set up a scooter factory and a paper factory there ?

Shri F. A. Ahmed : It will be considered while taking a decision about setting up of industries during Fourth Five Year Plan.

Shri M. A. Khan : It has been stated that Uttar Pradesh is ahead of some states in the field of industries and there are also some states which are ahead of it. But as far as population is concerned it leads all the states. The per capita income in U. P. was the highest in the country before independence. But it is our misfortune that even after 20 years of independence and inspite of giving three Prime Ministers, the per capita income in that state is the lowest in the country except Bihar. Punjab, Madras and all other states have taken away the entire capital but nothing came in the share of this state. May I know the number and names of states which lag behind U. P. and those which are ahead of it. It was said that an atomic energy plant should be set up in our province. Keeping in view that it is a poor province and its population of nearly 8.40 crores is the highest amongst all the states, is it proposed to set up an atomic energy plant there to industrialise the state ?

Shri F. A. Ahmed : The Hon. Member has put a number of questions. I have already said that Uttar Pradesh is lagging behind some states whereas it is ahead of many other states. Let me give its position also so that the Hon. member may realise the position of U. P. amongst our 15-16 provinces where industries have been set up by the Centre. It enjoys the fifth position. First is Madhya Pradesh, second Bihar, third Orissa, fourth West Bengal and fifth is Uttar Pradesh. Thus U. P. stands fifth amongst all the 15-16 states from the point view of investments during the Third Plan. The Hon. member should not lose sight of one fact that we have to set up industries at places where resources are available on economic basis. More than 50 per cent investment has been made on steel plants which are located in Madhya Pradesh, Orissa, etc. They are ahead of other states on account of investments. You should take into account another fact. The per capita income can be increased through small-scale industries. I am sorry to say that U. P. has not paid attention to it. They can increase their per capita income in this way through expansion of small-scale industries.

Shri M. A. Khan : I had asked about atomic energy plant. We had met the Prime Minister as well as the minister in this connection.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question put by my congress friend has not been answered. I want to repeat the same. The setting up of an atomic energy plant in U. P. is being discussed. May I know the present position in the matter ? The three Prime Ministers belonged to U. P. but justice was not done to U. P. . The present Prime Minister is also from U. P.

Shri F. A. Ahmed : I have told you that the Fourth Plan is being prepared. The location of the plant will be decided under that. There is no question of doing or not doing it now.

श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उस राज्य के औद्योगिक विकास के लिये इसी पिछड़ेपन को एक मानदण्ड मानेगी । और यदि हां, तो क्या रामनगर में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित पिछले कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन पड़े एक प्रस्ताव पर चौथी योजना में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन सभी मामलों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा और हम क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । मेरे मंत्रालय ने कुछ सुझाव पेश किये हैं और हम उन प्रस्तावों को सरकार के सामने पेश करने की प्रतीक्षा में हैं क्योंकि योजना आयोग भी उनका अध्ययन कर रहा है, तथा ज्यों ही वह अध्ययन पूरा होगा हम उन प्रस्तावों को सरकार के निर्णय हेतु पेश करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri S. M. Banerjee : We have always been seeing that U. P. could never get Justice from Central Government since First Five Year Plan till now. We are being shown the glimpses of Fourth Plan. I do not know what will be there also. Excepting that our Prime Minister comes from U. P., what demand in regard to different industries during the Fourth Plan have been from U. P. and which of them are likely to be met and which not ? Secondly, whether U. P. will actually have an Atomic Energy Plant there in the Fourth Plan period ? you see that right from Prime Minister to every Hon. Member of this House have been going in the Eastern Districts of U. P. and sheding tears so as to meet drought situation there but the situation remains there the same. When Rihand Dam was constructed there, peopele hoped that some industries would be installed there ; but later on they came to know that this Dam was meant for Birla factories only. I want to know whether the Hon. Minister has prepared any programmes for U. P. also, and if so, what are the outlines thereof ?

Shri F. A. Ahmed : I have already stated that all the new industries during Fourth Plan as also the proposals submitted by the State Governments are being processed by Planning Commission and the places for installing these industries will be fixed when the Plan is decided.

Shri S. M. Banerjee: We have been asking this question for the last ten years and probably we will continue asking in future also. I want to know whether the Hon. Minister has speculated any thing for U. P. during the Fourth Five Year Plan ?

Shri F. A. Ahmed : All the proposals etc. are with the Planning Commission.

श्री रामेश्वर राव : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि भारत का कौन सा भाग पिछड़ा हुआ नहीं है ।

Shri Shiv Charan Lal : The Hon. Minister states that Uttar Pradesh stands fifth. As far as I understand, during the last three Plans, our Prime Ministers have been from

Uttar Pradesh but still there is no progress in U. P. So it is better for U. P. to seek removal of the Prime Minister and have some other man as P. M. who does not belong to U. P.; only then U. P. can progress. Hon. Minister will agree that many foreigners come to Agra to see Taj Mahal, but that is a very very backward area. Therefore, will the Hon. Minister arrange for setting up a car or scooter factory or any other industry so that the poor people there may be able to earn their livelihood.

Shri F. A. Ahmed : I well realise that the Prime Minister who is from U. P. has not cared for U. P. only but for whole of India. However, all efforts are being made for U. P. and those will continue in future also..... (**interruptions**)

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं

+

*483. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने, केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण-कार्य अथवा विस्तार कार्य में हुई प्रगति का हाल में मूल्यांकन किया है और यह अनुमान लगाया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित अतिरिक्त खर्च का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लागत में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) (क) जी, हां।

(ख) वांछित जानकारी प्रधान मंत्री द्वारा 13 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ग) विचाराधीन परियोजनाओं की पूर्ति के लिए 1,500 करोड़ रुपये के और व्यय की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्न परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है।

श्री श्रीधरन : पिछले तीन वर्षों से चौथी योजना एक बहुत ही जटिल समस्या रही है तथा इसका निवारण किसी अत्यन्त विशेष प्रयत्न से होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे सामने दो मुख्य कठिनाइयां रही हैं। प्रथम तो यह कि हमारे निष्क्रिय तथा फजूलखर्च प्रशासन ने विभिन्न परियोजनाओं में बड़ा अपव्यय किया है। दूसरे, आयोजन का कार्य बड़ा दोषपूर्ण रहा है। राजनैतिक दबाव तथा अन्य गतिविधियों के कारण केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं तथा कुछ राज्यों को बड़ी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीधरन : मैं औद्योगिक विकास मंत्री से पूछना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में खर्च कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ? कुछ समय पूर्व हमें बताया गया था कि बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण से पूर्व अधिकारियों के लिए एक तैरने का तालाब बनाया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी तथा यह बतायेगी कि फजूल खर्च को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं क्योंकि यदि हम वर्तमान परियोजनाओं को बढ़ाने में अधिक धन व्यय करेंगे तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि दूसरे राज्यों को औद्योगिक परियोजनायें नहीं मिलेंगी।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : जहां तक पहला प्रश्न है, हम इस पर विचार कर रहे हैं तथा हम निर्णय लेंगे कि हमारा असृजनात्मक व्यय नहीं होना चाहिए और यदि आवश्यक ही हो तो उस व्यय को उस समय तक रोक देना चाहिए जब तक कि वरीयता प्राप्त मदों पर खर्च किया जा रहा हो।

क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि तकनीकी-आर्थिक आवश्यकता के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असन्तुलन किस सीमा तक समाप्त किया जा सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह प्रयत्न होगा।

श्री श्रीधरन : मेरे राज्य में किसी भी बड़े उद्योग का विकास आरम्भ नहीं हुआ है। वहां अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं जैसे नेरी मंगलम् में पादप-रसायन उद्योग। मुझे मालूम हुआ है कि उसे बन्द किया जा रहा है ; इसे पहले ही छोड़ दिया गया है। दूसरा प्रश्न केरल में पालघाट के स्थान पर सूक्ष्म उपकरण कारखाने के बारे में है। इस परियोजना के लिये राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने तथा मुआवजे देने के लिये 26 लाख रुपये खर्च किये हैं। अब इस परियोजना के बारे में कोई निश्चित स्थिति नहीं है। हमारा राज्य बड़ा गरीब है तथा अपनी अल्प धनराशि में से हमने 26 लाख रुपये खर्च किये हैं जो कि हमें लोगों की भलाई में खर्च करने थे। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस परियोजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपूर्ण रहे विकास और विस्तार परियोजनाओं आयोजन और निर्माण में शामिल कर लिया जायेगा।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मैंने अनेक बार कहा है कि पालघाट की उपकरण परियोजना को छोड़ा नहीं गया है बल्कि इसे लम्बित किया गया है जिसके कारण ये हैं कि कोटा परियोजना से माल के एक भाग का उत्पादन आरम्भ हो गया है तथा शेष का अधिकतम् अगले वर्ष आरम्भ हो जायगा और जब तक इस माल की खपत न हो तब तक यह लाभ-प्रद न होगा कि हम तुरन्त ही नये संयंत्र स्थापित कर दें जबकि इसकी बिक्री और निर्यात का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। मैंने बाहर के कुछ अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की है कि यदि हम पालघाट परियोजना आरम्भ कर दें तो क्या वे कुछ अधिक मात्रा में माल ले सकते हैं। मुझे अभी तक कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला हैं। जब तक यह नहीं होता तब तक हमारे लिये ऐसी परियोजना

शुरू करना सम्भव नहीं है जबकि एक परियोजना से वर्तमान योजना के अनुसार आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हम पृथक उद्योगों के बारे पूछ रहे हैं परन्तु प्रश्न सारगर्भित है, श्री गोयल ।

श्री श्रीचन्द गोयल : आप मुझे थोड़ी सी भूमिका बताने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यही मेरी कठिनाई है । और यह पूछा जाता है कि मैं अनुमति दूंगा या नहीं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट एक बड़ा रहस्योद्घाटन करती है कि इन सरकारी उपक्रमों में लगे धन से प्राप्त लाभ की स्थिति बड़ी खराब रही है । वर्ष 1964-65 में 3·6 प्रतिशत से वर्ष 1965-66 में यह घटकर 2·6 प्रतिशत हो गई है तथा वर्ष 1966-67 में 1·5 प्रतिशत । इसी प्रकार हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने को वर्ष 1966-67 में 20 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1967-68 में 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस खराब स्थिति को देखते हुए भी आपको इन सरकारी उपक्रमों की धुन क्यों सवार है ।

दूसरे अधिस्थापित क्षमता के उपयोग के प्रश्न पर विचार करने वाले श्रम-आयोग का दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां तक भारी इन्जीनियरी उद्योग का सम्बन्ध है अधिस्थापित क्षमता के उपयोग में 50 से 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यही स्थिति अन्य अनेक उद्योगों के बारे में भी है । मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बेकार अधिस्थापित क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

तीसरे कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनसे आपको अच्छा लाभ नहीं हो रहा है, तथा कुछ अन्य उद्योग आपको काफी लाभ दे रहे हैं । अत: अच्छा लाभ न देने वाले उद्योगों के लिए आप धन-राशि क्यों लगा रहे हैं तथा क्या आप धनराशि के नियतन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं ?

चौथे, भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल कारखाने में ट्रान्स्फार्मरों तथा स्विचगीयरों का पूरा उपभोग नहीं किया जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री फख़रुद्दीन अली अहमद : मेरे माननीय मित्र ने कुछ आधारभूत प्रश्न उठाये हैं परन्तु मैं उनसे इस पर बिल्कुल सहमत नहीं कि हमने अपनी सनक के कारण ही इन सरकारी उपक्रमों को शुरू किया है । मैं समझता हूं कि वे बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं । यहां केवल मुनाफे की बात नहीं है बल्कि हमें यह देखना है कि इनके द्वारा आयात में कितनी कमी हुई है तथा इनके कारण हमें विदेशी सहायता के बारे में कितनी राहत मिली है ।

सरकारी उपक्रमों में हानि क्यों हो रही है ? इसके कई कारण हैं । यह आशा थी कि इन कारखानों का उत्पादन विकास कार्यक्रमों में लगेगा परन्तु पिछले तीन वर्षों से विकास-कार्यक्रम

प्रायः ठप्प हैं जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पादन की मांग नहीं है तथा इन उपक्रमों की क्षमता पूरी तरह उपभोग में नहीं आती है। दूसरे वे केवल चीजों के निर्माण का ही कार्य नहीं करते बल्कि उन क्षेत्रों में विभिन्न समाज कल्याण कार्यों द्वारा सामाजिक सेवा भी करते हैं.....(**व्यवधान**) इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है तथा मुझे आशा है कि सरकारी उपक्रमों से अच्छे परिणाम निकलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न में नीति सम्बन्धी निर्णयों के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। भूमिका बांधने के कारण ही एक-एक अनुपूरक प्रश्न पर इतना समय लग जाता है तथा मंत्री को भी नीति सम्बन्धी मामलों के उत्तर देने पड़ते हैं। क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे भूमिका न बांधे तथा केवल प्रश्न पूछे।

श्री सु० कु० तापड़िया : यद्यपि 2,000 करोड़ रुपये लगाया जा चुका है परन्तु केवल 5 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया है। यदि माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको स्वीकार कर लिया जाये कि हानि का वही कारण है तो मैं समझता हूं कि वह बार-बार अतिरित धन मांगेंगे। सरकार का व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है उदाहरण के लिये आप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को देखें, इसके अध्यक्ष श्री मालवीय हैं। लेखापरीक्षकों ने हमसे संतुलन-पत्र में 13 अनियमिततायें बताई हैं उनमें से एक यह है कि वहां की भूमि की रजिस्ट्री निगम के नाम में नहीं है तथा दूसरे 4.75 करोड़ रुपये की वस्तुसूची में से 38 लाख का ठीक हिसाब नहीं है तथा 10 प्रतिशत सामान के बारे में पता ही नहीं है कि वह कहां गया। अपना काम ठीक तरह से नहीं करने के कारण ही ये हानि हुई है। क्या सरकार ने नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के सुझाव पर विचार किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक अलग लेखा-परीक्षा बोर्ड होना चाहिए क्या सरकार ने उस सुझाव पर विचार कर लिया गया है कि उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : श्री मालवीय के नाम को इसमें बेकार घसीटा जा रहा है क्योंकि यह अनिममिततायें उनसे पहले की हैं। जब से वे आये हैं वहां उत्पादन में वृद्धि हुई है। उनके जाने के पश्चात् एक एकक का उत्पादन 108 प्रतिशत दूसरे का 100 प्रतिशत तथा तीसरे का 80 प्रतिशत बढ़ा है। लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों के बारे में मेरी राय है कि हमें इस पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। मैं बार-बार सुझाव देता रहा हूं कि जब ये वार्षिक प्रतिवेदन सभा में पेश की जायें तब माननीय सदस्यों को सुझाव देने चाहिए। इन सब बातों का उत्तर अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं दिया जा सकता।

श्री रंगा : महालेखापरीक्षक का सुझाव सरकार के सामने बहुत पहले से है, फिर क्या कारण है कि उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : महालेखापरीक्षक के जो भी प्रतिवेदन हमारे समाने आते हैं उन पर पूरी तरह विचार किया जाता है तथा उनको जहां तक सम्भव होता है कार्यान्वित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षक बोर्ड, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये नियुक्त किया जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि आवश्यक हुआ तो हम ऐसा करेंगे ।

श्री चेंगलराया नायडू : औद्योगिक विकास मंत्रालय को आन्ध्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना स्थानों के बारे में कठिनाई हो रही है । आन्ध्र प्रदेश में एक केबल कारखाने की नींव रखी गई थी, परन्तु अब उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय की नीति यह है कि पहले के मंत्री जी ने परियोजनाओं के बारे में जो निर्णय लिये थे उन्हें समाप्त किया जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पूर्व मंत्री द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को समाप्त करने की मेरी नीति नहीं है । यदि कोई नई चीज आरम्भ नहीं की गई है अथवा स्थगित कर दी गई है तो इसका कारण साधनों की स्थिति है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय क्षेत्रीय असमान विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं । इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय को पता है कि आन्ध्र प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से एक अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है और वहां तीनों योजनाओं में बहुत कम धन खर्च किया गया है । क्या चौथी योजना में, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिये, विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं, विशेष रूप से पांचवे इस्पात कारखाने को, शामिल किया जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश भी मेरे राज्य आसाम की तरह पिछड़ा क्षेत्र है । हम इस प्रश्न पर अवश्य विचार करेंगे ।

Shri Kameshwar Singh : Since the Hon. Minister has stated that Shri Malaviya is not responsible for the irregularities pointed out by auditor, may I know whether other officers as ex-chairman or officers will be prosecuted for these irregularities ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह तो जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

Shri Shashi Bhushan : Does the Hon. Minister propose to start a new service of personnel for public sector industries in the interest of their efficient working, who will not be transferred frequently and what measures have been taken to protect the public sector undertakings from the machinations of political agents of profiteers and capitalists ?

Shri F. A. Ahmed : All these things are being made effective but if the Hon. members cooperate with me, it will go a long way to solve the problem.

श्री हेम बरुआ : क्या गोहाटी में तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त, आसाम में केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली कोई और उनके मंत्रालय की परियोजना है और यदि हां, तो वह कौन सी है और यदि नहीं तो औद्योगिक विकास मंत्री आसाम बार-बार क्यों जाते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वहां उर्वरक कारखाना है । हम इस बात पर विचार कर

रहे हैं कि बहुत पिछड़े राज्यों से असंतुलन किस प्रकार दूर किया जाये और इस श्रेणी में आसाम भी आता है।

श्री अहमद आगा : जम्मू तथा काश्मीर राज्य में गत 20 वर्षों में एक भी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना स्थापित करना उनके मंत्रालय ने व्यावहारिक नहीं समझा है। क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में चौथी योजना में ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य की शिकायत को समझता हूं चूंकि केन्द्रीय क्षेत्र में वहां पर केवल 22 लाख रु० खर्च किये गये हैं। इसलिये हमने चौथी योजना की प्रतीक्षा किये बिना वहां पर घड़ियों का एक कारखाना लगाने का निश्चय किया है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने श्री श्रीधरन को उत्तर देते हुए बताया कि सरकार घाटे में चल रहे उपक्रमों में और धन नहीं लगायेगी। क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ? क्या सरकार उन उपक्रमों के नाम बतायेगी जिनमें हानि है। क्या बोकारी कारखाना भी इस श्रेणी में आता है क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है और क्या वह इसमें और कोई धन नहीं लगायेंगे तथा उसे अन्य उत्पादक परियोजनाओं में प्रयोग करेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं ब्यौरा तो नहीं दे सकता लेकिन मेरे माननीय मित्र की यह धारणा गलत है कि बोकारो कारखाने में लगाये गये धन से कोई लाभ नहीं होगा। ये आवश्यक है कि हम इस्पात का उत्पादन बढ़ायें। रांची में इन्जीनियरिंग कारखाने की क्षमता प्रयोग करने के लिए भी इस्पात का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।

श्री बलराज मधोक : मैंने पूछा था कि अलाभकारी कारखाने कौन-कौन से हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उसकी सूची तैयार होने पर, सभा में बता दी जायेगी।

Shri Shinkre: Will any projects be set up in the public sector in Goa and other Union territories like Manipur, Tripura during the Fourth Five Year Plan ?

Shri F. A. Ahmed : We will consider about this too.

Shri Sita Ram Kesri: Has the Hon. Minister thought out a plan to convince the workers that the public sector is meant for their benefit and as such they should not resort to strikes etc.?

Shri F. A. Ahmed : There is no need for a scheme, of course, we have suffered losses due to labour trouble at many places. It should be the endeavour of all of us, the M. Ps. and others outside the House, to create an atmosphere, in which the production may increase and our public undertakings may be run profitably.

Shri Hukam Chand Kachwai: It has been observed that the setting up of industries has not been of help in the solution of the problem of unemployment of the region where these

undertakings are set up. Will Government see to it that preference will be given to the local people in the matter of employment whenever such undertakings are set up in future ?

Shri F. A. Ahmed : Setting up of big industries does not necessarily solve the problem of unemployment nor does it increase the per capita income of the people there. Ancillary industries and small scale industries should also be set up so that employment opportunities may increase. We have provided sufficient funds for this purpose and we are prepared to give every kind of help so that the per capita income may increase and more and more people may get employment through these industries.

Shri Prakash Vir Shastri : Apart from employment of politicians defeated in elections the employment of retired Government employees is one of the main reasons for the failure of public sector undertakings since they have no interest in the work. Will Government in future employ young, trained and ambitious people in these undertakings so that these undertakings may work up to their full capacity ?

Shri F. A. Ahmed : The suggestion made by the Hon. Member, Shri Shastriji deserves appreciation and the matter is already under consideration of the Government and we are taking into consideration how we can give opportunities to those who are young, capable and efficient and are working in the same industries.

श्री बसुमतारी : आसाम उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा राज्य है और वहां के लोग भी बहुत गरीब हैं। इसके साथ-साथ माननीय मन्त्री जी को यह भी मालूम है कि आसाम बहुत संसाधन सम्पन्न राज्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसाकि मैं बता चुका हूं आसाम सहित सभी राज्यों के सम्बन्ध में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जहां तक उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, हम क्षेत्रीय असन्तुलन को कहां तक दूर कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने चन्द मिनट पहले हमें बताया है कि जब से श्री मालवीय ने एच० ई० सी० का कार्यभार संभाला है, वहां सुधार हुआ है, कार्य कुशलता बढ़ी है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन सचाई यह है कि सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उद्योग घाटे में चल रहे हैं और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी प्रबन्धक निदेशकों तथा अध्यक्षों के स्थान पर पराजित कांग्रेसियों की नियुक्ति करेगी ताकि और अधिक कार्यकुशलता हासिल की जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह तो माननीय सदस्य की अपनी राय है। लेकिन मैं अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। सुधार करने के लिए हम विभिन्न पग उठा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक है, प्रबन्धक निदेशकों अथवा चेयरमैनों को बदला गया है। हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि क्या कोई और परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तोड़फोड़

+

अ० सू० प्र० सं० 7 श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री भगवान दास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन, दुर्गापुर द्वारा की गई तोड़फोड़ पर, जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों ने बताया है, ध्यान दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि डिवीजन-इंचार्ज ने संसद्-सदस्यों के एक दल को यह वचन दिया था कि वह विचार-विमर्श के बाद इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) की मान्यता को वापिस लेने पर विचार करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पुनर्बेलन मिलों की री-हीटिंग फर्नेसिज तोड़-फोड़ के कारण क्षति-ग्रस्त हुई थीं जोकि उस स्थान पर उपस्थित कुछ मजदूरों द्वारा की गई बताई जाती हैं ।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि डिवीजन-इंचार्ज से माननीय सदस्यों का अभिप्राय प्रभारी-निदेशक से है । ऐसा पता चला है कि प्रभारी निदेशक ने संसद् सदस्यों के दल को यह बताया था कि अनुशासन-संहिता में की गई व्यवस्था के अनुसार यह मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले की पृष्ठ-भूमि इस प्रकार है । इस मामले का बुनियादी कारण कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट है । मेरे 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5719 के उत्तर में उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि वह श्री अतुल्य घोष को उनकी पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास में उनकी विशेष रुचि होने के कारण उन्हें दुर्गापुर ले गये थे, अब श्री मोरारजी देसाई ने भी अतुल्य घोष के साथ सांठ-गांठ मिलाकर हड़ताल करवाने का निश्चय किया और इस सारे मामले की योजना पहले से बनाई गई थी । श्री अतुल्य घोष जो वीरभूम से आये थे, उस रात वहीं थे और 18 मिनट में सारी योजना बनाई गई और निष्पादित की गई जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये की क्षति हुई । जब कारखाने के अधिकारियों ने शरारतियों से शरारत बन्द करने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक यूनियन के नेता, श्री अतुल्य घोष तथा श्री आनन्द गोपाल, जो एक भूतपूर्व एम० एस० ए० हैं, बन्द करने को न कहें, वे नहीं मानेंगे । श्री आनन्द गोपाल मुकर्जी ने, जिससे उस दिन तथा उस

रात को उनके घर पर टेलीफोन से बातचीत की गई, आने से इन्कार कर दिया और ऐसा-ही सचिव ने भी किया। जब इस शरारत के बाद कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया, तो वे उन्हें तुरन्त जमानत पर छुड़ा लाये। इसलिये यह सारी चीज पूर्व नियोजित तथा पूर्व-रचित थी जिसे अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया। इन परिस्थितियों में, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन पर भी मोरारजी देसाई, श्री अतुल्य घोष तथा उनका दल भारी दबाव डाल रहा है और क्या हम आशा कर सकते हैं कि मंत्री जी इस दबाव के आगे झुकेंगे नहीं और इस प्रश्न का उत्तर देंगे ? इस घटना के तुरन्त बाद जो चार संसद सदस्य दुर्गापुर गये थे उनसे सचिव ने कहा था कि दुर्गापुर में इन्टक अथवा कांग्रेस द्वारा चलायी जा रही यूनियन की जिस पर तोड़-फोड़ करने का आरोप है, मान्यता वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा। अब इस बात को लगभग दो महीने हो चुके हैं और सरकार को इस मामले में क्या कानूनी सलाह मिली है ? क्या सरकार का विचार यूनियन-अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का है और यदि नहीं, तो क्या इसका कारण यह है कि वह कांग्रेस द्वारा चलायी जा रही यूनियन है और नहीं, तो मुकदमा न चलाने का क्या कारण है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह आरोप कि हड़ताल की आग उप प्रधान मंत्री ने भड़काई थी, बिलकुल गलत है। उप प्रधान मंत्री स्कैल्प मिल के उद्घाटन के सम्बन्ध में दुर्गापुर गये थे। श्री अतुल्य घोष वहां इन्टक सम्मेलन में भाग लेने गये थे। जहां तक इस सम्मेलन का सम्बन्ध है, वह सितम्बर में हुई इस विशेष घटना के लगभग दो-तीन महीने पूर्व हुआ था। इसलिये यह कहना बिलकुल गलत है कि हड़ताल के नोटिस अथवा हड़ताल सम्बन्धी किसी संकल्प के सिल-सिले में वहां उन्हें कुछ करना था।

जहां तक कर्मचारियों द्वारा किये गये वास्तविक तोड़-फोड़ का सम्बन्ध है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे छिपाया जा रहा हो। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया लेकिन बाद में जब उनकी योजना सफल नहीं हुई, तो उनके खिलाफ एक और अर्जी दी गई कि वे तोड़-फोड़ में अन्तर्ग्रस्त हैं और इसलिये, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब मामला चालानाधीन है और पुलिस जांच कर रही है। इसलिये, किसी चीज को छिपाया नहीं जा रहा है और हर चीज की जांच की जा रही है।

जहां तक इस यूनियन की मान्यता समाप्त करने का सम्बन्ध है, आचार संहिता के अनुसार हमें मामला राज्य सरकार को भेजना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेकिन राज्य सरकार इस समय केन्द्र के शासनाधीन है।

श्री प्र० चं० सेठी : वह राज्य सरकार की मूल्यांकन समिति के शासनाधीन है और इस मूल्यांकन समिति की राय मालूम होने पर ही कारखाने के अधिकारी कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : विभिन्न कार्मिक संघों के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण

इस कारखाने को तथा उत्पादन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिये मंत्री महोदय यह बतलायें कि विध्वन्सात्मक कार्य़वाहियों को रोकने के लिये वह क्या पग उठा रहे हैं और क्या सामान्य उत्पादन विशेषत: पुनर्बेलन मिलों में जिन पर तोड़-फोड़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, पुन: आरम्भ हो गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि दुर्गापुर में बहुत-सी यूनियनें चल रही हैं, वहां लगभग पांच यूनियनें हैं जिनमें से दो **इन्टक** की हैं और एक **आइटक** की है और इन यूनियनों के बीच प्रतिद्वन्दिता के कारण इस कारखाने के काम को अचानक आघात पहुंचा है। लेकिन दोष-निवारक कार्यवाही की गई है और सभा को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि पिछली बार कारखाना अधिकारियों द्वारा की गई कठोर कार्यवाही के बाद, अक्तूबर के महीने में उत्पादन में वृद्धि हुई है और नवम्बर में और आगे वृद्धि हुई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it has been stated in the House that the four Members of Parliament who visited Durgapur were told by some official of the plant that the question of withdrawing the recognition of a certain union was under consideration. The Members of Parliament often visit these plants and talk with the plant authorities there. I want to know whether it is proper for the Members of Parliament to quote the talks held between them and the plant authorities there. If such things are quoted in the House, no official would like to talk with M. Ps. in future. This thing could be put in a different manner. Taking this aspect into consideration, you may kindly give your advice in the matter for our future guidance in such cases.

Shri K. N. Tiwari : I know the value of damage and loss in production due to the sabotage and suspension of work in the plant ?

Shri P. C. Sethi : The damage was to the value of about Rs. 4.64 lakhs and so far as loss in production is concerned, it was to the extent of about Rs. 1.5 crores.

Shri Deven Sen : May I know whether it is a fact that the former manager who has been now removed from service was present at Durgapur in the morning on that day when the sabotage was done there and had come back after that particular incident; and whether it is further a fact that Shri Atulya Ghosh was also there that morning and went back after the sabotage had been done ? The Hon. Minister should tell us whether it is also a fact that when the mischief-mongers were resorting to sabotage and executing their plan in the presence of the manager, some workers went to him and asked him to instruct them to deal with the mischief-mongers and stop them from indulging in subversion, but the manager gave no reply.

Shri P. C. Sethi : This particular incident took place in night and not in day. So far as the presence of a particular individual or individuals there alongwith the details of persons involved in the sabotage is concerned, the case is under challan and the police are conducting thorough investigations.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि आइटक यूनियन इस तोड़फोड़ के लिए

जिम्मेदार है ? अन्य किन गतिविधियों के लिए आइटक जिम्मेदार है ? क्या यह सच है कि श्री ज्योतिर्मय बसु का वहाँ कुछ संगठनों पर प्रभाव है और वे इन सभी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं ?

Shri P. C. Sethi : The other union, INTUC has also been responsible for so many activities including the cases of gherao there which numbered 97 since 1967. So far as stoppage of work is concerned, there has been a stoppage of work for 71 days for which this union is responsible. As regards Go Slow agitation, this union is responsible for 194 days' go slow agitation. So far as indiscipline is concerned, it was responsible for 75 days' indiscipline and also for not carrying out orders.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a matter of regret that the congressmen have now started indulging in subversive activities as was previously being resorted to by the communists in West Bengal. I want to know from the Hon. Minister whether Shri Atulya Ghosh tried to exert pressure at any stage not to take action against those who were involved in sabotage or subversion and secondly, whether Government would try to ascertain if it was a fact that some outsiders—besides the workers arrested in this connection—had had a hand in hatching this plan and if so, whether they would conduct an inquiry in the matter through some Central Agency ?

Shri P. C. Sethi : 36 workers of the plant were arrested in this connection and they are facing prosecution. Besides, 25 such workers were also arrested as were peesent on the spot and they have been suspended from service.

As far as the question to prosecute them or sue them in the court is concerned the unions have made this demand that their cases should be withdrawn and they should be reinstated but the authorities of that plant and the police have not agreed to it.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has not given reply to my question. My question was whether apart from the labourers some persons from outside were also there in making that plan and whether he will get the matter examined by the Central Agency and my second question was whether Shri Atulya Ghosh had said that no action should be taken against those who had done subversion and also that they should not be prosecuted ? The Hon. Minister has not given reply to these questions.

Shri P. C. Sethi : I have said that the union has said that.....

Shri Kanwar Lal Gupta : Has it been said by any officer ?

Shri P. C. Sethi : Shri Atulya Ghosh who is the President of that Union has said so. As I have already said the Union has requested that these persons should be reinstated but the Plant authorities have not agreed to it. The Police is looking into the whole affair and this matter is also being examined whether the apprehended persons have had a hand in doing a strike.

अध्यक्ष महोदय : वह केन्द्रीय अभिकरण की कार्यवाही के बारे में पूछ रहे थे ।

श्री प्र० चं० सेठी : स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस इसे कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि यह तोड़फोड़ का काम उस संघ द्वारा किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व इंटक ने किया है। हमारे मन में इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। उस संघ के प्रधान अतुल्य घोष हैं। क्या यह सच है कि कुछ समय पहले कार्मिक संघों में शत्रुता समाप्त करने के उद्देश्य से डा० चन्ना रेड्डी, जो अब मंत्रिपरिषद् में नहीं हैं, एक ऐसी योजना पर विचार कर रहे थे कि एक कारखाने में केवल एक ही संघ होना चाहिए और वह भी उस संघ के प्रतिनिधित्व स्वरूप के बारे में निर्णय करने के लिए उचित रूप से श्लाका लिए जाने के बाद ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस योजना का क्या हुआ है, क्या उस पर अभी गौर किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम इस प्रकार के किसी निर्णय का स्वागत करेंगे कि एक कारखाने में एक ही संघ कर्मचारियों का प्रतिनिधान करे। परन्तु हम इसके आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि भिन्न-भिन्न संघों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये थे। अखिल भारतीय कर्मिक संघ कांग्रेस गूढ़ शलाका चाहती थी परन्तु इण्टक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया।

श्री स० मो० बनर्जी : क्यों ? क्या उन्हें गुप्त बैलट से डर लगता है।

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्य बता रहे हैं। वह इण्टक का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री अतुल्य घोष को गुप्त बैलट से डर लगता है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने दुर्गापुर जाकर इंटक के कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई थी और हड़ताल करने के लिए दुरुत्साहित किया था ? श्री अतुल्य घोष भी वहां पर उपस्थित थे। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस आरोप के बारे में जांच की जायेगी और यदि हां, तो सरकार कब तक इस पहलू पर रोशनी डालेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है कि यह आरोप बिल्कुल गलत है वह दुर्गापुर स्कैल्प मिल का उद्घाटन करने गये थे। उन्होंने इंटक सम्मेलन में भी भाग लिया था। यह सम्मेलन इस घटना के होने के लगभग $1\frac{1}{2}$ से 2 घंटे पहले हुआ था।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Sir, it was more than three months back that this incident took place. From the reply of the Hon. Minister it appears that the political pressure from the Deputy Prime Minister's and Bengal's congress leader Shri Atulya Ghosh's side may hush up this matter. May I, therefore, know as to how much time is likely to be taken to complete this high level enquiry and whether this problem will be solved without any political pressure ?

Shri P. C. Sethi : The enquiry is being made by the local police and therefore it is difficult for me to say as to when the same will be completed. As far as the question of political pressure is concerned I may tell the Hon. Member that neither side can come under political pressure. We have fully authorised the Plant authorities to do whatever they think proper under law and order.

Shri George Fernandes : For how long the equiry will continue ?

Shri P. C. Sethi : The police is making an enquiry and for me it is difficult to say when the same will be completed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री चवन का पुलिस पर कमान है । वह बतला सकते हैं ।

श्री विक्रम चंद महाजन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री मोरारजी देसाई, उप-प्रधान मंत्री तथा श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं क्या मंत्री महोदय दांये तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों की एक जांच समिति बनाना चाहेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आरोप बिल्कुल गलत है । अत: जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, Sir, fortunately or unfortunately I was also a member of the team that visited Durgapur. Hence I want to make one clarification here. Our Hon. Member, Shri Jyotirmoy Basu had made a mention in his question that the Division-in-charge had promised to the team of Members of Parliament during negotiations that he will see that this union of INTUC, run by the Government, is declared illegal. But as far as I remember he had not made any such promise. Moreover it will not be proper for us to hold any officer guilty. Only it was said from our side whether our this suggestion will be considered by you that the union whose members had done so should be declared illegal ?

My second point is that if the party over which we have the responsibility of administration and defence appears to be a devil then we should ponder over the matter. We had asked whether this thing will be enquired into or not either by Central Intelligence or by any other branch of the Intelligence as to whether any other power had a hand behind this sabotage ?

Shri P. C. Sethi : As far as the question of Director-in-charge is concerned he had not given any such assurance that he will declare anything illegal but on the other hand he had said that he will take proper and legal action into the matter and he has taken proper and legal action accordingly. The whole matter has been referred to the Election Committee of State Government and we will be waiting till their verdict is received.

Shri Shashi Bhushan : This House is of the opinion, as you know, that the persons responsible for the sabotage should be dealt with severely. This opinion is also before you that though the enquiry has been delayed but the persons against whom the enquiry is being made, at least they should be removed from the Trade union so that they may not do any such thing in future.

Shri P. C. Sethi : I have said both the things that as far as the question of enquiry is concerned the Police is doing the same and as far as the question of derecognition goes this thing has been referred to the Abolition Committee. The decision will be taken on it on the receipt of their verdict.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा सुरक्षित रखने के लिए सुविधायें

*484. **डा० रानेन सेन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री एम० नारायण रेड्डी

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा सुरक्षित रखने के लिए सुविधाएं पुरानी किस्म की हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा सुरक्षित रखने की पद्धति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत में निर्मित होने वाले कई खाद्य उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मार्कों से भली प्रकार मुकाबला कर सकते हैं। हां, कई क्षेत्रों में मशीनीकरण तथा आधुनिक मशीनी उपकरणों के प्रयोग की गुंजायश है। परिष्कृत खाद्यों के निर्यात में लगे एककों को ऐसे आधुनिक उपकरणों से सज्जित होने में, जो कि देश में उपलब्ध नहीं हैं, सहायता की जा रही है। खाद्य तकनीक में प्रशिक्षण केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था मैसूर में दिया जाता है। जहां कि आधुनिक तकनीकी का विकास किया गया है और आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है।

बल्गेरिया और रूमानिया द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई

*485. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसके अतिरिक्त बल्गेरिया और रूमानिया ने भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सस्ते ट्रैक्टरों की सप्लाई तथा भारत में उनका निर्माण आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्यागिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

देशी साधनों से ट्रैक्टरों की मांग और उपलब्धता को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टरों के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बल्गेरिया, रूमानिया,

रूस से ट्रैक्टरों की सप्लाई के बारे में पेशकश की गई है। कृषि विभाग द्वारा चालू वर्ष में इन देशों से ट्रैक्टरों का आयात किये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :

1. रूस से डी० टी०	= 14 बी ट्रैक्टर	6,000 संख्या
2. रूस से 50 अश्व शक्ति के बाइलेरस ट्रैक्टर		500 संख्या
3. रूमानिया से 50 अ० श० के यूटोस=2 ट्रैक्टर		500 संख्या

2. सरकार को इन देशों के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये योजनायें भी प्राप्त हुई हैं।

रूस के मैसर्स प्रोमा एक्सपोर्ट तथा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट के सहयोग से डी० टी०-14 बी के निर्माण करने की योजना को आंशिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है और भारतीय पार्टी से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आवेदन पत्र अवस्था भाजित उत्पादन कार्यक्रम तथा सहयोग करार की अन्तिम रूप रेखा प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

भारतीय पार्टी जो रूमानिया के मैसर्स इन्डस्ट्रीयल एक्सपोर्ट से सहयोग करना चाहती है, उससे पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आवेदन-पत्र तभी पुनरीक्षित उत्पादन कार्यक्रम को 31-12-1968 तक प्रस्तुत कर देने के लिये कहा गया है।

पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 13 अ० श० के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये बल्गेरिया के मैसर्स एग्रोमशीन एण्ड ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र बुदिनी में उनके द्वारा निर्मित किए जाने वाले ट्रैक्टर के आद्य रूप को प्रस्तुत करने के लिए उनसे कहा गया है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र बुदिनी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात ही उनके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

Indian Goods Seized and Released by Pakistan Lying at Bombay Port

*486. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian goods seized by Pakistan during the Indo-Pak conflict of 1965 had been released in July-August, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that these goods are lying at Bombay port ; and

(c) if so, the reasons for delay in despatching these goods to their proper destinations ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Out of the cargoes seized during the Indo-Pakistan conflict in 1965, the Pakistan Government has since August, 1966 been releasing only the aid and neutrally insured cargoes. Till the end of September, 1968, 13,250 packages of such cargoes were unloaded in Bombay, 502 thereof being in the months of August and September, 1968. Only 479 packages remain uncleared excluding 36 packages reported missing.

(c) In the absence of shipping documents and applications for their clearance, it has, so far not been possible to ascertain the consignees. Bombay Port Trust Authorities are continuing their efforts to ascertain the consignees through Marine Insurance Companies etc.

Production in Steel Plants

*487. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of steel produced in each of the three Steel Plants in the public sector during the first six months of 1968;

(b) whether it is a fact that the strike by employees and workers of the said Plants had an adverse effect on the production of steel ;

(c) if so, how this deterioration compares with the production of last year ; and

(d) the measures adopted to increase the production ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The production of saleable steel at the three steel plants at Durgapur, Bhilai and Rourkela during January-June, 1968 and the corresponding period in 1967 was as under :

('000 tonnes)

	January-June, 1968	January-June, 1967
Durgapur	273.7	261.5
Bhilai	554.2	659.5
Rourkela	364.0	312.6

Production was affected adversely on account of disturbed Industrial relations mostly at Durgapur. At Bhilai production was affected on account of other reasons like recessionary trends, lack of adequate internal orders for the Rail Mill, concentration on production of pig iron for export, post-commissioning time required for the Wire Rod Mill to reach capacity production etc. Production is expected to improve as a result of the commissioning of some of the remaining expansion units of the Rourkela Steel Plant ; commissioning of oxygen injection facilities at Bhilai and greater utilization of expansion facilities at Durgapur ; diversification of production ; anticipated rise in internal demand and larger exports etc.

संयुक्त सन्यन्त्र समिति

*488. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित मूल्य सब सम्बन्धित पक्षों पर अनिवार्यतः लागू होते हैं ;

(ख) यह समिति किस-किस निधि का संचालन करती है ;

(ग) वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक इन निधियों में से प्रत्येक निधि में पृथक-पृथक कुल कितनी आय हुई तथा कुल कितना धन खर्च हुआ ; और

(घ) इसी समिति के वित्तीय लेन देन के लेखे रखने तथा उनकी लेखा परीक्षा करने की क्या व्यवस्था है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। संयुक्त सन्यन्त्र समिति द्वारा घोषित मूल्यों को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति तीन निधियों का प्रबन्ध करती है—लोहा और इस्पात भाड़ा-समकरण निधि, पुनर्बेलक-भाड़ा अन्तर निधि, और इन्जीनियरी वस्तु निर्यात सहायता निधि।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संयुक्त संयंत्र समिति के प्रबन्ध में तीन निधियों की आय व्यय का ब्योरा

1. **लोहा और इस्पात भाड़ा समकरण निधि (जो 1-3-64 से चालू है)**

वर्ष	आय	व्यय	घाटा/नफा
1964-65	2,14,15,493.45	2,66,80,964.19	52,65,470.74 (—)
1965-66	1,88,26,368.82	3,44,93,270.88	1,56,66,902.06 (—)
1966-67	2,33,52,366.50	2,27,80,076.38	5,72,290.12 (+)
1967-68	2,05,31,159.63	1,59,82,362.98	45,48,796.65 (+)

वास्तविक घाटा 1,58,11,286.03 रुपये

2. **पुनर्बेलक-भाड़ा-अन्तर निधि (जो 1-2-68 से चालू है)**

1967-68	19,89,240.29	15,66,322.41	4,22,917.88 (+)

3. **संयुक्त संयंत्र समिति इन्जीनियरी वस्तु निर्यात सहायता निधि (जो 2-5-67 से चालू है)।**

1967-68	1,87,06,652.00	1,11,30,465.67	75,76,186.33 (+)

(घ) संयुक्त संयंत्र समिति का हिसाब किताब एक चार्टर्ड एकाउन्टेट के जिम्मे है और हिसाब किताब की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की एक प्रसिद्ध फर्म करती है।

मैसर्स किलिक्क इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई

*489. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में बम्बई की फर्म मैसर्स किलिक्क इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड के स्वामित्व में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस कम्पनी में प्रमुख अंश खरीदे हैं ;

(ग) नये मालिकों द्वारा किन शर्तों पर कम्पनी के अंश खरीदे गये हैं ; और

(घ) उन फर्मों के नाम तथा अधि-आस्तियां क्या हैं जिनकी मालिक पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से मैसर्स किलिक्क इन्डस्ट्रीज लिमिटेड है अथवा जिसका प्रबन्ध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से इस कम्पनी के हाथ में है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है और यह उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Use of Iron Scrap for Running Steel Mills

*490. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Steel Mills can be run with iron scrap in regions like North-West India, Assam and Kerala where iron, stone and coal are not available but electricity is available at cheap rates ;

(b) if so, the reasons for export of iron scarp by Government ;

(c) whether it is also a fact that iron scarp is produced in large quantities in the process of consumption of iron and production in various industries ; and

(d) if so, the details of the scheme prepared for the consumption of iron scrap during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) I presume that the Hon. Member means 'steel scrap' when it is said 'iron scrap'. Steel scrap and electricity are the two major raw-materials for producing steel in the elecctric arc furnaces. Such furnaces can be located anywhere depending upon the economic availability of raw-materials and existence of market for consumption of its products nearby. Steel, thus produced in the electric arc furnaces can either be used for casting in the foundries or in the rolling mills.

At present almost all our alloy steel making units and some of the steel foundries and secondary producers are making steel in the electric arc furnaces based on indigenous scrap. One Plant with a capacity of 50,000 tonnes per annum at Arkonam in Madras is under construction and it will have facilities for converting steel into billets. The capacity of this plant can be doubled depending upon the availability of additional scrap required in the area and consumption of its products in the Southern markets.

(b) Export of heavy melting scrap, which is presently used in the electric arc furnaces in the country for making steel, is banned. Export of other scrap like turnings, borings etc. surplus to the requirements of the existing electric arc furnaces is allowed.

(c) Arising of scrap is inevitable in the metal process and working industries.

(d) The Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. has been entrusted with a study to assess the availability of steel scrap in the country and suggest various locations for electric furnaces and continuous casting units. Their full report is awaited.

However, provision is being included in the Fourth Plan for creating additional steel melting capacity of 150,000 tonnes per annum based on scrap.

Production of Liquor

*491. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Narain Swarup Sharma:**
Shri Jagannath Rao Joshi: **Shri Ranjit Singh:**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the capacity in regard to production of liquor in the country in 1947 and the capacity thereof at present;

(b) the quantity of liquor for the production of which new licences have been given in various states during this period ; and

(c) the quantity of liquor for the production of which licences are proposed to be given between 2nd October, 1968 to 2nd October, 1969?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Liquor includes different types of potable spirits and is produced in the distilleries which make different grades of alcohol. According to the Report of the Tariff Commission on the revision of ceiling prices of alcohol (1965), 19 distilleries with a total production of 60,000 kilo litres were in existence in 1947. Information about the exact quantity of liquor produced in 1947 is not available and is being collected. The number of distilleries in the organised sector at present is 65 with a capacity of 3.12 lakhs kilo litres per year. The production of liquor in the organised sector during 1967 was of the order of 26,000 kilo litres.

(b) Only one licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 has been granted for an annual capacity of 500 kilo litres in April, 1960.

(c) Two applications have recently been received for grant of licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. These are under the consideration of Government.

मैंगनीज पर से निर्यात शुल्क हटाना

*492. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वाणिज्य तथा वित्त मंत्रालयों से सिफारिश की है कि सभी ग्रेडों के कच्चे मैंगनीज पर से निर्यात शुल्क हटाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हां।

(ख) मैंगनीज अयस्क पर निर्यात शुल्क हटाया नहीं गया है। उद्योग को सहायता प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रूस के सहयोग से कानपुर में जूतों का कारखाना

*493. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से कानपुर में जूतों का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी और उस पर कितनी राशि व्यय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच वित्त तथा अन्य बातों सम्बन्धी क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सोवियत संघ के सहयोग से जूतों का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अभी तक इसके स्थान, उत्पादन क्षमता अथवा पूंजी निवेश के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। फिर भी उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। कारखाना स्थापित करने के लिये वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Trade with East European Countries

*494. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of goods exported by India to the U.S.S.R. and other East European countries during the last three years (year-wise and country-wise) ;

(b) the quantity out of that exported by the State Trading Corporation and by other agents ; and

(c) the names and addresses of those agents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A statement showing the volume of goods exported by India to the U.S.S.R. and other East European countries during the last three years is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2467/68]**

(b) and (c). A statement showing the volume of exports made by the State Trading Corporation to these countries is also laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2467/68]** As for the balance, exports are being effected by several business firms in the private sector as well as organisations in the public sector and full particulars are *not* readily available.

देवनागरी लिपि में स्टेशनों के नाम लिखना

*495. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और मद्रास में स्टेशनों के नाम दर्शाने वाले बोर्डों पर से देवनागरी लिपि में नाम बिल्कुल मिटा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल नहीं उठते ।

औद्योगिक उत्पादन

*496. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम हो रहे औद्योगिक उत्पादन को, विशेषकर छोटे पैमाने उद्योग क्षेत्र में, बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को क्या सुविधायें तथा प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में दुर्लभ कच्चे माल तथा आयातित कच्चा माल की मांग को किस हद तक पूरा किया जा रहा है, और क्या सप्लाई की स्थिति अच्छी होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु उद्योग क्षेत्र में मन्दी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डा० पी० एस० लोकानाथन की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति 1967 में की गई थी । दल ने अल्पावधि तथा दीर्घावधि के उपाय सुझाए थे ताकि उद्यमियों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले । दल का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को यथासम्भव पूरा किया जाता है । प्राथमिकता प्राप्त उद्योग की पिछली खपत के आधार पर आयातित कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है । अप्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आयातित कच्चे माल की अनुमति उनके गत वर्ष के आयात लाइसेंस के आधार पर दी जाती है । क्योंकि उन्हें किसी भी माल के पुनः आयात करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता इसलिए वे अपनी आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते । भारतीय सम्भरण की स्थिति कई तत्वों पर आधारित है जिनमें आयातित कच्चे माल के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा और देश में उपलब्ध कमी वाले कच्चे माल का उत्पादन भी सम्मिलित है ।

बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन, लिमिटेड

*497. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई को आयात लाइसेन्स जारी किया गया था कि केवल रुपया चलार्थ वाले क्षेत्र (पूर्वी यूरोप के देशों से) आक्सीजन के लिये गैस सिलन्डर खरीदे ;

(ख) क्या समवाय विधि विभाग के इन्सपेक्टर ने सिलिन्डरों के तुलनात्मक मूल्यों के बारे में अन्य रुपया चलार्थ क्षेत्रों से पूछताछ की थी, और यदि हां, तो आर्डर देने से पूर्व कम्पनी को इन देशों से प्राप्त पेशकशों तथा भावों का विवरण क्या है ; और

(ग) क्या प्रवर्तन विभाग द्वारा विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के बारे में की जाने वाली जांच समाप्त हो गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच की जा रही है ।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय ने सूचना दी है कि जांच बन्द की गई समझी गई है ।

हंगरी से व्यापार

*498. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हंगरी के साथ हमारा वार्षिक व्यापार कितना है ; और

(ख) हंगरी को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विगत दो वर्षों में हंगरी के साथ भारत के व्यापार की स्थिति निम्नलिखित है :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	हंगरी से आयात	हंगरी को निर्यात	कुल व्यापार
1966-67	13.28	11.34	24.62
1967-68	11.72	12.82	24.54

उपरिलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है कि हंगरी को हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं और उस देश से किये जाने वाले आयातों से अधिक हैं । अधिक निर्यात सम्भाव्यताओं वाली मदों का, भारत द्वारा हंगरी में हुए व्यापार मेलों में भाग लेकर तथा व्यावसायिक उद्यमों के प्रतिनिधियों और सरकारी प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राओं द्वारा पता लगाया गया है ।

पालघाट के निकट सूक्ष्म औजार कारखाना

*499. **श्री जनार्दनन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री सी० के चक्रपाणि : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट के निकट सूक्ष्म औजार कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को त्याग देने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) क्या इस निर्णय से केरल के लोगों में व्यापक रूप से असंतोष फैल गया है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को त्याग दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने तथा केरल में कारखाना स्थापित किये जाने, जैसा कि मूल प्रस्ताव था, की कोई सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). पालघाट में मशीनी औजारों के कारखाने की क्रियान्वित स्थगित करने के लिए एक अस्थायी निर्णय किया गया है। उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी में बहुत कमी होने से तथा साथ ही औजारों की आवश्यकता के अनुमानों में कमी होने से सरकार ने राजस्थान के कोटा में और केरल के पालघाट में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के दो कारखानों में उत्पादन के प्रश्न पर पुनर्विचार किया। कोटा वाले कारखाने आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये जिसमें इस बीच उत्पादन आरम्भ हो गया है। सरकार का विचार है कि इस समय पालघाट वाली परियोजना को स्थगित करना आवश्यक होगा और सीमान्त अतिरिक्त विनियोग द्वारा कोटा के कारखाने में ही उन औजारों का उत्पादन कराया जाये जिनकी योजना पालघाट कारखाने के लिये की गई थी। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि दोनों कारखानों के औजारों के उत्पादन की मात्रा एक दूसरे की पूरक है।

इस विषय पर तथा सम्बन्धित विषयों पर अंतिम निर्णय अभी सरकार द्वारा किया जाना है।

Late Running of Trains

*500. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri K. Lakappa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a constant increase in the complaints in regard to late running of trains ;

(b) whether it is also a fact that it has become a common feature of passenger trains that they do not reach their destinations in time ; and

(c) if so, whether any new measures are proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes Sir ; there have been complaints regarding late running of trains.

(b) Late running is not a common feature, but in a majority of cases factors like failure of communications due to theft of copper wire, Alarm Chain pulling, agitations, etc. result in late running of trains specially on single line congested sections. A statement indicating the percentage punctuality of passenger carrying trains on the Indian Railways during the period 1957-58 to 1967-68 is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-2468/68]**

(c) No effort is being spared to further improve the punctuality of passenger carrying trains to the maximum extent possible by eliminating all avoidable causes of detentions and late running.

Laying of Railway Lines

*501. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while on the one hand arrangements are under-way to run electric trains in place of the trains at present hauled by steam locomotives on broad gauge lines on the other hand railway lines are not being laid in areas where they are essential from security and transport point of view ;

(b) how far there is justification for running electric trains on the already well-managed railway lines in the developed areas and not laying railway lines in several important areas where work regarding construction of canals is proceeding vigorously ; and

(c) whether in principle and from practical point of view it is proper that special attention should be paid to laying railway lines in all those areas where they are absolutely essential ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Both electrification of existing lines and the laying of new lines is undertaken only after the need is fully established, after proper study.

(b) Electrification is carried out only on those sections where steam traction is found unable to cope with the increasing traffic demand.

(c) Yes, but construction of new lines can only be undertaken after proper study and justification.

कच्चे पटसन का आयात

*502. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की कमी के कारण सरकार ने विदेशों से कच्चे पटसन का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयात के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इण्डियन जूट मिल्स एसोशिएशन के अनुमान के अनुसार मांग से यह लक्ष्य कितना कम है; और

(घ) देश के अन्दर के साधनों से सप्लाई तथा खपत में समता लाने के विचार से देश में कच्चे पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पटसन आयुक्त तथा पटसन उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य सम्बद्ध पक्षों की एक समिति गठित की गई है जो कच्चे पटसन के आयात के लिये पटसन तथा पटसन माल रक्षित भण्डार संघ द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये आवेदनपत्रों की पड़ताल करेगी । इस समिति की सिफारिशों पर लगभग 2.7 लाख गांठों के आयात प्राधिकृत किये गये हैं । संघ द्वारा जब भी आवेदन-पत्र दिये जायेंगे तब अतिरिक्त आयातों पर विचार किया जायेगा ।

कच्चे पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

1. प्रत्येक मौसम में पटसन के न्यूनतम समर्थक मूल्य नियत किये जाते हैं और मूल्यों को सहारा देने के लिए खरीद की जाती है ।

2. बढ़िया किस्मों के मूल्य नियत करते समय अपेक्षाकृत अच्छी किस्म के रेशे के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये उचित प्रीमियम दिया जाता है ।

3. विस्तृत क्षेत्रों में दुहरी फसलें उगाने, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग आरम्भ करने और सघन खेती को अपनाने जैसे उपायों से प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर पटसन उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है ।

4. पटसन उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए उपदान तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*503. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई थी, उनकी पदावधि तथा नियुक्ति की शर्तें क्या हैं;

(ख) अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी के कारण इस कम्पनी को कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जांच की गयी थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस कम्पनी के कार्य का कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है; यदि हां, तो

उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं तो क्या उसके कार्य-संचालन का सुधार तथा उसकी कमियों का पता लगाने के लिये सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल के वर्तमान सदस्यों के नाम और उनकी नियुक्ति की तारीख निम्नलिखित है :—

नाम	मंडल में नियुक्ति की तारीख
1. श्री के० टी० चांदी (अध्यक्ष)	30-5-1968
2. श्री ए० एन० बनर्जी (उपाध्यक्ष)	2-8-1967
3. श्री माइकेल जान	13-9-1956
4. श्री पी० एल० टण्डन	1-4-1961
5. श्री टी० एस० कृष्ण	1-4-1963
6. श्री टी० आर० गुप्ता	8-4-1965
7. श्री के० एस० भण्डारी	28-3-1966
8. मेजर जनरल बी० पी० बढ़ेरा	28-3-1968
9. श्री आर० पी० सिन्हा	8-8-1968
10. श्री जी० जगतपति	8-8-1968
11. श्री पी० सबानायगम	19-9-1968

निदेशकों की नियुक्ति किसी निश्चितकाल के लिए नहीं होती परन्तु कम्पनी के अन्तर्नियमों के अधीन राष्ट्रपति की स्वेच्छानुसार किसी भी निदेशक को किसी भी समय निदेशक के पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। पूर्णकाल निदेशकों को उनके पदों का वेतन दिया जाता है और अंशकाल निदेशकों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर 100 रुपये मानदेय के रूप में तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ख) गत चार वर्षों में सामान की चोरी आदि के कारण हुई हानि 50,000 और 2,00,000 रुपये के बीच है। स्टाक, फालतू पुर्जों, कच्चा माल, तैयार उत्पादों आदि के प्रत्यक्ष सत्यापन करने से भी कुछ अन्तर पड़ जाता है जो कि मुख्यतया खपत, उत्पादन, वर्गीकरण और वस्तुगत-पड़ताल के अनुमान लगाने में होने वाली भूल-चूक के कारण होता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) कम्पनी के कार्य-करण का निदेशक-मंडल और सरकार द्वारा सतत पुनर्विलोकन किया जाता है और त्रुटियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है। इस काम के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का विचार नहीं है।

भारतीय माल का पुनः निर्यात

*504. **श्री रा० बरुआ :** **श्री धी० ना० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन पूर्व यूरोपीय देशों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने भारतीय माल का पुनः निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनसे कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(घ) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). जब कभी भारतीय माल के पुनः निर्यात की शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं, तब उपयुक्त कार्यवाही की जाती है और जहां आवश्यक होता है सम्बद्ध सरकारों के साथ मामले पर बातचीत की जाती है।

Fire in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*505. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police have since completed investigations into the fire-incidents that took place in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, in 1964 ;

(b) if so, the number of persons against whom suits have been filed in the court and whether the court has passed any judgement in this regard ;

(c) whether Government have received indication through Central or State Government sources that some foreign power had a hand in those incidents ; and

(d) if so, the names of the foreigners or the foreign missions responsible for these subversive activities and the action proposed to be taken by Government against them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Eight persons have been committed to the Court of Sessions for trial. The case is **sub-judice.**

Profits Earned by State Trading Corporation

*506. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any ceiling on the margin of profit which can be earned by the State Trading Corporation on the import and export of goods ;

(b) if so, the percentage of profit fixed by Government for the State Trading Corporation on the price of a commodity ; and

(c) whether it is also a fact that at present the State Trading Corporation is earning more profit in an arbitrary manner as compared to a common businessman ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

रेलवे में डीजल से रेलगाड़ियां चलाने का कार्यक्रम

*507. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि डीजल से रेलगाड़ियां चलाये जाने के कार्यक्रम को धीमी गति से क्रियान्वित करे ताकि रेलवे द्वारा कोयले की खपत बहुत अधिक कम न हो जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). रेलवे मंत्रालय का, उनकी डीजलीकरण कार्यक्रम की गति के पुनर्विलोकन की आवश्यकता की ओर, ध्यानाकर्षित किये जाने के परिणामस्वरूप एक पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

गाड़ियों का देर से चलना

*508. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों के देर से चलने की सूचना देने तथा जांच पड़ताल करने के बारे में क्या आदेश है ;

(ख) क्या सर्व प्रथम काफी विलम्ब (पांच मिनट से अधिक) के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बारे में कोई हिदायतें हैं;

(ग) जिन मामलों में देरी को टाला जा सकता था, क्या उन मामलों में दण्ड दिया गया था और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण थे और यदि हां, तो पिछले वर्ष कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया; और

(घ) विलम्ब की रिपोर्ट किस स्तर तक के अधिकारियों को परिचालित की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सवारी ले जाने वाली गाड़ियां जब अनुसूचित स्थानों पर स्टेशन मास्टरों, गार्डों, ड्राइवरों आदि द्वारा रोकी जाती हैं, तो उन सभी मामलों की रिपोर्ट नियंत्रण कार्यालय को की जाती है, जहां सवारी गाड़ियों के एक मंडल से दूसरे मण्डल में चलने का सतत रिकार्ड रखा जाता है । इस तरह गाड़ियों के रोके जाने से सम्बन्धित ब्योरे की

जांच सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों के सम्बन्ध में मण्डल कार्यालय में और डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में प्रतिदिन की जाती है और, जहां आवश्यक हो, इस सम्बन्ध में आगे छानबीन की जाती है ।

(ख) सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के न केवल पहले भारी विलम्ब के लिए, बल्कि अनुसूचित स्थानों पर उल्लेखनीय रूप से रोके रहने से सभी मामलों के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने के सम्बन्ध में विशिष्ट हिदायतें मौजूद हैं ।

(ग) गाड़ियों के रोके जाने के हर मामले पर, उसके गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है और जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों को समुचित दण्ड दिया जाता है । सवारी गाड़ियों के रोके जाने के मामलों में एक वर्ष में लगभग 14,000 रेल कर्मचारियों को दण्ड दिया गया ।

(घ) मण्डलों में, सवारी गाड़ियों के चालन पर मण्डल अधीक्षक और शाखा अधिकारी निगरानी रखते हैं । हर क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन पर प्रतिदिन उपमुख्य परिचालन अधीक्षक के अलावा मुख्य परिचालन अधीक्षक और महाप्रबन्धक भी निगरानी रखते हैं । अलग-अलग रेलों में गाड़ियों के समय पर चलने की क्या प्रवृत्ति है, इस सम्बन्ध में दस-दस दिनों की और मासिक रिपोर्टों के आधार पर रेलवे बोर्ड में निगरानी रखी जाती है । लम्बी दूरी वाली कुछ चुनी हुई डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के दिन-प्रति-दिन के समय-पालन पर रेलवे बोर्ड में उच्चतम स्तर पर विशेष निगरानी रखी जाती है ।

औद्योगिक नीति संकल्प

*509. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संकल्प में कोई संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के कार्यों में अब तक कोई मौलिक त्रुटियां नहीं पाई गई हैं । अतः इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजनैतिक दलों को चन्दा

*510. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में किन्हीं कम्पनियों ने समवाय विधि के अन्तर्गत दी जा सकने वाली अपने कुल लाभ की 5 प्रतिशत राशि से अधिक राशि राजनैतिक दलों को चन्दा के रूप में दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और दिये गये चन्दे का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). 1965-66 से 1967-68 की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम की धारा 293-ए के अन्तर्गत विहित सीमाओं से अधिक राजनैतिक अंशदान का, केवल एक मामला सरकार को दृष्टिगोचर हुआ है। यह डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसने 31-3-1967 की वर्ष समाप्ति में, 60,000 रु० का अंशदान कांग्रेस पार्टी को दिया।

केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

2980. **श्री जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से राज्य में चार और ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी देने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद): (क) केरल राज्य सरकार ने अपने हाल के पत्र में राज्य में नई तीन ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अनुरोध किया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

काजू की गिरियों का निर्यात

2981. **श्री जनार्दन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में केरल से कुल कितनी मात्रा में काजू की गिरियां निर्यात की गईं तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई;

(ख) गत पांच वर्षों में भारत ने कितनी मात्रा में काजू का आयात किया तथा उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने देश को कच्चे काजू के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 148.56 करोड़ रु० मूल्य की 2,44,614 मे० टन ।

(ख) 79.57 करोड़ रु० मूल्य की 7,94,601 मे० टन ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5.18 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में काजू बोने का विचार है । क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त 46,000 एकड़ के विद्यमान क्षेत्र में इन बागानों से अधिकतम उत्पादन करने तथा नये बागान क्षेत्रों का एकीकरण तथा देखभाल के लिये एक सर्वांगीण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है । चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित अन्य योजनाओं में ये कार्य शामिल हैं । वनस्पति प्रसूत पौध सामग्री अधिक उपज देने वाले फलदार वृक्षों की गूटी बांधना, उर्वरक प्रयुक्त करने के प्रदर्शन दिखाना, पौध संरक्षण उपाय, आदि तथा वांछनीय लाभप्रद स्वरूप के अधिक उपज देने वाले पेड़ों का पता लगाना सुकर बनाने के लिये बीज वाले पेड़ों की प्रतियोगिता की एक योजना ।

(ङ) क्षेत्र विस्तार योजना को छोड़कर अन्य योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप से आरम्भ करने का विचार है और इनके लिए 95.50 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है । क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम पर 1637.50 लाख रु० की लागत का अनुमान है जिसमें ऋण के लिये 1,200 लाख रु० भी शामिल है ।

Support Price for Cotton

2982. **Shri Deorao Patil :**
Shri Niti Raj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the minimum and support prices of cotton have been fixed for 1968-69 and not in respect of raw cotton ;

(b) if so, the action being taken to fix the minimum and support prices of raw cotton ;

(c) whether it is also a fact that the existing prices of raw cotton are un-remunerative to its growers ;

(d) whether it is also a fact that during the season when the raw cotton comes in the market, its prices further go down ; and

(e) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to ensure reasonable price to cotton growers and to check the fall in its production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). Presumably the Hon. Member means 'kapas' (ungrined cotton) by the expression "raw cotton". If so, it is a fact that the minimum support prices fixed at present by Government are not in respect of "kapas" but are only in respect of cotton (lint).

The question of fixing minimum support prices for "kapas" has been examined. It has, however, not been found practicable to fix prices on that basis in view of a number of difficulties involved such as large variations in the proportion by weight of seed, and absence of precise criteria for determining the quality of any lot of "kapas", prior to ginning.

(c) No, Sir.

(d) and (e). A slight fall in cotton prices is normal when there are brisk arrivals of the new crop. Such a seasonal phenomenon does not, however, call for any special remedial measures.

जम्मू के लिये रेलवे लाइन

2983. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, जम्मू के लिये रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी, नहीं ।

(ख) आशा है, इस लाइन का निर्माण-कार्य 1971 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

हैवी प्लेट तथा वेसल्स प्रोजैक्ट

2984. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस हैवी प्लेट तथा वैसल्स प्रोजैक्ट की क्या स्थिति है जिसको सरकार ने चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के सहयोग से स्थापित करने का सोचा था;

(ख) क्या चैकोस्लोवाकिया में परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का इस परियोजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक कुप्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि० के नाम की एक कम्पनी 25 जून, 1966 को निगमित की गई थी । तब से इस परियोजना का कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है । कारखाने के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया है और कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक क्षेत्र को एकसार कर लिया गया है । अधिकांश सिविल निर्माण तथा

इस्पात के ढांचे बनाने के काम के लिए ठेकों के बारे में निर्णय कर लिया गया है और आर्डर दे दिए गए हैं। लगभग 2 करोड़ रु० के मूल्य के उपकरणों के लिए मे० स्कोटाइक्सपोर्ट, चैकोस्लोवाकिया को आर्डर दिये जा चुके हैं और कारखाने के स्थल पर लगभग 24 लाख रु० के उपकरण आ चुके हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि लगभग 40 लाख रुपये के मूल्य के उपकरणों की दूसरी किश्त आने वाली है। आशा की जाती है कि मार्च, 1969 के अन्त तक लगभग 160 लाख रुपये के उपकरण कारखाने के स्थल तक पहुंच जायेंगे। अधिकांश देशी उपकरणों के लिए भी आर्डर दे दिये गये हैं। कारखाने की एक मुख्य इमारत का निर्माण आरम्भ हो गया है और मार्च, 1969 तक उसके पूरे हो जाने की आशा है। आशा की जाती है कि अगले कुछ महीनों में कम्पनी सादा किस्स के कुछ उपकरणों का उत्पादन आरम्भ कर देगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल के लिये व्यापार प्रतिनिधि मंडल

2985. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल हाल में नेपाल गया था, उसके सदस्यों के क्या नाम हैं, उनकी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला है;

(ख) नेपाल से क्या-क्या वस्तुए भारत में लगातार तस्करी से लायी जा रही हैं तथा इस कारण भारत के राजकोष को प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि हो रही है; और

(ग) नेपाल के साथ 1960 में हुई संधि की शर्तों का पूरी तरह पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। बातचीत का निष्कर्ष संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है जिसकी एक प्रति वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री श्री वी० आर० भगत द्वारा पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

(ख) नेपाल से भारत में तस्करी के रूप में जो वस्तुएं समय-समय पर पकड़ी गई हैं वे उपभोक्ता प्रयोग की वस्तुएं हैं जैसे कि हाथ की घड़ियां, फाउन्टेपेन, सिगरेट के लाइटर, टार्च, ट्रांजिस्टर, कैमरे, ब्लेड्स आदि। इन पदार्थों के मूल्य का सही अनुमान लगाना अथवा उनसे हुई हानि का आकलन लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) नेपाल के साथ की गई व्यापार तथा परिवहन संधि 1960 की शर्तों का दोनों सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। इसकी शर्तों के उल्लंघन को रोकने तथा संधि की भाषा तथा भावना के विपरीत व्यापार के मोड़ अथवा फेर को रोकने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

विवरण

भारतीय प्रतिनिधि मंडल

1.	श्री वी० आर० भगत, वैदेशिक कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार ।	नेता
2.	श्री के० वी० लाल, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ।	सदस्य
3.	श्री ए० वी० भडकमकर, संयुक्त सचिव, वैदेशिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।	,,
4.	श्री एस० पी० कम्पानी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।	,,
5.	श्री जे० एब्राहम, सलाहकार, भारतीय दूतावास, काठमांडू ।	,,
6.	श्री वी० पी० साहनी, उप-सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ।	,,

महाराष्ट्र में सोने के खनिज भंडार

2986. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा तथा नागपुर जिलों में सोने के निक्षेपों का लाभ उठाने के लिये भारत के भू-भौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समाजवादी देशों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सोने के लिये महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों का प्रारंभिक अन्वेषण प्रगति पर है ।

(ख) जी, नहीं ।

यवतमाल-अचलपुर छोटी रेलवे लाइन का सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

2987. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यवतमाल-अचलपुर छोटी रेलवे लाइन एक गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा चलायी जाती है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इस लाइन के स्वामित्व को निजी कम्पनी से अपने हाथ में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। यद्यपि इस लाइन की मालिक सेन्ट्रल प्राविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड है फिर भी इसका संचालन सरकार मध्य रेलवे के जरिये करती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता ?

यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन पर स्टेशनों में प्लेटफार्मों पर शेड

2988. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन पर यवतमाल, दरवाह, मुर्तियाजपुर तथा करंजा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी यात्रियों के धूप तथा वर्षा से बचाव के लिये प्लेटफार्मों पर शेडों की व्यवस्था नहीं की गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि चलती गाड़ियों में पंखे तथा रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये सरकार का विचार उक्त प्लेटफार्मों पर शेडों की व्यवस्था करने तथा चलती गाड़ियों में पंखों तथा रोशनी का प्रबन्ध करने और मुख्य स्टेशनों पर बिजली लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यात्रियों को प्रतीक्षा की सुविधा देने के लिए यवतमाल, दारव्हा और करंजा सहित अधिकांश स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गयी है। कुछ स्टेशनों पर पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय भी बनाये गये हैं।

(ख) जी नहीं। सी० पी० रेलवे कम्पनी के छोटी लाइन के 42 डिब्बों में से 21 में पंखों की व्यवस्था कर दी गयी है लेकिन रोशनी की व्यवस्था सभी डिब्बों में हो गयी है।

(ग) प्लेटफार्मों पर शेड की व्यवस्था करने, जिन डिब्बों में इस समय पंखे नहीं हैं, उनमें पंखे लगाने और स्टेशनों पर बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि इस लाइन पर सी० पी० रेलवे कम्पनी का स्वामित्व है और उसने इस तरह के सुधारों के लिए धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

चाय निर्यात

2989. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960 से 1968 तक की अवधि में वर्षवार तथा देशवार, कुल कितने मूल्य की चाय का विदेशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2469/68]

निर्यात तथा आयात सलाहकार समितियां/परिषदें

2990. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक जो आयात तथा निर्यात व्यापार सलाहकार समितियां अथवा परिषदें गठित की हैं उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इस समय वास्तव में कितनी समितियां अथवा परिषदें कार्य कर रही हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम तथा पद-नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आठ ।

(ख) पांच ।

(ग) (1) **व्यापार सलाहकार परिषद** : इस निकाय के गैर-सरकारी सदस्यों की सूची, संकल्प सं० 3 (1) 167-बी ओ टी एण्ड पी एण्ड पी दिनांक 13 जनवरी, 1968, 3 (1)/67 बी ओ टी-पी एण्ड पी दिनांक 18 अप्रैल, 1968 तथा 1/3/68-एड० सी० दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 में मिल सकेगी, जिसकी प्रतियां, पत्र क्रमांक 1/3/68 एड० सी० दिनांक 31 मई, 1968 तथा 1/3/68 एड० सी० दिनांक 7 नवम्बर, 1968 के साथ संसद् पुस्तकालय को भेजी जा चुकी है।

(2) चार क्षेत्रीय आयात-निर्यात सलाहकार परिषद् गैर-सरकारी सदस्यों के नाम सी सी आई एण्ड ई के ज्ञापन सं० 2/7/68 एड० सी० दिनांक 20 जुलाई, 1968 में मिल सकेगी जिसकी प्रतिलिपि संसद् पुस्तकालय को पृष्ठांकित की गई है ।

हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग

2991. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान देने का विचार है; और

(ख) किन-किन योजनाओं के लिये इस राशि का उपयोग किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अनुदान : 65,000 रु० ऋण : 4,000 रु०

(ख) योजनाएं ये हैं :

1. विकास केन्द्रों की स्थापना ।
2. चुने हुए कीट-बीज-पालकों को सहायता ।
3. जीप का रखना ।
4. शहतूती बागान ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे के माल की चोरी

2992. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर के एक इंजन ड्राइवर बंसराज सिंह के घर से (आई० आर० चिह्न) वाला रेलवे का माल बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था और यदि हां, तो किस प्रकार की वस्तुएं पकड़ी गईं तथा वह कितनी कीमत की थीं;

(ख) क्या गत वर्ष इसी प्रकार अन्य रेलवे कर्मचारियों के मकानों पर भी छापे मारे गये थे और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; पदनाम क्या हैं; तथा प्रत्येक से कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई थीं; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष कितने धनराशि की चोरी की वस्तुएं पकड़ी गई थीं तथा ऐसी चोरियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, 24-9-68 को रेलवे का लगभग 400 रुपये का माल, जिसमें बल्ब, हाथ की सिगनल बत्तियां, मच्छरदानियां, तकियों के गिलाफ, कम्बल दरियां, बाल्टियां, स्पेनर, स्क्रू रेंच, कुहासा सिगनल आदि शामिल हैं, पकड़ा गया था ।

(ख) और (ग). सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों से है, जहां सितम्बर, 1967 में दो अन्य कर्मचारियों के मकानों की तलाशी ली गयी थी । एक मामले में समस्तीपुर के फाटक वाले, जमुना सिंह के घर से 40 रुपये के मूल्य का स्टीम कोयला बरामद किया गया था और दूसरे मामले में नरकटियागंज के बेसिक पावर फिटर, श्री कृष्णनन्द प्रसाद के क्वार्टर से 450 रुपये के मूल्य के ड्राई सेल और बिजली के बल्ब बरामद किये गये थे । 1967 के दौरान 15,371 रुपये का माल पूर्वोत्तर रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा चुराया गया था जिसमें से 13,716 रुपये के मूल्य का माल बरामद कर लिया गया था । इस तरह की चोरियों की रोकथाम करने के लिये जो कार्रवाईयां की गयी हैं, वे इस प्रकार है :

1. बदनाम अपराधियों और चोरी का माल लेने वालों को खोज निकालने के उद्देश्य से अपराध आसूचना इकट्ठी करने के लिए सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी और विशेष गुप्तचर तैनात किये जाते हैं ।
2. जिन खण्डों और यार्डों में चोरियां होती हैं, वहां रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी और साथ ही रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्ते गश्त लगाते हैं ।

3. यार्डों, शेडों और प्लेटफार्मों के महत्वपूर्ण स्थलों पर चौबीसों घंटे रेलवे सुरक्षा दल के पहरेदार तैनात रहते हैं।

4. अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को अचानक छापे मारने के लिए तैनात किया जाता है।

5. अपराधियों और चोरी की सम्पत्ति लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस तथा पुलिस अधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है।

6. डिब्बों में ताला लगाने, बिजली के उपस्करों की झलाई और डिब्बाबन्दी, ढांचे के नीचे के तारों की क्लीटिंग और ट्रफिंग, आसानी से चोरी हो सकने वाले उपस्करों को डिब्बों से हटाने जैसे चोरी रोकने के उपाय किये गये हैं ताकि समाज-विरोधी तत्वों द्वारा इनका निकाला जाना कठिन हो।

Sale of Tea at Railway Stations

2993. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time back the price for a cup of tea was raised to 25 paise at the railway stations following the price rise of sugar, milk etc.;

(b) whether it is also a fact that the price of a cup of tea is still 25 paise even though the sugar price has now gone down to 50 per cent and milk is also selling cheaper ;

(c) if so, the action proposed to be taken and the time it would take to reduce the said rate ; and

(d) if there is no such proposal, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. This *was done in* April, 1968.

(b) The rate for a cup of tea is still 25 paise. The price of sugar has been fluctuating during the past few months and the price of milk has not gone down.

(c) and (d). Revision of the tariff is taken up when there are substantial changes in the cost of the ingredients or in labour costs. At present, there is no proposal to revise the rates in view of what has been stated in answer to part (b).

Central Industrial Schemes in Madhya Pradesh

2994. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount invested during the First, Second and Third Five Year Plans, separately, on the Central Industrial Schemes in Madhya Pradesh ; and

(b) the amount allocated for this purpose for Madhya Pradesh in the Fourth Five-Year Plan ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Details of the project wise investment made on the Central Industrial

Projects in the different States including Madhya Pradesh during the First, Second and Third Five Year Plans and likely investment for the completion of these projects are avilable in the statement placed on the Table of the House by the Prime Minister on the 13th November, 1968 in reply to Starred Question No. 61. The Fourth Plan is yet to be finalised and, therefore, the amount to be allocated for new Central Industrial Schemes in Madhya Pradesh during the Fourth Plan is yet to be decided.

कच्चे पटसन के माल की कीमतें

2995. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 के दौरान कच्चे पटसन के माल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। चालू मौसम में पटसन तथा मेस्टा की बहुत ही कम फसल होने के कारण।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें स्थिति संभालने के लिये की गई कार्यवाही को दर्शाया गया है।

विवरण

पटसन और पटसन के माल के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) हैसियन और बोरियों के वायदा व्यापार की नवम्बर की सुपुर्दगियों के लिये अधिकतम मूल्य और मार्जिन नियत किये गये।

(2) वस्त्र आयुक्त और पटसन उद्योग तथा अन्य सम्बद्धों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गयी जो पटसन तथा पटसन माल रक्षित भण्डार संगम द्वारा कच्चे पटसन के आयात के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों की पड़ताल करेगी। इस समिति की सिफारिश पर अब तक 8.7 करोड़ रुपये के मूल्य के पटसन की 2.7 लाख गांठों के आयात प्राधिकृत किये गये हैं।

(3) यह विनिश्चिय किया गया है कि तैयार माल के उत्पादन को, आयोजित आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धि और आंतरिक तथा विदेशी खपत की मांगों तथा आवश्यकताओं से सम्बद्ध किया जाये।

(4) प्रत्येक मिल को किये गये कच्चे पटसन के आवंटन के आधार पर पटसन के माल के उत्पादन को विनियमित करने की शक्तियां पटसन आयुक्त को दी गयी हैं।

(5) पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अंतर्गत बी ट्विल बोरों के सांविधिक अधिकतम विक्रय मूल्य 200 रु० प्रति सौ बोरे नियत किये गये हैं।

(6) कमी की अवधि में पटसन के माल की आंतरिक खपत के विषय में कुछ संयम रखने का विनिश्चय किया गया है।

इस्पात की रेलों का निर्यात

2996. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की रेलें सप्लाई करने के बारे में ईरान की सरकार के साथ एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान सरकार के साथ ईरान की राजकीय रेलवे के उपयोग के लिए 93,000 टन रेल की पटरी सप्लाई करने के लिए दो करार किये हैं। सप्लाई की जाने वाली रेल की पटरी में 70 प्रतिशत 18 मीटर लम्बाई की होगी और 30 प्रतिशत कम लम्बाइयों की होंगी। माल की सप्लाई नवम्बर 1968 तक पूरी की जानी है।

धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार

2997. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **रेलवे** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले त्रिपुरा में रेलवे की सुविधा उपलब्ध थी और वर्ष 1947 में देश का विभाजन होने के बाद इस क्षेत्र को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है क्योंकि यह लाइन उन क्षेत्रों में से होकर जाती थी जो पाकिस्तान में चले गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस क्षेत्र में रेलवे द्वारा यह सुविधा पुनः देने के लिये केवल धर्मनगर तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के सिवाय अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उस क्षेत्र में रेलवे संचार सुविधाओं का न होना उस क्षेत्र के विकास में मुख्य बाधा बना हुआ है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो कम से कम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक रेलवे लाइन को न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि रेल सुविधाओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र के विकास में किसी तरह की बाधा पड़ रही है। अर्थोपाय सम्बन्धी वर्तमान कठिन स्थिति के कारण त्रिपुरा में चौथी योजना अवधि के दौरान किसी नयी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना नहीं है।

त्रिपुरा में पटसन मिल

2998. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 10020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंडीकेट, अगरतला अथवा किसी अन्य फर्म ने इस बीच त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए नया आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अनेक प्रतिकूल बातों को, विशेषतः रेल तथा सड़क सुविधा का न होना, ध्यान में रखते हुए उद्योगपति उद्योग स्थापित करने और इस सम्बन्ध में पटसन मिल स्थापित करने को तैयार नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई प्रोत्साहन देने की वांछनीयता, विशेषतः पटसन के लिए मशीनरी के आयात हेतु अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने पर विचार किया ताकि त्रिपुरा के पिछड़े इलाकों का उद्योगीकरण हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). यदि और जब भी कोई नया आवेदन-पत्र आयेगा, उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण तथा खोज कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी

2999. **श्री सिद्दय्या** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण तथा खोज कार्यालय में नियुक्त श्रेणीवार, कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त विभाग में कर्मचारियों को जिनमें विशेषज्ञ भी हैं, श्रेणीवार भर्ती की प्रणाली क्या है; और

(ग) 1 नवम्बर, 1968 को उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :

(क)

पहली श्रेणी	दूसरी श्रेणी	तीसरी श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
31	3	69	12

(ख) पहली श्रेणी — प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण और सीधी भरती द्वारा ।
दूसरी श्रेणी — प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
तीसरी श्रेणी — प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण और सीधी भरती द्वारा ।
चतुर्थ श्रेणी — स्थानान्तरण/सीधी भरती द्वारा ।

(ग) पहली और दूसरी श्रेणी — कोई नहीं।
तीसरी श्रेणी — 6 अनुसूचित जातियां।
चतुर्थ श्रेणी — 6 अनुसूचित जातियां।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में पड़ा माल

3000. **श्री झा० सुन्दर लाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के स्टाक के बारे में 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह जानकारी कब तक एकत्र की जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2470/68]**

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी

3001. **श्री झा० सुन्दर लाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के बारे में 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक जानकारी एकत्र कर ली जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 12 मार्च, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए हाल में हीं दिये गये उत्तर की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2471/68]**

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Revenue Received from Railways

3002. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the revenue received from the Railways by the Central Government during August, September and October, 1968 ; and

(b) the revenue left with Government after meeting expenditure incurred by the Railways ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). A statement giving this information is laid on the Table **[Placed in Library. See No. LT-2472/68]**. The figures in this statement do not include annual adjustments of Dividend to General Revenues on loan capital etc. The figures under September, 1968, however, include the half-yearly adjustments such as of the Government contribution to the Railway Provident Fund etc.

Export of Films

3003. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the Indian films which were exhibited in different countries during the first ten months of the current year (country-wise) ;

(b) the estimated amount of foreign exchange likely to be earned thereby ;

(c) whether Government would encourage exhibition of maximum Indian films in other countries ; and

(d) if so, the steps likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). Export statistics of films are maintained by the Directorate General, Commercial Intelligence and Statistics in metres and Rupees, and not in terms of titles of films. According to the latest statistics published by them, films measuring 44.4 lakhs metres valued at Rs. 193.7 lakhs were exported during January-August, 1968, as per statement laid on the Table. **[Placed in Library. See. No. LT-2473/68]**

(c) Yes, Sir.

(d) Besides participation in International Film Festival and holding of Indian Films Weeks abroad, consortium of producers concerned has been formed for intensive export effort. Dubbing plant is being installed by the Indian Motion Pictures Export Corporation. Overseas Offices of the State Trading Corporation and Indian Motion Pictures Export Corporation are rendering on the spot facilities for promotion of exports in their regions.

Export of Manganese Ore by M. M. T. C.

3004. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Manganese Ore has considerably declined since the setting up of the Minerals and Metals Trading Corporation ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) whether Government propose to extend the term of agreement concluded with the Manganese industry regarding export of manganese ore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). Exports of manganese ore from India during the last few years are indicated below :

Quantity :' 000 Tonnes

Year	Quantity
1962	908
1963	932
1964	1569
1965	1369
1966	1168
1967	1083
1968 (Jan—Oct.)	1010

Exports during the last two years have declined, compared with those of previous years. This has been largely due to emergence of new sources of supply near the consuming countries, development of captive sources of supply and lesser dependence on manganese ore in steel production because of technological advances. Closure of Suez Canal has also adversely affected the competitiveness of Indian ores.

(c) Government has not concluded any agreement with the Industry for the export of manganese ore.

भाप से चलने वाले इन्जन

3005. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप से चलने वाले इन्जनों को बिल्कुल बन्द करने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टेल्को के रेजीडेंट डायरेक्टर के कथनानुसार वर्ष 1970 से इनका निर्माण बन्द कर दिया जायेगा; और

(ग) भाप से चलने वाला अन्तिम इन्जन कब हटाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान योजनाओं के अनुसार 1-4-1971 के बाद भाप-रेल इन्जन बनाने का विचार नहीं है ।

(ग) जो भाप रेल इन्जन अभी रेलों में चल रहे हैं, उनसे उस समय तक काम लिया जायेगा जब तक उनका अनुरक्षण किफायती होगा और वे परिचालन के लिए आवश्यक होंगे ।

छोटे पैमाने के मशीनों के औजार बनाने के कारखाने

3006. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, छोटे पैमाने के मशीनों के औजार बनाने के कारखाने कितने हैं;

(ख) सभी राज्यों में इन कारखानों की संख्या समान न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में ही इनके होने के कारण केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों का ही विकास हो सका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों में समानता के आधार पर ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) राज्यानुसार सूचना प्राप्त नहीं है। फिर भी, लघु उद्योग एसोसिएशन के फेडरेशन के अनुसार देश में मशीन टूल्स बनाने के 1150 एकक हैं। वास्तविक संख्या इससे अधिक है क्योंकि सभी एकक फैडरेशन से सम्बन्धित एसोसिएशनों के सदस्य नहीं हैं। इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र पंजाब में है इसमें 63 प्रतिशत उद्योग हैं।

(ख) और (ग). एककों का विभाजन एक समान नहीं है क्योंकि यह उपभोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्योगों की जो कि मशीनी औजारों का प्रयोग करते हैं, की स्थापना के लिए आवश्यक क्षमता तथा सामान्य इंजीनियरी उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। चूंकि अन्य उद्योग देश के सभी भागों में समान रूप से विभाजित नहीं हैं इसलिए मशीनी औजारों के उद्योग का भी चन्द ही क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण है। यह कुछ राज्यों में लघु उद्योगों के अपेक्षाकृत अधिक विकास का कारण है।

(घ) वर्तमान में मशीन टूल्स उद्योग मंदी के कारण कठिनाई में है। उन राज्यों में जहां मशीन टूल्स एकक नहीं हैं वहां इसके एकक स्थापित करने के प्रश्न पर मशीन टूल्स उद्योग की सर्वप्रकारेण स्थिति सुधर जाने पर विचार किया जायेगा।

साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड

3007. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेसर्स साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड की स्थापना के समय इसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी थी और अब कितनी है; और

(ख) इसमें अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स साराभाई कैमिकल्स नाम की कोई कम्पनी, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, पंजीकृत नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Translation into Hindi of Forms and Manuals Pertaining to the Railway Ministry

3008. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals pertaining to his Ministry and its attached offices translated into Hindi so far ;

(b) the number of forms and manuals pending for translation into Hindi ;

(c) the arrangements being made for translating such pending forms and manuals into Hindi and the time by which the translation of the said forms and manuals would be completed ; and

(d) the reasons for delay in their translation.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

	Ministry of Rlys.	Attached offices
(a) Forms	109	27
Manuals	2	—
(b) Forms	11	7
Manuals	4	—

(c) Hindi translation of the remaining forms will be completed shortly.

The four manuals referred to in reply to part (b) above, are being sent to the Central Hindi Directorate, Ministry of Education for Hindi rendering. It is not possible to indicate the time by which translation of these manuals will be completed.

(d) There has been no delay in translating the forms. As regards manuals, they have been given comparatively low priority for being brought out in Hindi.

Theft of Railway Goods

3009. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The number of cases of theft of railway goods on various Railways which have come to the notice of Government in the first half-year of 1968 ;

(b) the amount of loss accrued to Government in the aforesaid thefts ;

(c) the nature of punishment given to the persons detected in this regard ; and

(d) the steps taken by Government to prevent the theft of public goods on each Railways ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 22,588.

(b) The value of property stolen was Rs. 39.47 lakhs out of which property worth Rs. 6.78 lakhs was recovered leaving a net loss of Rs. 32.69 lakhs.

(c) 6,337 persons including both outsiders and some Railway employees were handed over to police for legal action and 586 Railway employees were dealt with departmentally. The nature of punishment given is not yet known.

(d) The following steps are taken in this regard on Railways :

1. All important goods trains are escorted by Railway Protection Force armed staff.

2. Plain clothes and special detective staff of Railway Protection Force is deputed to collect crime intelligence with a view to tracking down known criminals and receivers of stolen property.

3. Affected sections and yards are also at times patrolled by Railway Protection Force armed staff and Railway Protection Force Dog Squads.

4. Railway Protection Force guards in yards, sheds and platforms are detailed at strategic points round the clock.

5. Special attention is paid to the basic need of security at all transhipment points, parcel offices and goods sheds.

6. Railway Board's Central Crime Bureau staff are deployed to conduct surprise raids to effect red-handed capture of the culprits.

7. Basic security measures are provided at all workshops and stores.

8. Close co-ordination between the Railway Protection Force and Government Railway Police and State Police Officers is also maintained to deal with the criminals and receivers of stolen property.

9. Anti-theft measures (Preventive measures) exist in the shape of locking of compartments, welding and encasing electrical equipment, cleating and troughing of under frame wiring, shifting of theft prone equipment inside the coaches, so as to make their removal difficult by anti-social elements.

Overtime Allowance to Employees of Railway Board

3010. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total amount of Overtime Allowance paid to the employees of the Railway Board in the first ten months of 1968;

(b) Whether it is a fact that the employees of the Railway Board are made to sit late after office hours arbitrarily :

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether necessary steps would be taken to reduce the amount of overtime allowance to the minimum ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Rs. 4,79,772 ;

(b) No ;

(c) Does not arise ;

(d) The need to reduce expenditure on this account is reviewed from time to time and appropriate steps taken, as found necessary. Such reviews will continue to be made.

(e) Does not arise.

लघु उद्योग बोर्ड

3011. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 और 28 सितम्बर, 1968 को एरणाकुलम में लघु उद्योग बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) क्या बोर्ड ने योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित उद्योग लाइसेंस नीति का विरोध किया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) लघु उद्योग मण्डल ने अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी तथा तदर्थ समितियों के प्रतिवेदनों पर कच्चे माल से सम्बन्धित मामलों पर लाइसेंस दिये जाने की नीतियों तथा विधान पर ऋण सुविधाओं, किस्म नियंत्रण; सहायक उद्योगों के विकास; औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम को नया रूप देने; और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में काम के कार्यक्रम आदि पर विचार किया था।

(ग) मण्डल की बैठक में उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त किये जाने की नीति जो सरकार के विचाराधीन है पर भी चर्चा की गई थी और ऐसा महसूस किया गया था कि इस नीति के कार्यान्वयन में लघु उद्योग क्षेत्र के हितों का भी ध्यान रखा जाये।

इन्जीनियरिंग इन्सपेक्टरों की मांगें

3012. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग इन्सपेक्टरों की समस्याओं और उनकी मांगों के सम्बन्ध में उत्तरी रेलवे इन्जीनियरिंग इन्सपेक्टर संघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन अरोड़ा, संसद् सदस्य से उन्हें कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो यह ज्ञापन कब मिला था, और उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). भारतीय रेल इन्जीनियरिंग निरीक्षक संघ, जो एक खण्डीय अमान्यता प्राप्त यूनियन है, का एक अभ्यावेदन संसद् सदस्य, श्री अर्जुन अरोड़ा से मई, 1968 में प्राप्त हुआ था जिसमें वेतन-मानों के परिशोधन, पदोन्नति की संभावनाएं निरीक्षकों के ग्रेड में भर्ती, कार्य-भार को कम करने, भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने, दैनिक भत्ता से सम्बन्धित नियमों में परिशोधन आदि जेसी मांगें शामिल हैं।

(ग) और (घ). इस अभ्यावेदन पर कोई निर्दिष्ट कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि सभी कोटि के कर्मचारियों की इस तरह की शिकायतों की ओर रेलवे के स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा और रेलवे बोर्ड के स्तर पर फैडरेशन द्वारा जिसे बोर्ड से वार्ता करने की सुविधाएं प्राप्त हैं, ध्यान दिलाया जाता है।

स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुये रेल राज्य मंत्री ने 14-8-1968 को श्री अर्जुन अरोड़ा को उत्तर भी भेजा था :

Export of Rail Wagons

3013. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries, besides Russia, with whom agreements for the export of Railway wagons during the Fourth Five-Year Plan period have been concluded so far ;

(b) the number of Railway wagons proposed to be exported under the agreements ;

(c) the names of the countries with which negotiations for exports of rail wagons are continuing and the details thereof ; and

(d) the number of the wagons to be supplied by the public and the private sectors separately ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). There are no plan-wise export contracts. The contracts are undertaken as and when opportunities are available. The contracts presently under execution are as follows :—

Sl. No.	Name of the country	No. of wagons
1.	Hungary	500 flat wagons.
2.	Ceylon	40 bogie petrol tank wagons.
3.	South Korea	600 Hopper cars.
		450 tank cars.
4.	Burma	14 oil tank wagons.

(c) Negotiations are currently under way for export of 500 wagons with Polland.

(d) Exports of wagons have been largely organised by the State Trading Corporation. The entire quantity indicated above will be manufactured by STC's associates in the private sector but will be supplied by STC. The names of these associates are :

(1) TEXMACO, Calcutta, (2) Braithwaites, Calcutta, (3) K. T. Steel, Bombay and (4) Mukand Iron and Steel, Bombay.

Steel Production during the Fourth Plan

3014. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the target fixed for the production, consumption and export of steel by the end of the Fourth Five Year Plan ;

(b) the names of the Steel Plants which would be expanded and the names of the new steel plants which would be set up to achieve the target ; and

(c) the amount of capital needed therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). The Steering group which has been appointed to help the Government to formulate its Fourth Five Year Plan for iron and steel, has not yet finalised its Report. Decision regarding the targets, specific schemes for expansions in iron and steel, and the capital investment required will be taken after the Report of the Steering Group is available.

Decline in Production of Zinc in Rajasthan

3015. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri Bishwanath Roy :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary : **Shri D. N. Patodia :**
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the position of these factories in Rajasthan where production of Zinc had declined during the last two years as a result of the decrease in the sale of fertilizers ;

(b) whether the said factories have started normal production ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) There is only one unit producing zinc metal in Rajasthan, namely, the Zinc Smelter of the Hindustan Zinc Limited. This unit commenced production on 1-1-1968. The production from this unit was temporarily suspended from 26-7-1968 to 15-9-1968, mainly due to the accumulation of stock of single superphosphate produced in the factory upto the storage capacity, as the demand for this product during the off-season was considerably less. The single superphosphate is produced as a by-product from sulphuric acid which inevitably arises in the process of zinc smelting. There has been no possibility of alternative sale of sulphuric acid also in the area due to lack of demand and transport difficulties.

(b) and (c). The Company has made arrangements for the disposal of the superphosphates and production has been resumed at the Zinc Smelter with effect from 16-9-68. The Smelter is being presently operated at 70% of the capacity and efforts are being continued by the company to increase the disposal of the superphosphates and resume production at normal full capacity.

Industries Running at Loss

3016. **Shri Atal Bihari Bajpayee :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4501 on the 20th August, 1968 and state :

(a) the names of industries which are running at loss after their transfer from private sector to public sector ; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). The reference in the question to the transfer of industries from the private sector to the public sector is not clear in the context of the earlier question referred to by the Hon. Members. Government may assume management or control of industrial undertakings in certain cases, under Section 18(A) of the I(D & R) Act, but this cannot be considered as a transfer of the industry from the private sector to the public sector. However, the information asked for about the names of the undertakings which have suffered losses after being taken over by the Government and the reasons therefor is still being collected and will be furnished in fulfilment of the assurance given in reply to the earlier question under reference.

Issue of Licences to Industrial Groups of Industries

3017. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the number of Industrial licences issued to the following Industrial Groups during the last four years alongwith their values :

(i) Mafatlal Industrial Group;

(ii) Tata Industrial Group;

(iii) Birla Industrial Group ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : During the last 4 years i.e. 1964 to 1967, 1967 licences have been issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Separate Statistics of Licences issued to different industrial groups are not maintained. Details of all licences issued are published regularly in the Weekly Indian Trade Journal, Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences and the Monthly Journal of Industry and Trade. Licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are issued for the establishment of manufacturing capacity and are not issued for any value as such.

बिड़ला सार्थों द्वारा रुई की गांठों के अवैध सौदे

3018. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री एक बिड़ला सार्थ द्वारा रुई की गांठों के अवैध सौदे के बारे में 13 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार द्वारा जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जैसा कि 13 अगस्त, 1968 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 452 के उत्तर में बताया गया था, जांच पूरी हो चुकी है और फौजदारी अदालत में आरोप-पत्र पेश कर दिया गया है।

(ख) एक अलग स्वतः पूर्ण विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2474/68]

Export of Sheep Skin

3019. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that pregnant ewes are being slaughtered in a large number so that the skins of their offsprings may be exported ;

(b) whether it is also a fact that the number of sheep and the production of wool have decreased as a result thereof ;

(c) whether Government propose to stop the export of the skin of the young lambs killed in the wombs of the ewes ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Ths Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Manufacture of Foodstuffs etc. with Foreign Collaboration

3020. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that agreements have been concluded for foreign collaboration even for the manufacture of foodstuffs, cosmetics and toilet goods ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of foreigners working in India in the Private and Public Sector Industries under foreign collaboration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Some foreign collaboration agreements have been approved for the manufacture of products falling within the group of foodstuffs, cosmetics and toilet goods. The period to which the question relates has not been specified, but a statement giving particulars of cases approved from 1968 onwards in the case of foodstuffs and from 1964 onwards in the case of cosmetics is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2475/68.]**

(c) Information about the number of foreigners working in India in the Private and Public Sector Industries under foreign collaboration is not separately available. However, the total number of foreigners working in the Private and Public Sectors, including Public Undertakings, drawing Rs. 1,000/- and above per month was 4,493 on 1st January, 1967.

होडल रेलवे स्टेशन पर मेल रेलगाड़ियों का रुकना

3021. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में होडल रेलवे स्टेशन पर केवल एक ही मेल गाड़ी अर्थात् देहरादून एक्सप्रेस अपनी वापसी यात्रा पर रुकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नगर की जनता ने कई अभ्यावेदन दिये हैं कि एक अथवा अधिक और एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों को आती और जाती दोनों बार इस स्टेशन पर रोका जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं तथा ऐसी गाड़ियों को रोकने की जनता की इस मांग को देखते हुए क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ग) जी हां। होडल स्टेशन से बुक किये गये टिकटों के विश्लेषण से पता चला है कि वहां से चलने वाला यातायात प्रधानतया कम दूरी का होता है। इसलिए, वहां किसी और डाक या एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है।

Contracts for Supplying Ballast

3022. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tenders regarding contracts for supplying ballast at the Indargarh, Shri Mahabirji and Malarna Stations on the Western Railway were invited in 1964 ;

(b) if so, the names of the contractors to whom the said contracts were awarded and the names of those who completed the work within the stipulated period ;

(c) the action taken against the contractors who have not completed the work so far ; and

(d) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d). No tenders for supply of ballast at Indargarh, Shri Mahabirji and Malarna Stations were invited in 1964. Tenders for supply of ballast for these stations were, however, invited in 1963 and information concerning these tenders is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2476/68.]**

माल परिवहन से रेलवे की आय

3023. **डा० रानेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को माल भेजे जाने से होने वाली आय में हाल में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) माल परिवहन से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रेलों का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि माल डिब्बों की सप्लाई समय पर करके और मार्ग में लगने वाले समय में कमी करके सेवा का स्तर सुधारा जाये। द्रुतपारवहन सेवाएं और सुपर-एक्सप्रेस मालगाड़ियां शुरू की गई हैं। मार्ग में माल को होने वाले नुकसान और क्षति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। जहां औचित्य हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के भाड़े में कमी की जाती है। जहां व्यावहारिक हो न्यूनतम भार और पेकिंग की शर्तों में ढील दी जाती है। आउट एजेंसियां और नगर बुकिंग एजेंसियां खोली जाती हैं और समेकित रेल एवं सड़क यातायात की व्यवस्था करने के लिए माल के घर से लेने और घर पर सुपुर्दगी करने का काम किया जाता है। घर से घर तक माल के लाने ले-जाने की व्यवस्था करने

और महंगे पेकिंग की बचत के साथ-साथ मार्ग में होने वाली क्षति और तोड़-फोड़ से बचाव के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच कंटेनर सेवा शुरू की गई है। प्रत्येक रेलवे पर एक विपणन और विक्रय संगठन बनाया गया है ताकि रेल उपयोक्ता सम्बन्धी रेल संचालन के सभी पहलुओं पर काफी ऊंचे स्तर पर ध्यान दिया जा सके।

Ticketless Travelling on Railways

3024. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested so far for ticketless travelling on the Western, Northern and Central Railways since 1st August, 1968 ;

(b) the approximate amount of loss in rupees suffered by Government on account of ticketless travelling during the aforesaid period ; and

(c) the number of persons sentenced to imprisonment for ticketless travelling during the aforesaid period and the amount realised as fine ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Number of persons arrested for travelling without ticket in three months August to October, 1968, was :—

(i) Central Railway	5,933
(ii) Northern Railway	10,392
(iii) Western Railway	8,564

(b) It is not possible to compute the loss on account of ticketless travel on any particular region in a particular period. But it has been very approximately estimated that on all Indian Railways it amounts to about twelve crores in the year.

(c) Number of persons sentenced to imprisonment for ticketless travelling during the period and the amounts realized as fine were :—

	No. of persons	**Amount of fine realized**
(i) Central Railway	3,556	Rs. 26,566
(ii) Northern Railway	3,883	Rs. 1,03,416
(iii) Western Railway	2,870	Rs. 11,413

Overbridge on Chirimiri Railway Station

3025. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6095 on the 27th August, 1968 regarding construction of an overbridge between Chirimiri College and School and Kurmasia in Sarguja District of Madhya Pradesh and state :

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay and the time by which it would be collected and laid on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Yes. A copy of the reply to the assurance arising out of the Unstarred Question No. 6095 answered in the Lok

Sabha on 27-8-68 which has already been sent to Department for Parliamentary Affairs, for placing on the Table of the Sabha, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2477/68]**

(c) Does not arise.

Despatch of Trains Carrying Drinking Water to Barmer

3026. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government had requested the Railway Ministry to despatch trains carrying water to Barmer District as there was scarcity of drinking water ; and

(b) if so, the number of such trains sent to the said area on this emergent demand ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, Sir. However, a request was made by the Collector Barmer to the Northern Railway authorities.

(b) During September and October, 1968 a total of about 192 tankwagons of water were railed by the Northern Railway to different stations in Barmer District of Rajasthan on public account.

बिड़ला फर्म समूह के कार्यों के बारे में जांच

3027. **श्री जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्य, श्री चन्द्रशेखर ने जांच की है, जिसमें बिड़ला फर्म समूह द्वारा किये गये कदाचार के विभिन्न आरोप निहित हैं ;

(ख) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में प्रत्यक्षतः और जांच की जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की व्यापक जांच के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कुल 88 आरोपों में से 24 आरोपों पर जिनके बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा आगे जांच किये जाने की आवश्यकता थी, मंत्रिमंडल की उप-समिति द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है । इस समिति की बैठक हो चुकी है । सारा मामला अब अन्तिम निर्णय के लिए सरकार के आधीन है ।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

3028. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा पेश की गई कीमत जिसमें जहाज तक

निःशुल्क पहुंचाने के लिए 7½ प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक नकद सहायता शामिल है, के फलस्वरूप इस वर्ष हथकरघा उत्पादों का कितना निर्यात हुआ है ;

(ख) किन-किन देशों को कितना-कितना निर्यात किया गया था तथा इसके कितने मूल्य प्राप्त किये गये ; और

(ग) मार्च, 1969 को लम्बित आर्डरों की स्थिति क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हथकरघा उत्पादों का निर्यात निष्पादन अप्रैल-जुलाई, 1967 के 2.04 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल-जुलाई, 1968 में 2.12 करोड़ रुपये हो गया है। उपर्युक्त अवधि में किस्म-वार निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण (ए) (अंग्रेजी में) संलग्न है।

(ख) मात्रा तथा मूल्य सहित हथकरघा उत्पादों के निर्यात के देशों को दर्शाने वाला विवरण (बी) (अंग्रेजी में) तथा हथकरघा उत्पादों से प्राप्त मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण (सी) (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2478/68]**

(ग) विभिन्न निर्यातकों से जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

3029. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में दिए गये सुझाओं और उसके बारे में उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्री परिषद द्वारा व्यक्त किये गए विचारों पर विचार पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सुझावों को संशोधन या बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी निर्णय कब दिया जायेगा ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस बारे में विचार कब पूरा हो जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). सुझावों पर विचार-विमर्श पूरा होने की आशा है और निर्णय शीघ्र ही लिया जाने वाला है।

रूरकेला उर्वरक कारखाने में नेफ्था रिफार्मिंग एकक

3030. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला उर्वरक कारखाने में नेफ्था रिफार्मिंग एकक को स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है और उसने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि स्थापना कार्य पूरा हो गया है तो इस पर कितनी लागत आई है और इसके द्वारा उर्वरक कारखाने की पूरी अधिष्ठापित क्षमता उपयोग करने में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(घ) रूरकेला में विशेष इस्पात उत्पादन करने के बारे में क्या प्रगति हुई है और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए अब तक क्या खर्च किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). नेफ्था रिफार्मिंग यूनिट की रिफार्मिंग भट्ठी को गर्म करने का काम 2 नवम्बर, 1968 को आरम्भ हुआ है। ऐसी सम्भावना है कि यह दिसम्बर 1968 के अन्त तक पूरी तरह उत्पादन करने लगेगी। इसके चालू होने में थोड़ी देरी हो गई है जिसका कारण स्वेज नहर का बन्द होना और जहाज तक निष्प्रभार माल और देशीय उपकरणों के मिलने में तथा क्षतिग्रस्त सामान के बदलने में देरी है। इस कारखाने पर 36.34 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान है। यह कारखाना उर्वरक कारखाने की निर्धारित क्षमता के 40 प्रतिशत माल की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, शेष 60 प्रतिशत की पूर्ति राउरकेला इस्पात कारखाने की कोक भट्ठियों की गैस से की जाएगी।

(घ) वर्ष 1966-67 में 65,000 टन और 1967-68 में लगभग 54,000 टन के मुकाबले में अप्रैल-सितम्बर 1968 की अवधि में राउरकेला कारखाने का विशेष इस्पात का उत्पादन 40,000 टन से अधिक था। राउरकेला इस्पात कारखाने में विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए लगाई जाने वाली अतिरिक्त मशीनों में विद्युत चादरें बनाने का कारखाना और उपाड़ मशीनें (स्कार्फिंग कम्पलेक्स) शामिल है। विद्युत चादरें तैयार करने वाले कारखाने की अनुमानित लागत 47 मिलियन रुपये के लगभग है। इस कारखाने ने अभी 2 उत्पादन करना शुरू किया है। यह कारखाना सिलिकान-इस्पात की चादरें तैयार करेगा जिससे डाइनेमो और ट्रांसफार्मर तैयार हो सकेंगे। उपाड़ मशीनों पर 31 मिलियन रुपये से कुछ अधिक खर्च आने का अनुमान है। यह कारखाना 1969 के अन्त तक तैयार होगा। इससे कई प्रकार के विशेष इस्पात जैसे जहाज बनाने, बायलर बनाने वाले डीप ड्राइंग और ऐक्सट्रा डीप ड्राइंग के काम में आने वाले इस्पात का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

दिल्ली में सिटी बुकिंग एजेंसी

3031. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तीसरी श्रेणी के टिकट बेचने के लिए कितनी सिटी बुकिंग एजेंसियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन एजेंसियों को दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली गाड़ियों या दिल्ली से होकर गुजरने वाली 14 गाड़ियों के लगभग दो टिकट बेचने की अनुमति है ;

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों को टिकटों के बेचने का इतना कम कोटा दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और सिटी बुकिंग एजेंसियां खोलने का है और टिकट की खिड़कियों पर लम्बी लाइनों को समाप्त करने के लिए उन एजेंसियों को अधिक टिकट बेचने की अनुमति देने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) तीसरे दर्जे के टिकट बेचने के लिये दिल्ली में सात सिटी बुकिंग एजेंसियां हैं ।

(ख) दिल्ली/नयी दिल्ली आने और वहां से जाने के लिए लम्बी दूरी की अठारह सवारी गाड़ियां हैं । इन सिटी बुकिंग एजेंसियों को 13 गाड़ियों में आरक्षण के लिए कुल 28 शायिकायों के कोटे निर्धारित हैं । छः गाड़ियों में आरक्षण के लिए इन बुकिंग एजेंसियों को कुल 13 सीटों के कोटे दिये गये हैं ।

इन बुकिंग एजेंसियों द्वारा टिकट बेचने की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ग) इन सिटी बुकिंग एजेंसियों और दिल्ली तथा नयी दिल्ली स्टेशनों पर होने वाले यातायात और इन गाड़ियों में उपलब्ध स्थानों को देखते हुए ये कोटे निर्धारित किये गये हैं ।

(घ) तथा (ङ). क्षेत्र की आवश्यकता और स्टेशन पर यात्रियों को टिकट देने की पहले से की गयी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सिटी बुकिंग एजेंसियां खोलने के प्रस्तावों की जांच की जाती है । फिलहाल दिल्ली में अतिरिक्त बुकिंग एजेंसियां खोलने की कोई योजना नहीं है । सिटी बुकिंग एजेंसियों को आबंटित वर्तमान आरक्षण कोटों को बढ़ाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि इससे उन यात्रियों को असुविधा होगी जो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर आरक्षण के लिए आते हैं ।

आउट एजेंसियों को पुनः खोला जाना

3032. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9096 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि, ग्रागेट, भाखेन, प्रागपुर, नाडौन,

ज्वालामुखी, धर्मशाला में आउट एजेंसियों और कांगड़ा में सिटी बुकिंग एजेंसी और डेरागोपीपुर में एक आउट एजेंसी खोले जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम से गाग्रेट, भारवेन, प्रागपुर, नाडौन और ज्वालामुखी की आउट एजेंसियों तथा कांगड़ा में सिटी बुकिंग एजेंसी का काम संभाल लेने का अनुरोध किया गया है। निगम इस बात की जांच कर रहा है कि क्या वित्तीय दृष्टि से यह प्रस्ताव उपयोगी होगा।

जहां तक धर्मशाला का सम्बन्ध है, वहां कोतवाली बाजार (लोअर) में नागरोटा रेलवे स्टेशन से सम्बद्ध आउट एजेंसी पहले से चालू है। अत: धर्मशाला में आउट एजेंसियों को फिर से खोले जाने का सवाल नहीं उठता।

डेरा गोपीपुर में आउट एजेंसी खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है, लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण

3033. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण में से एक बड़ी राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के कारण ऋण की वसूली में देरी हो रही है ; और

(ग) क्या इसको सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न न हों, कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 15 नवम्बर, 1968 तक ऋण की न चुकायी हुई राशि की तालिका निम्नलिखित है :

	दिये गये ऋण की राशि	वसूल की गई राशि	ऋण की शेष राशि
1. सूती वस्त्र मिलें	11,50,05,703	5,22,94,785	6,27,10,918
2. जूट मिलें	5,77,84,071	4,06,87,534	1,70,96,537
3. मशीनी औजारों के एकक	99,94,272	36,34,750	63,59,522
	18,27,84,046	9,66,17,069	8,61,66,977

15 नवम्बर, 1968 तक मूलधन की न चुकाई गई राशि तथा ब्याज की राशि उप राशि को छोड़कर जिसके लिए समय बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई है ; क्रमशः 39,42,538 तथा 22,66,837 है ।

(ख) विवेच्य मामलों में अदायगी में विलम्ब इस कारण से हुआ है कि कम्पनियां अपनी जिम्मेदारी को प्रतिकूल कार्यकारी परिस्थितियों के कारण निभा नहीं पातीं ।

(ग) भाग (ख). के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Loss incurred by N. C. D. C.

3034. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Sushila Nayar :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a loss of more than rupees one crore recently in the National Coal Development Corporation ;

(b) if so, the main causes thereof ; and

(c) the efforts made to remove them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The accounts of the National Coal Development Corporation for the year 1967-68 show a loss of about Rs. 73 lakhs.

(b) The main reasons for the loss were :

(i) continued slump in the coal market resulting in large underutilisation of the built-up capacity in many projects ; and

(ii) continued operation of the heavily losing Giridih collieries being worked under a Government directive in the interests of conserving high grade coking coal.

(c) Government had appointed a Committee in July, 1967 to enquire into the working of the Corporation and suggest measures for improvement. The report of the Committee is now under the consideration of Government.

In addition, the Corporation itself has taken the following measures for reducing the losses :

(i) An integrated sales and production programme has been taken in hand for better utilisation of the built up capacity.

(ii) Steps have been taken to re-organise the production in some of the losing collieries and a Technical Committee has been set up to examine the problems of the uneconomic collieries and suggest measures for eliminating the losses.

(iii) The re-organisation of the Stores and Purchase Departments has been taken up and continuous efforts are being made to establish stricter control over inventories and to expedite disposal of surplus items.

चश्में बनाने के काम आने वाले उपकरणों का निर्माण

3035. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा सहायता प्राप्त चश्में बनाने के काम आने वाले उपकरणों के लिए भूमि खरीदी गई थी और उसके लिए एक कारखाने की इमारत का निर्माण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के लिये कितना मूल्य दिया गया था और इमारत की लागत क्या थी ;

(ग) क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारण प्रस्तावित सहयोग वापिस ले लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में जिम्मेवारी नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). भारत सरकार ने अगस्त, 1964 में कुछ वैज्ञानिक यंत्रों जिनमें चश्मों के यंत्र भी सम्मिलित थे के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के मेसर्स कार्लजेइस जेना पूर्वी जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से मान लिया था। 1965 में राज्य सरकार को सहयोग की शर्तों में कुछ संशोधन करने के लिए लिखा गया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने परियोजना की स्थापना के लिए 1,61,219 लाख रुपये की लागत की भूमि खरीद ली है और उस पर 15,02,764 लाख रुपये की लागत से इमारत का निर्माण भी कर लिया है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सहयोगियों से सहयोग करार के मसौदे की विस्तृत जांच में पर्याप्त विलम्ब होगा। राज्य सरकार को भारत में कार्ल जेइस जेना के पेटेन्ट तथा ट्रेड मार्क के अधिकारियों की जांच भी करती थी। जब तक सहयोग के करार को जिसमें कि मेसर्स कार्ल जेइस जेना ने समय-समय पर कई संशोधन सुझाए थे, अन्तिम रूप दिया गया, अवमूल्यन के कारण परियोजना की लागत में ओर वृद्धि हो गई। इससे पहले कि संशोधित अनुमानित लागत को स्वीकृति प्रदान की जाती, मेसर्स कार्ल जेइस जेना ने अपने तकनीकी सहयोग की पेशकश को वापिस ले लिया। फलतः भारत सरकार द्वारा विदेशी सहयोग की स्वीकृति को मार्च, 1968 में रद्द किया गया। राज्य सरकार ने यह भी इंगित किया है कि इसमें विदेशी वित्तीय सहायता नहीं है और तकनीकी सहयोग को अन्तिम रूप देने में विलम्ब उपरिलिखित परिस्थितियों में हुआ है ।

दिल्ली शाहदरा के निकट लोनी में ट्रैक्टर कारखाना

3036. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी फर्म के सहयोग से दिल्ली-शाहदरा के निकट लोनी में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग संबंधी करार और उसके अन्तर्गत निर्मित ट्रैक्टरों का विशिष्ट ब्योरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) ट्रैक्टर की उत्पादन लागत और संभावित खुदरा बिक्री मूल्य क्या होगा और कारखाना कब तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मेसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने मेसर्स ग्रोमाया एक्सपोर्ट तथा मेसर्स ट्रैक्टरों एक्सपोर्ट, मास्को (सोवियत) के सहयोग से दिल्ली के निकट लोनी में डी० टी० 14 बी० के कृषि ट्रैक्टरों (14 अश्व-शक्ति) के निर्माण के लिए 10,000 ट्रैक्टरों की वार्षिक क्षमता वाले एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। फर्म के प्रस्ताव की जांच की गई है और फर्म को सहयोग के करार की शर्तें तथा अवस्था अर्जित निर्माण कार्यक्रम पर सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया है। उन्हें निर्देशित शर्तों के अनुरूप विदेशी सहयोग करार की शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए तथा अन्तिम सहयोग करार को सरकार के विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया है।

(घ) भारत में निर्मित डी० टी० 14 बी० ट्रैक्टर का फर्म द्वारा बताया गया कारखाने से निकलते समय का मूल्य लगभग 10,600 रुपये होगा।

इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं कि यह कारखाना कब उत्पादन प्रारम्भ करेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3037. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन आरम्भ हो गया है, तथापि उसकी सब योजनाओं के बारे में संगठन चार्ट पूरे नहीं हैं और इसमें व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ; और

(ग) क्या गत पांच वर्षों की सभी परियोजनाओं के संगठन चार्ट सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का संगठनात्मक चार्ट तैयार कर दिया गया है। समय-समय पर आने वाली आवश्यकताओं के कारण उसमें परिवर्तन अनिवार्य हैं।

(ग) यदि आवश्यक हुआ तो यह चार्ट सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

3038. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री एस० आर० दामानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4499 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने समस्या की जांच का कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से असम्बद्ध विशेषज्ञों को भी इस समिति में शामिल किया गया है और क्या जांच के निर्देशों में ये बातें शामिल हैं अर्थात् भूमिगत कोयले के भंडार, व्यक्तियों में बेरोजगारी, असंख्य ढांचों का प्रयोग न किया जाना तथा समस्त लोअर ग्रेड कोयले को कोक बनाना आदि ; और

(ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, खान तथा धातु विभाग के कोयला खनन सलाहकार हैं तथा इसके सदस्य निगम के दो प्रवर अधिकारी हैं। समिति कोयले की उपलभ्य राशियों, बेरोजगारी, इमारतों के निपटारे, उत्पादों के लिये बाजार आदि सहित प्रश्न के सभी संबंधित पक्षों की जांच करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

3039. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद, ठेका और बिक्री कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में (उन पदों पर

जिन पर 500 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन दिया जाता है) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उचित नियम बनाये हुए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन नियमों के बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो स्टील लिमिटेड

3040. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं ; उनकी नियुक्ति कब की गई थी और उनकी नियुक्ति की अवधि और शर्तें क्या थीं ;

(ख) कम्पनी को अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की कमी और आग लग जाने आदि के कारण कितनी हानि हुई थी ;

(ग) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या कम्पनी के कार्य का सामान्य अनुमान लगाया गया है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला था; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उसकी कमियों का पता लगाने और इसके कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्तमान निदेशकों के नाम और उनकी नियुक्ति की तारीख निम्नलिखित हैं :

नाम	नियुक्ति की तारीख
1 श्री एन० एन० वांचू, अध्यक्ष	4-2-1964
2 श्री के० एम० जार्ज, प्रबन्ध निदेशक	10-2-1964
3 श्री जे० सी० लूथर, निदेशक	5-1-1968
4 श्री एन० आर० रेड्डी, निदेशक	10-10-1968
5 श्री जगजीत सिंह, निदेशक	13-1-1967
6 श्री एस० बी० सोहोनी, निदेशक	16-11-1967
7 श्री एन० एम० वागले, निदेशक	4-2-1964
8 श्री के० श्रीनिवासन्, निदेशक	4-2-1964
9 श्री ए० के० बोस, निदेशक	4-2-1964

श्री वांचू का कार्याकाल बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादन आरम्भ करने के समय तक है। श्री जार्ज की नियुक्ति का इकरारनामा 5 वर्ष के लिए है। इस इकरारनामे की अवधि 9 फरवरी, 1969 को समाप्त हो रही है। अन्य निदेशकों का कार्यकाल निश्चित नहीं है।

जहां तक नियुक्ति की शर्तों का सम्बन्ध है, प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का पूर्ण-काल अधिकारी होने के नाते 3,500 रुपये के मासिक वेतन, एक सुसज्जित मकान जिसके लिए उन्हें अपने वेतन का साढ़े 12 प्रतिशत किराये के रूप में देना पड़ता है, मनोरंजन भत्ता जिसकी वार्षिक सीमा 3,000 रुपये है, सरकारी काम के लिए मोटरकार की सुविधाओं आदि का हकदार है। दूसरे सरकारी निदेशकों को, जो अंशकाल निदेशक हैं, कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने पर यात्रा भत्ते और प्रासंगिक व्यय के अलावा 100 रुपया प्रति बैठक मानदेय के रूप में मिलता है।

(ख) 31 मार्च, 1968 तक कम्पनी को हुई हानि इस प्रकार है—(i) अनियमितताएं.. शून्य, (ii) चोरी..46,959.37 रुपये, (iii) स्टाक की कमी. 1,139.06 रुपये, (iv) आग से हानि..शून्य।

(ग) कम्पनी की सम्पत्ति की हानि के सभी मामलों की जांच समिति द्वारा भली प्रकार जांच-पड़ताल की गई और जांच-समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये हानि को बट्टे-खाते डालने की कार्यवाही की गई है सुरक्षा-व्यवस्था होने के बावजूद, चोरी से हानियां मुख्यत: जल-सप्लाई लाइन सड़क बनाने वाले इंजनों आदि के, जो बहुत लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैले होते है, पुर्जों की चोरी से हुई है। स्टाक की कमी में हानि मुख्यत: माल लेने और माल देने के अन्तर के कारण होती है। ऐसी हानि नगण्य के बराबर है और इसे कुछ समय के बाद बट्टे-खाते में डाल दिया जाता है।

(घ) प्रायोजना के काम में प्रगति के सम्बन्ध में कम्पनी के काम का समय-समय पर सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक जान पड़ता है, प्रत्युपाय किये जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि कम्पनी का काम ठीक से नहीं चल रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो स्टील लिमिटेड

3041. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद, ठेका और बिक्री कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में (उन पदों पर जिन पर 500 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन दिया जाता है) बोकारो स्टील लिमिटेड ने उचित नियम बनाये हुए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन नियमों के बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). बोकरो स्टील लिमिटेड ने कर्मचारियों की नियुक्त के बारे में, माल खरीदने और ठेके देने के बारे में उपयुक्त नियम बनाये हुए है। चूंकि कारखाना अभी निर्माणावस्था में है, बिक्री के बारे में नियम निर्धारित करने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

3042. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम हैं ; उनकी नियुक्ति कब की गई थी और उनकी नियुक्ति की अवधि और शर्तें क्या हैं ;

(ख) कम्पनी को अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की कमी और आग लग जाने आदि के कारण से कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या कम्पनी के कार्य का सामान्य अनुमान लगाया गया है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसकी कमियों का पता लगाने और उसके कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक *विवरण* सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). क्योंकि कम्पनी की प्रायोजनाएं अभी निर्माण/विचाराधीन अवस्था में हैं और अभी उत्पादन प्रारम्भ करने की अवस्था में नहीं पहुंची है अतः इसके कार्यकरण के बारे में कोई सामान्य मूल्यांकन न तो किया गया है और न ही अभी इस समय किया जाना प्रस्तावित है :

विवरण

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के निदेशक-मंडल की रचना इस प्रकार है :—

		पदावधि/नियुक्ति की तारीख
(1) श्री एम० राव मछेरला	अध्यक्ष	1-8-1967 से दो वर्ष की अवधि

(2) श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन	निदेशक	24 अगस्त, 1968 से
(3) श्री आर० गणपति	,,	तदेव
(4) श्री देवी सहाय	,,	तदेव
(5) श्री एस० वी० भावे	,,	तदेव
(6) श्री चन्दन सिंह भरक्टिया	,,	4 सितम्बर, 1968 से
(7) श्री गंगा राम जोशी	,,	तदेव
(8) श्री के० वेंकटेश्वर राव	,,	तदेव

अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक के अतिरिक्त सभी निदेशक वार्षिक सामान्य मीटिंग के दिन रिटायर हो जाते हैं।

श्री एस० वोहरा, जिन्हें 2 सितम्बर, 1968 से योजना आयोग में सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन) नियुक्ति किया गया था, के स्थान पर नियमित प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति किये जाने तक, श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन्, खान तथा धातु विभाग में सह सचिव के अपने पद भार के साथ-साथ प्रबन्ध निदेशक का कार्य भी कर रहे हैं।

कम्पनी के सभी निदेशक अवैतनिक अंशकालिक निदेशक हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के पहले वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते और 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते के अतिरिक्त, प्रत्येक मीटिंग के लिये 75 रुपये की बैठक फीस दी जाती है। सरकारी निदेशक निदेशक-मंडल की मीटिंगों में उपस्थित होने के उपलब्ध में अपने-अपने विभागों आदि से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं।

राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

3043. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न राज्य ग्रामोद्योग बोर्डों तथा ऐसे अन्य संगठनों के लेखों की वर्ष 1967-68 तक लेखा-परीक्षा की जा चुकी है और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं ; किन वर्षों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा सरकारी अनुदान के उपयोगीकरण के बारे में क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या गोल-माल दुरुपयोग के मामले का पता लगा है जैसा कि लेखा-परीक्षकों ने बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध तथा दुरुपयोग गोल-माल किये गये धन को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2479/68**]

Divisional Users' Committee in Kota Division

3044. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Divisional Users' Committee has been constituted in Kota Division in regard to the passenger amenities ;

(b) if so, the basis on which the members of the said Committee have been selected ;

(c) whether it is a fact that such persons have been included as members in this Committee who had misused the passes issued to them, allowed the passengers to travel free and took money from them and on such charges against them, were later on discharged from these Committees ;

(d) whether the present Divisional Users' Committee, Kota also includes persons who were convicted by the courts ;

(e) if so, the reasons for including such persons in the Committee on any conditions whatsoever ;

(f) whether such persons have been included on the recommendations made by some individuals ; and

(g) if so, the names of such individuals and the basis of selection of such persons ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Nomination of non-official members on the Divisional Railway Users' Consultative Committee, Kota Division, is based on the principle of securing as wide a representation as possible of the various identifiable groups of rail users.

(c) to (g). There was a case of a person having irregularly used his pass when he was a Member of the Zonal Railway Users' Consultative Committee, Western Railway, from 1.4.64 to 31.3.66. Further details are being collected and will be placed on the table of the House.

Production of Machine Tools

3015. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the idle capacity of machine tools in the country is constantly increasing ;

(b) the production figures of machine tools in the country for 1967 and the figures of production thereof during the current year so far ;

(c) the reason for steep fall in their production ; and

(d) the steps being taken by Government to rejuvinate machine tools industry and explore new markets therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) While there is still idle capacity in the machine tool industry, this idle capacity

cannot be said to be constantly increasing. In fact, there have been signs of increased demand for machine tools during the last three months which may result in fuller utilisation of available capacity.

(b) **Year**	**Production (in crores of Rs.)**
1967	25.91
1968 (upto 30-9-1968)	16.03

(c) The slackening of demand for machine tools resulted in accumulation of large stocks with the manufacturers and the industry had, therefore, to restrict production.

(d) Concerted efforts are being made by the industry, with the encouragement and assistance of Government, to diversify the product range so that the types of machine tools which were hitherto being imported could be manufactured within the country.

Exports of machine tools are given 20% cash subsidy and 20% import replenishment. Deferred payment facilities have also been provided to the machine tool industry through the Industrial Development Bank of India for machine tool purchases by customers.

Government have undertaken a Census of Machine Tools installed in the country. The data regarding categories of machine tools in age group and industry group collected through this census will be a reliable basis for projecting the demand and will help the industry and Government chalk out future manufacturing programmes, taking into account the actual requirements.

विदेशी सहयोग

3046. **श्री कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे भारतीय व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है जो विदेशों में औद्योगिक सहयोग करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय किस-किस देश में और कितने-कितने संस्थानों में सहयोग दिया जा रहा है ; और

(ग) सहयोग करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई और इससे भारत को क्या लाभ हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां, भारतीय व्यापारी विदेशों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं । अभी तक सरकार द्वारा 65 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें से 12 इकाइयां चालू हो चुकी हैं । अन्य क्रियान्विति के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ग) जिन शर्तों के अन्तर्गत विदेशों में भारतीय निवेश की सामन्यतः अनुमति दी जाती है वे ये हैं : तरल धन के भुगतान के बिना तकनीकी ज्ञान और स्वदेशी मशीनों के निर्यात द्वारा शेयर पूंजी प्राप्त करना ।

विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों के कारण मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :—

(1) हमारे पूंजीगत माल के लिये तैयार बाजारों का मिलना, जिसके लिये गत 15 वर्षों में देश में काफी क्षमता बन चुकी है ।

(2) इन प्रायोजाओं में भारतीय तकनीकी ज्ञान का, जिसका विकास हाल में तीव्र गति से हुआ है, उपयोगों में आना; इक्विटी शेयरों के डिविडेंड को स्वदेश लाने से, विशेषज्ञों की फीस के रूप में तथा इन प्रायोजनाओं के लिये आवश्यक कच्चे माल तथा संघटकों के निर्यात से अंततोगत्वा विदेशी मुद्रा का उपार्जन ।

(3) विकसित अर्थ-व्यवस्था के रूप में देश का चित्र प्रस्तुत होना तथा अन्य देशों के साथ सद्भावना तथा आर्थिक सहायता बढ़ाने में सहायता ।

Hooliganism by Students on Trains

3047. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that hooliganism by students and goondas on all the trains passing through Moradabad (U. P.) has increased to such an extent that incidents of beating up, loot and eveteasing take place daily; and

(b) if so, the arrangements being made by Government to check it?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No. There is a downward trend as will be seen from the figures below:

No. of cases in 1967	—	31
No. of cases in 1968 (Up to 20th November)	—	25

(b) Nevertheless, arrangements to check the incidence by conducting raids by Government Railway Police, patrolling by Armed Police Guards, intensive checking at regular *intervals* and escorting of almost all night running trains by Government Railway Police continue to exist. Assistance is also rendered by Railway Protection Force to the State Police wherever necessary.

Small Scale Industries

3048. **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Ramchandra Veerappa:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are satisfied with the progress of small scale industries in the country; and

(b) if not, the new steps Government propose to take to encourage small scale industries?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) However, it is proposed **inter-alia** to take the following additional steps to further

encourage the development of small scale industries during the 4th Plan :

(i) A programme of modernization will be launched on a selective basis to enable the small scale industry to meet the challenge of technology, internal operational problems and economic fluctuations ;

(ii) Certain industries have been selected for intensive development ;

(iii) Adequate inspection facilities and stream-lining of the Government purchase programme ;

(iv) Consolidation of Industrial Estates already established ; and

(v) Strengthening of the Industrial Extension Services.

असलपुर-जाबनेर रेलवे स्टेशन को जलाया जाना

3049. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्तूबर, 1968 को जाबनेर एग्रीकल्चर कालेज (राजस्थान) के कुछ विद्यार्थियों ने असलपुर-जाबनेर रेलवे स्टेशन को मिट्टी के तेल से आग लगा दी थी जिस से रिकार्ड तथा फर्नीचर सहित कुछ रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 2,000 रुपये ।

(ग) राजस्थान की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307, 436 और 120 बी० तथा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 और 121 के अधीन अलग-अलग 3 मामले दर्ज कर लिये हैं । अब तक 44 विद्यार्थी गिरफ्तार किये जा चुके हैं । अभी इस मामले की जांच-पड़ताल हो रही है । इसके अलावा साम्भर और फुलेरा की जिला पुलिस ने भी डाक और तार अधिनियम के आधीन 2 मामले दर्ज किये हैं और 96 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया है ।

Electrical Factories in Bhopal and Hardwar

3050. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a loss of more than Rs. 13 crores has been incurred so far in the Heavy Electricals Factories in Bhopal and Hardwar ;

(b) whether it is also a fact that the Chairman of the aforesaid organisation has complained that Government are issuing import licences for such machines also as can be manufactured in India ; and

(c) if so, whether some additional measures are proposed to be taken to check this loss?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) **Bharat Heavy Electricals Limited**

The cumulative losses of Bharat Heavy Electricals Limited up to 31st March, 1968 amount to Rs. 13.04 crores. The loss relating to Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar which is one of the three units of Bharat Heavy Electricals Limited is Rs. 2.03 crores during the period.

Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal

The cumulative loss incurred by Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal up to 31st March, 1968 amounted to Rs. 38.79 crores.

(b) There have been no such complaints from the two Chairmen. Government's own policy is to ensure that imports are not allowed when indigenous manufacture is possible.

(c) These losses have been envisaged in the Detailed Project Reports submitted by the Consultants and are usual in projects of this kind and magnitude during the construction period and for some time after commencement of production. The companies are endeavouring to bring down their losses by (i) improving the manufacturing techniques and increasing the output including diversification, wherever possible, (ii) quoting more realistic prices in offers of tenders, (iii) having a stricter control over each item of expenditure, (iv) making effective use of plant and equipment and selecting ranges of manufacture which will give optimum return and (v) by improving labour productivity.

केरल और मद्रास में औद्योगिक संबंध

3051. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों के अपने हाल के दौरे के दौरान उन्होंने केरल और मद्रास के औद्योगिक संबंधों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं ;

(ख) क्या केरल और मद्रास की सरकारों ने इस पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों से तथ्य जाने बिना ऐसी टिप्पणी करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सभा-पटल पर एक प्रेस विवरण रख रहा हूं जो मैंने 9 अक्तूबर, 1968 को इस विषय पर निकाला था । इसमें साफ तौर पर यह सब कुछ बताया गया है जो मैंने केरल व मद्रास में श्रमिकों की स्थिति के बारे में कहा था ।

(ख) मैंने सितम्बर के अन्तिम सप्ताह और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में केरल व मद्रास के अपने दौरे के दौरान जो बातें कहीं थीं उन पर आपत्ति उठाने वाला केरल या मद्रास की

सरकार के कोई संदेश प्राप्त नहीं हुये हैं । हां मैंने कुछ राज्य मंत्रियों द्वारा की गयी कुछ आलोचनाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रेस समाचार देखे हैं । मेरा यह भी ख्याल है कि केरल सरकार के श्रम मंत्री से प्रधान मंत्री को यह तार मिला था कि मेरे विचार "निराधार प्रचार" के लिए ही थे ।

(ग) जैसा कि प्रेस विवरण से ज्ञात होगा इस प्रकार के विचार प्रकट करने में मेरा इरादा एच०एम०टी० कारखाने में श्रमिकों की वर्तमान स्थिति की ओर केरल के मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने तथा समय पर सावधान करने का था ताकि यह सुनिश्चित करने के लिये मिले-जुले या ठोस उपाय किए जा सकें कि जो सरकारी क्षेत्र के कारखाने बड़ी-बड़ी पूंजी स्थापित किए हैं वे राष्ट्र के सम्पूर्ण हित में चालू रहें और उनका उत्पादन बढ़ता रहे ।

Import of Wool

3052. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the inquiry with regard to the wool imported in larger quantity than required for the Army in the year 1962-63 has been completed ; and

(b) if so, the action taken against the persons found guilty in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The investigations in respect of import of wool for meeting Defence requirements during 1962-63 have been completed and the matter is under further examination.

Setting up of Billet Steel Plant at Singapore

3053. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian team visited Singapore in October, 1968 to explore the possibilities of setting up a billet steel plant there ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the decision taken in this regard and the details of the proposed scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). A team of Engineers of Hindustan Steel Limited visited Singapore in October, 1968, for a preliminary survey in connection with the preparation of a feasibility report for the setting up of a Billet Mill at Singapore. It will take about six months for the completion of the report. Further action in this regard can be taken only after the report has become available.

बाढ़ के कारण बरौनी और कटिहार में फंसे यात्रियों की कठिनाइयां

3054. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही की बाढ़ के फलस्वरूप बरौनी और कटिहार में फंसे

यात्रियों को रेलवे अधिकारियों से सहायता न मिलने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लखनऊ और दिल्ली में रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी नहीं दी थी और रेलगाड़ियों को भी बरौनी और कटिहार जाने की अनुमति दे दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दूर-दूर तक फैली हुई बाढ़ और लाइन के टूट जाने के कारण रेल यातायात भंग हो गया था और यत्रियों को बरौनी और कटिहार में रुकना पड़ा । लेकिन उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा संबंधी सहायता, खान-पान की व्यवस्था और उनके जाने के प्रबन्ध करने में रेलों द्वारा उनकी सभी संभव सहायता की गयी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कृषि वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

3055. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन के वस्तु पुनरीक्षण, 1968 में कही गई इन बातों की ओर दिलाया गया है कि वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने के कारण भारत समेत सभी विकासशील देशों की विदेशी मुद्रा की आय में बहुत कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है और राष्ट्रीय तथा बहु-पक्षीय कार्यवाही की जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंक्टाड की पण्य समिति के अक्तूबर-नवम्बर, 1968 में हुए तीसरे अधिवेशन में हाल की गतिविधियों के परिपेक्ष्य में पण्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही पर चर्चा हुई थी । रक्षित भंडारों द्वारा विपणन हस्तक्षेप और उनके लिये पूर्व वित्त व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में समझौता हुआ । विविधीकरण कार्यक्रम के बारे में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए । अपने कृषि उत्पादों की निर्यात उपार्जन क्षमता को इन उत्पादों के विश्व मूल्यों में मंदी से बचाने के लिए आंतरिक स्तर पर निर्यात संबर्द्धक उपाय सघन किये गये हैं । देश में उत्पादन और उत्पादन कुशलता बढ़ाने के लिये अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन के स्वदेशी धागे का वितरण

3056. **श्री सीता राम केसरी :**

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय दिया है कि नाइलोन के स्वदेशी धागे का वितरण राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया जाये ;

(ख) क्या उद्योग ने प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चिली के साथ व्यापार समझौता

3057. **श्री सीता राम केसरी :**

श्री बाल्मीकी चौधरी :

श्री रामचन्द्र बीरप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली के साथ नया व्यापार करार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया जायेगा ; और

(घ) उस देश से हमारा वर्तमान व्यापार संतुलन क्या है और इस करार के परिणाम-स्वरूप कितनी व्यापार संतुलन होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । चिली के साथ एक नया व्यापार करार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). चूंकि बातचीत अभी प्रारंभिक अवस्था में है अतः इन बातों पर अभी निर्णय नहीं लिये गये हैं ।

(घ) 1967-68 में चिली के साथ भारत का व्यापार संतुलन निम्नलिखित था :—

चिली को निर्यात		43 लाख रुपये
चिली से आयात		11 लाख रुपये
संतुलन	(+)	32 लाख रुपये

प्रस्तावित करार पर विचार करते समय हमारा यह प्रयत्न होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े जिससे दोनों देशों को लाभ हो ।

भारतीय मशीनी औजारों का निर्यात

3058. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि-मण्डल इस आश्चर्यजनक अनुभव के साथ वापस लौट रहे हैं कि उन देशों की जटिल मशीनों के औजारों, जटिल मशीनों के ढालने तथा इस्पात ढांचों के निर्माण के बारे में भारतीय उद्योगों की क्षमता के बारे में अज्ञान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन देशों में मशीनी औजारों की बहुत मांग है उनमें इस आशय का व्यापक प्रचार करने के लिए कि भारत में मशीनी औजार निर्यात करने की योग्यता है, क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). यह सत्य नहीं है कि भारतीय मशीनी औजारों, लोहे तथा इस्पात की ढली वस्तुओं, इमारती ढांचे के सामान अथवा इंजीनियरी मदों की निर्यात क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है । इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा पूरक-समाचार-पत्रों, विज्ञापनों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से नियमित आधार पर प्रचार कार्य किया जाता है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित बिक्री तथा अध्ययन दलों तथा व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों द्वारा भी इंजीनियरी उत्पादों में भारत की क्षमता की जानकारी उत्पन्न करने के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है । इन उपायों की सहायता से इन ऐसी मदों का निर्यात काफी बढ़ रहा है ।

विदेशों में प्रदर्शनियों तथा मेलों के द्वारा भी इन मदों का प्रचार किया जाता है और विदेशी सरकारों के साथ व्यापार करार सम्पन्न करते समय इन मदों को शामिल करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाता है । हाल में विदेशों में वितरण के लिये मशीनी औजार निर्माता संस्था द्वारा मशीनी औजारों का एक सूची-पत्र निकाला गया है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

3059. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने में भारत के सामने कठोर प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार की बाधायें हैं ;

(ख) उन बाधाओं पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) निर्यात क्षमता को बनाये रखने के लिये मैंगनीज अयस्क के बजाये फेरो-मैंगनीज के निर्यात का काम किस हद तक हाथ में लिया गया है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विश्व बाजार में मन्दी की स्थिति तथा वद्ध-खानों के विकास के अतिरिक्त मैंगनीज अयस्क के अपने निर्यातों में भारत को जिन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) 'ऊपरी अयस्क' की लगभग समाप्ति के फलस्वरूप अधिक लागत पर गहरी खुदाई की आवश्यकता के कारण भारतीय मैंगनीज अयस्क के उत्पादन की ऊंची लागत ।

(2) खानों से पत्तनों तक ऊंचा रेल भाड़ा तथा उपभोक्ता देशों तक ऊंचा समुद्री भाड़ा , और

(3) लदान-सुविधाओं तथा बड़े आकार के जहाज ठहराने में भारतीय पत्तनों की सीमाएं ।

स्वेज नहर के बन्द हो जाने से भी भारतीय मैंगनीज अयस्क की प्रतिस्पर्धा शक्ति पर कुप्रभाव पड़ा है ।

(ख) परिवहन तथा पत्तन-सुविधाओं में सुधार करने के लिए समेकित प्रायोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ।

(ग) मैंगनीज अयस्क तथा फैरो-मैंगनीज दोनों के निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

विशेष रेलवे सुरक्षा यंत्र का कार्यकरण

3060. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट-जामनगर राज पथ पर बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर परीक्षण के रूप में लगाया गया 'चेतावनी घंटी तथा फलैश लाइट' नामक विशेष रेलवे सुरक्षा यंत्र संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मितव्ययी यंत्र बिना चौकीदारों वाले सभी रेलवे फाटकों पर लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस बारे में आगामी दो वर्षों में क्रमबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चेतावनी घंटी के अपने आप बजने और फलैशिंग लाइट की व्यवस्था पश्चिम रेलवे के राजकोट जेतलसर खण्ड पर राजकोट और भक्तिनगर के बीच समपार सं० 7 पर की गयी है । यह यंत्र सन्तोषजनक काम कर रहा है ।

(ख) यह यंत्र, जिसे बिना चौकीदार वाले समपार में चौकीदार रखने के बदले लगाया जाना है, राज्य सरकारों की सहमति से कुछ चुने हुए बिना चौकीदार वाले समपारों पर लगाया जायेगा । इसकी प्रारम्भिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और आवर्ती खर्च रेलों द्वारा किया जायेगा ।

(ग) अभी कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । बिना चौकीदार वाले कितने

समपारों पर यह यंत्र लगाया जायेगा और कितने समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जायेगी, इसके निर्णय सड़क और रेल यातायात की आवश्यकताओं तथा दूसरे सम्बन्धित स्थानीय पहलुओं को देखते हुए राज्य सरकार और रेलवे द्वारा मिलकर किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा

3061. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 की तुलना में 1968 तक विकासशील देशों का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्षिक दर 20.70 करोड़ डालर के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में भारत के व्यापार में किस अनुपात में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1968 की दूसरी तिमाही में विकासशील देशों के कुल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात, 4250 करोड़ डालर की अभूतपूर्व वार्षिक दर पर पहुंच गये जबकि पारस्परिक आर्थिक सहायता के देशों, मेनलैंड चीन, और क्यूबा को छोड़कर कुल अंतर्राष्ट्रीय निर्यातों के तत्स्थानी आंकड़े 20670 करोड़ डालर के हैं।

(ख) 1968 के पूर्वार्द्ध में भारतीय निर्यातों की असमायोजित वार्षिक दर में 1966-67 की तुलना में 4.5% की वृद्धि हुई जबकि भारत के कुल व्यापार में उन्हीं अवधियों के बीच आयातों में गिरावट के फलस्वरूप नगण्य गिरावट आई।

औद्योगिक नीति का पुनरीक्षण

3062. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने इस वर्ष जून के तीसरे सप्ताह में सरकार से निवेदन किया है कि वह अपनी औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करे ताकि अर्थ-व्यवस्था के और बिगड़ने की बजाय उसमें सुधार हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंडल से सरकार को मिले पत्र का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार ने कलकत्ता के इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स की दिनांक 21 जून, 1968 की प्रेस विज्ञप्ति देखी थी और उसे उस चैम्बर से एक संदेश मिला था जिसमें सरकार की औद्योगिक व लाइसेंस नीति पर चैम्बर के कुछ विचार व सुझाव दिये गये थे।

(ग) उन विचारों व सुझावों को ध्यान में रख लिया गया है।

पंजाब में राज्य सरकारी उपक्रम

3063. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब विधान-परिषद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि राज्य में अधिकांश सरकारी उपक्रम 'मंत्रियों की निजी जमींदारी अथवा रियासतों में रियासतें' के समान है, जो अपनी इच्छा के अनुसार और अकुशलता से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उक्त समिति के इस कथन की ओर भी दिलाया गया है कि न्यूयार्क मेले का यात्रा और मनोरंजन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था और शक्तिशाली लोग राज्य के खर्च पर अपने पुत्रों तथा पुत्रियों को अमरीका भेजने में सफल हो गये थे तथा ऐसी लड़कियों को, जो व्यवसायिक योग्यता प्राप्त नहीं थीं, सेल्ज गर्ल्स के रूप में काउन्टरों पर काम करने के लिए भर्ती किया गया था तथा इन कर्मचारियों के चयन में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात से काम लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि न्यूयार्क मेले के मंडल में पंजाब निर्यात निगम को 7,17,455 रुपये की हानि हुई थी, यदि हां, तो उक्त निर्यात निगम के मामलों की जांच करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार के पास पंजाब निर्यात निगम का हिसाब उपलब्ध नहीं है ।

रूस को रेलवे माल डिब्बों का निर्यात

3064. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को भारतीय माल-डिब्बों के संभरण के बारे में उस देश के साथ किये गये करार के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय निर्माता रूस द्वारा दिये गये विशिष्ट विवरणों के अनुसार माल डिब्बे बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो रूसी आयातकों द्वारा दिये गये विशिष्ट विवरण के अनुरूप माल डिब्बे बनाने में क्या कठिनाइयां पाई गई हैं;

(घ) क्या रूस के साथ माल-डिब्बों का सौदा समाप्त हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किन विशिष्ट परिस्थितियों में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) रूस को रेलवे माल-डिब्बों के संभरण के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा मशीनें इम्पोर्ट आफ मास्को के साथ किये गये करार के अनुसरण में राज्य व्यापार निगम ने आवश्यक तकनीकी विशिष्टयां प्राप्त करके देश के प्रमुख माल-डिब्बा निर्माताओं को उनके बारे में सूचित कर दिया है, माल-डिब्बा निर्माताओं ने अपनी निर्माण क्षमता का आक्कलन लगाया है और कहा है कि रूस द्वारा दी गई विशिष्टियों के अनुसार रेलवे माल-डिब्बों का संभरण किसी विशेष कठिनाई के बिना और मामूली तकनीकी समंजन करके किया जा सकता है। राज्य व्यापार निगम ने सोवियत खरीदारों को अपना प्रस्ताव भेजा है और इस समय मूल्यों तथा अन्य शर्तों पर बातचीत करने के लिये एक प्रतिनिधि-मण्डल मास्को गया हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स ग्रैफाईट इण्डिया लिमिटेड

3065. **श्री अदिचन :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्रैफाइट इण्डिया लिमिटेड भारत में ग्रैफाइट इलेक्ट्राड्ज के क्षेत्र में उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और इस वस्तु की देश की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या सरकार अन्य उपक्रमों को इस वस्तु के उत्पादन के लिए सहयोग प्राप्त करने की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,400 मी० टन है तथा देश की वर्तमान आवश्यकता भी इसी के अनुसार है।

(ग) एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

3066. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कोयला

खानों के मालिकों ने मूल्यों में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की मांग की गई है तथा सरकारी क्षेत्र के बिजली पैदा करने के कारखानों, इस्पात संयंत्रों तथा रेलवे ने कितनी वृद्धि करना मंजूर किया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल्यों में तदनुसार वृद्धि के बिना मजूरी तथा अन्य व्यय में वृद्धि से कोयला खानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कई कोयला खानों के लिये मजूरी बोर्ड के पंचाट को पूर्णतया लागू करना कठिन हो रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). कोयला-वेतन-पंचाट का कार्यान्वयन और कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाया जाना लगभग एक ही समय हुआ। नियन्त्रण हटाये जाने के पश्चात् कोयले का मूल्य क्रेताओं और विक्रेताओं के आपस में तय किये जाने का विषय है। रेल विभाग ने 1 जुलाई, 1968, से बंगाल-बिहार के और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दूरस्थ क्षेत्रों के कोयले की चुनी हुई श्रेणियों के कोयले के लिये 2 रुपये प्रति मैट्रिक टन और श्रेणी एक के कोयले के लिये 1 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धियां स्वीकार कर ली हैं। सिंगरैनी के गोल कोयले के विषय में 1.15 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धि स्वीकार कर ली गई। इस्पात संयंत्रों, कोयला धावनशालाओं और कोकरीज को सप्लाई किये जा रहे कोयले के विषय में 1.75 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धि भी स्वीकार कर ली गई है। यह उस सामान्य नीति के अनुरूप है जिसके अनुसार कोयलों के उत्पादन मूल्य में किसी वृद्धि का सारा भार उपभोक्ताओं पर ही नहीं डाला जाना चाहिये।

ट्रैक्टरों का आयात

3067. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम, गैर-सरकारी फर्मों तथा किस अन्य एजेंसी द्वारा देशवार कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि में ट्रैक्टरों के लिये देशवार कितने मूल्य के पुर्जों का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि पुर्जों के अभाव के कारण कई ट्रैक्टर सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास बेकार पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास अलग-अलग ऐसे कितने ट्रैक्टर हैं जो सरकार जानती है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आयातित पुर्जों के अभाव के कारण कई ट्रैक्टर रद्दी हो गये हैं;

(च) यदि हां, तो स्वतंत्रता के उपरान्त ऐसे ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है, रद्दी करार किये गये ट्रैक्टरों का मूल्य कितना है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2480/68]

(ग) से (च). कुछ सामान्य शिकायतें मिली हैं कि फालतू पुर्जों के अभाव में आयातित ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं परन्तु कोई निश्चित ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

3068. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के आगामी दो वर्षों में विस्तार तथा पूंजी विनियोजना कार्यक्रम का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपनी कोकिंग कोयला उत्पादन क्षमता में मामूली विस्तार के लिये भारी राशि लगाने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इस मात्रा का उत्पादन संतुलन उपकरण लगाकर मामूली-सी अतिरिक्त पूंजी से किया जा सकता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के आगामी दो वर्षों में विस्तार तथा पूंजी विनियोजन कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयले का उत्पादन

3069. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिये कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयले के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा कितनी पूंजी लगानी आवश्यक होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं। हम ऐसा करने जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान कोयले की आवश्यकता

3070. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की आवश्यकता 920 लाख मीटरिक टन निर्धारित की गई है;

(ख) क्या अनुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि तृतीय योजना में कोयले के लिये निर्धारित लक्ष्य में 3 करोड़ मीटरिक टनों की कमी हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भाग (क) में लक्ष्य किन मूल आधार पर निश्चित किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अभी तक कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

3071. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल इस स्थिति में है कि देश के अन्दर विभिन्न प्रकार के बायलरों का डिजाइन बनाना तथा निर्माण करना शुरू कर सके ;

(ख) क्या देश की बायलरों की समूची आवश्यकता पूरी करने के लिए इस संस्थान ने पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संस्थान द्वारा यह आवश्यकता कहां तक पूरी होने की संभावना है; और

(घ) क्या इसे देखते हुए बायलरों का आयात कम करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हाई प्रेशर बायलर प्लान्ट, तिरुचिरापल्ली, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक एकक है । हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल का नहीं, यह देश में ही विभिन्न प्रकार के बायलरों के नमूने बनाने तथा निर्माण करने की स्थिति में है । इसकी वार्षिक क्षमता 30000 मी० टन तक उपकरण बनाने की है । विशिष्ट प्रकार के बायलरों की मांग की स्थिति विशेष को छोड़कर, इसकी उत्पादन क्षमता और ए० सी० सी० विकर्स बेबकाक लिमिटेड, दुर्गापुर की उत्पादन-क्षमता से दोनों देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है ।

(घ) जी, हां ।

कोचीन पत्तन के साथ भीतरी भागों को मिलाने के लिये रेलवे लाइन

3072. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन को भीतरी भागों के साथ मिलाने वाली इकहरी रेलवे लाइनें पत्तन में बढ़ते हुए यातायात के लिये पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों को दुहरी बनाने के लिये रेलवे मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या चतुर्थ योजना में इस प्रस्ताव के क्रियान्वित किये जाने की कोई सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में पत्तन प्राधिकारियों या परिवहन मंत्रालय से अभी तक कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है, फिर भी रेलवे द्वारा छानबीन करने पर यह पता चला है कि कोचीन बन्दरगाह को मिलाने वाली बड़ी लाइन की वर्तमान इकहरी लाइन के कुछ खण्डों की लाइन क्षमता इस लाइन पर बढ़ने वाले यातायात को सम्हालने के लिए अपर्याप्त होगी । इसलिए आलुवा और एर्णाकुलम के बीच के खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है । यदि इस प्रस्ताव का औचित्य पाया गया तो इस काम को चौथी योजना में हाथ में लिया जायेगा ।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

3073. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1968 से देश के विभिन्न भागों में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में ली गयी मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या संकटग्रस्त मिलों के भविष्य के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मतभेद है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1968 से बंद हुई सूती कपड़ा मिलों की संख्या 67 है । इनमें से 31 मिलें पुनः चालू हो गई हैं जबकि 31 अक्तूबर, 1968 को 36 मिलें बन्द पड़ी थीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) सरकार को किसी मतभेद की, यदि कोई हो तो, जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हीरों तथा कीमती पत्थरों आदि का विक्रय

3074. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 तथा 1968 में अब तक हीरों—कीमती पत्थरों तथा आभूषणों का कितना निर्यात किया गया है;

(ख) चालू वर्ष में इन वस्तुओं के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) उक्त अवधि में से प्रत्येक में पर्यटकों तथा विदेशी यात्रियों को इन वस्तुओं के विक्रय द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) पर्यटकों तथा विदेशी यात्रियों को विदेशी मुद्रा लेकर भारत में ये वस्तुयें बेचने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) निर्यात आंकड़े वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं । हीरों, रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात निम्नलिखित थे :—

1967-68	27.04 करोड़ रुपये
1968-69	19.03 करोड़ रुपये

(अप्रैल-सितम्बर, 1968)

(ख) वर्ष 1968-69 के लिये इन मदों का निर्यात लक्ष्य 35 करोड़ रुपये का रखा गया है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(घ) विदेशी पर्यटकों को रत्न तथा आभूषणों की बिक्री बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) विदेशी पर्यटकों को रत्न तथा आभूषणों की बिक्री के लिये 1 अप्रैल, 1968 से प्रतिपूर्ति योजना आरंभ की गई है । योजना में, निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में लगने वाले गैर-स्वदेशी माल के आयात की व्यवस्था है ।

(2) उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति को केवल यात्री चैकों के आधार पर नहीं अपितु विदेशी मुद्रा के सभी बैंक कारोबार के आधार पर जैसे विदेशी मुद्रा के यात्री चैकों, शोहजोग विदेशी बैंक ड्राफ्टों और विदेशी बैंकों के व्यक्तिगत चैकों पर विदेशी

पर्यटकों को की गई आभूषणों की सभी विक्रियों पर लागू किया गया है ।

(3) उपर्युक्त (1) तथा (2) के अलावा रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद के माध्यम से विदेशों में विक्रय/अध्ययन दल तथा प्रतिनिधि-मण्डल भेजने, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि की सुविधाएं दी जाती हैं ।

डायमंड हार्बर तथा सदर सब-डिवीजन पश्चिम बंगाल में उद्योग

3075. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर तथा सदर सब-डिवीजनों में बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक उद्योग में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के बहुत से छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो संकट का स्वरूप क्या है; और

(ङ) यदि सरकार द्वारा डायमंड हार्बर तथा सदर-सब-डिवीजनों में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को कोई सहायता दी गई है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जानकारी सभा-पटल पर रखे गये (अंग्रेजी उत्तर के साथ) विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2481/68]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कुटीर तथा लघु उद्योगों का राज्य निदेशालय अपने अभिकरणों द्वारा सम्बद्ध एककों को कार्यकलापों की सामान्य योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करता है ।

मजेरहाट से डायमण्ड हार्बर तथा फाल्टा स्टेशन के लिये शटल गाड़ी सेवा

3076. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि (एक) दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में बहुत ही घनी आबादी है (दो) मजेरहाट (दक्षिण उपनगर) से डायमण्ड हार्बर तथा फाल्टा तक यात्रा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और (तीन) इस लम्बे मार्ग पर परिवहन का एकमात्र साधन थोड़ी सी गैर-सरकारी बसें हैं जो वहां की यातायात के लिये काफी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मजेरहाट रेलवे स्टेशन से डायमण्ड हार्बर तथा फाल्टा तक शटल गाड़ी सेवा शुरू करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) (i) जी हां ।

(ii) फाल्टा किसी रेलवे स्टेशन से सम्बद्ध नहीं है । मजेरहाट से डायमण्ड हार्बर आने-जाने वाले सीधे यात्रियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं दिखाई पड़ी है ।

(iii) मजेरहाट से डायमण्ड हार्बर जाने के लिए निजी बस सेवा ही परिवहन का एकमात्र साधन नहीं है । बालीगंज बारूईपुर स्टेशन पर गाड़ी बदलकर इन दो स्थलों के बीच नियमित सेवाएं भी उपलब्ध हैं ।

(ख) जी नहीं, फिलहाल इस खण्ड पर सीधी गाड़ियां चलाने का यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है ।

निर्यात तथा आयात

3077. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 से 1967-68 तक प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया ;

(ख) इस अवधि में प्रति वर्ष विदेशी नियन्त्रण वाली गैर-सरकारी फर्मों ने कुल कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया ;

(ग) इन वर्षों में प्रति वर्ष अन्य देशों से कितने मूल्य के पेट्रोलियम और बिजली के उपकरणों का आयात किया गया और इसमें विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों द्वारा इस अवधि में किये गये इन वस्तुओं के निर्यात तथा आयात मूल्य का अनुपात क्या था ;

(घ) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के पटसन, चाय और सूती कपड़े का निर्यात किया गया ; और

(ङ) इन वर्षों में से प्रत्येक में विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनियों द्वारा कितने मूल्य की इन वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) . एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1960-61 से 1967-68 तक के वर्षों में कुल वार्षिक आयात तथा निर्यात, विदेशों से आयातित पेट्रोलियम और बिजली के उपकरणों के मूल्य और विदेशों को निर्यातित पटसन, चाय, सूती कपड़े के मूल्य दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2482/68]

आयात लाइसेंस व्यक्तिगत पार्टियों को दिये जाते हैं और लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में रखे गये आंकड़ों से उनके नियन्त्रक स्वामियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इन दिये

गये लाइसेंसों का ब्योरा "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्टलाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज" में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लघु उद्योग

3078. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
श्री प्र० क० देव :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में मंदी संबंधी लोकनाथन अध्ययन दल ने वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीय उद्योग निगम को लघु उद्योगों के मालिकों द्वारा देय ऋणों की वसूली एक वर्ष के लिए स्थगित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार लोकनाथन अध्ययन दल की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ग) क्या अध्ययन दल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। प्रत्येक कारखाने के गुणावगुणों के आधार पर समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसी फर्मों को भी रियायत दी जाये जिन्होंने जून, 1966 तक नियमित रूप से किश्तें अदा की हैं और केवल ऐसे मामलों में लागू की जाये जिन पर औद्योगिक मंत्री का प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिशें सरकार के विचारधीन हैं। रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है।

रायलासीमा मिल्स लिमिटेड, अडोनी

3079. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायलासीमा मिल्स, अडोनी के प्रबन्ध निदेशक को 2,000 रुपये मासिक वेतन देने की अनुमति है और अन्य दो निदेशकों को क्रमशः उत्पादन और वितरण के लिये प्रति निदेशक मासिक 1,000 रुपये दिये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य दो निदेशकों को भुगतान करने की आवश्यकता पर विचार किया है जब कि प्रबन्ध निदेशक को मिल्स के प्रबन्ध कार्य के लिये पर्याप्त वेतन मिलता है ;

(ग) क्या रायलासीमा मिल्स जितनी बड़ी किसी मिल्स में ऐसा कोई पूर्व उदाहरण है कि जहां प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त अन्य दो निदेशकों को भी वेतन दिया जाता हो ;

(घ) मैनेजिंग एजेंसी के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक और अन्य निदेशकों की नियुक्ति की प्रणाली अपनाने के बाद कितनी बचत हुई है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक और दो अन्य निदेशक पहले इस मिल्स की मैनेजिंग ऐजेंसी फर्म में भागीदार थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान । कम्पनी विधि-बोर्ड द्वारा निर्णय किये जाने से प्रथम, मामले के सभी पक्षों की परीक्षा कर ली गई थी ।

(ग) हां, श्रीमान । रायलासीमा मिल्स लिमिटेड के तुलनीय परिणाम की ऐसी बहुत-सी कम्पनियां हैं जहां प्रबन्ध निदेशकों के साथ पूर्ण-कालिक निदेशक भी हैं, जिनको उसी प्रतिरूप से पारिश्रमिक दिया जा रहा है ।

(घ) 21 सितम्बर, 1967 से, इस कम्पनी से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाणी के उन्मूलन के पहले के 5 वर्षों के मध्य, रायलासीमा एजेन्सीज नाम की प्रबन्ध अभिकरण फर्म, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर आधारित 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक विसृप अनुमाप से पारिश्रमिक प्राप्त कर रही थीं, तथा उनके द्वारा प्राप्त वर्ष-अनुसार वास्तविक राशियां, निम्नलिखित हैं :—

1963	73,060 रु०
1964	56,720 ,,
*1965	1,880 ,,
*1966	कुछ नहीं
1967 के नौ मास,	6,704 ,,

इसकी अपेक्षा, इस समय प्रबन्ध निदेशक तथा दो पूर्ण-कालिक निदेशकों को स्वीकृत प्रबन्ध पारिश्रमिक का कुल योग, 1963 तथा 1964 में, जबकि कम्पनी ने पर्याप्त लाभ उठाया था, उनके द्वारा प्राप्त किये गये, 73,060 रु० तथा 56,720 रु० के विरुद्ध केवल 48,000 रु० प्रति वर्ष है ।

(ङ) हां, श्रीमान ।

(* किसी विशेष वर्ष में लाभ अथवा हानि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, प्रबन्ध अभिकर्ता कोई न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं थे ।)

औद्योगिक बस्तियां

3080. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियों के विकास, स्थापना के बारे में विभिन्न राज्यों ने अपने विस्तृत प्रस्ताव भेज दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है और औद्योगिक विकास की प्रत्याशित दर कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों को छोड़ कर शेष सभी राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों के प्रारूप प्राप्त होना है और एक विवरण जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियों (जिनमें विकसित क्षेत्रों के लिए योजनाएं भी सम्मिलित हैं) पर प्रस्तावित खर्चा दिखलाया गया है, सभा-पटल पर रखा गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2483/68] अधिकांश मामलों के प्रस्तावों के मसौदे में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों की संख्या तथा स्थापना स्थल इत्यादि नहीं दिखाये गए हैं। फिर भी यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिलवर आक्साईड जिंक बैटरियों का आयात

3081: **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से भारी संख्या में सिलवर आक्साईड जिंक बैटरियां आयात की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 में कितनी तथा कितने मूल्य की बैटरियों का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). सिलवर आक्साईड जिंक बैटरियों का भारतीय व्यापार वर्गीकरण अथवा आयात नियन्त्रण अनुसूची में अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता और इसलिये अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1965-66 से 1967-68 तक आयात की गई ड्राई सेल प्राइमरी बैटरियों तथा वेट सेल प्राइमरी बैटरियों की मात्रा तथा मूल्य को दर्शाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2484/68]

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

3082. **श्री गाडलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का अब गठन किस प्रकार का है और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उसके सदस्यों के चुने जाने का क्या आधार है और उनकी कार्य की अवधि कितनी है ;

(ग) क्या उस बोर्ड के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2485/68]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति

3084. **श्री सरजू पाण्डेय** **श्री धीरेन्द्र नाथ पाटोदिया :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) समिति ने कतिपय अन्तरिम सिफारिशें की हैं परन्तु उनके द्वारा विचार की गई सिफारिशों वाला प्रतिवेदन अभी प्राप्त होना बाकी है ।

(ख) और (ग). हाल ही में चाय उद्योग को दी गई कतिपय राहतों तथा रियायतों पर विनिश्चय करते समय अन्तरिम सिफारिशों तथा सरकार के पास उपलब्ध अन्य जानकारी को ध्यान में रखा गया है । समिति की सिफारिशों पर औपचारिक तथा अन्तिम निर्णय उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर लिया जायेगा ।

दिल्ली प्रशासन में औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारियों के पदों का निर्माण

3085. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को पदोन्नत करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन दिल्ली के अधीन औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारियों के कुछ पद बनाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के वित्त विभाग द्वारा विरोध किये जाने पर भी बिना किसी औचित्य अथवा कार्य के इन पदों को जारी रखा गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रेणी दो के अधिकारियों को वह काम सौंपा गया है जिसे औद्योगिक विभाग के दिल्ली के औद्योगिक सर्वेक्षण कार्य (विभाग) में क्लर्क आसानी से कर सकते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). वित्त विभाग की स्वीकृति पर दिल्ली प्रशासन में औद्योगिक सर्वेक्षण प्रकोष्ठ के लिये औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारी का एक पद बनाया गया है। इस स्थान को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जाना है। जब तक इस पद पर पदाधिकारी का चुनाव नही हो जाता तब तक इस पद पर कार्यकारी विभाग का एक अधिकारी जिसे सांख्यिकी का भी अनुभव है, पूर्णतः अस्थायी रूप में काम कर रहा है। यह कार्य इस प्रकार का है कि इसे क्लर्क नहीं कर सकता है।

दुर्गापुर में कीमती इस्पात पिण्ड

3086. **श्री जी० कुचेलर** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तैयार किये गये 1,20,000 टन कीमती इस्पात पिण्डों को "रद्दी माल" घोषित कर दिया गया गया है और उसे मामूली कीमत पर बेचने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले पर उपकरों की दर

3087. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकाले गये/भेजे गये कोयले पर उपकरों का स्वरूप और उनकी दर क्या है;

(ख) पिछले 15 वर्ष में विभिन्न उपकरों से कितनी राशि वसूल हुई;

(ग) विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) खर्च न की गई निधियों की कुल राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस समूची राशि को अथवा इसके एक हिस्से को कोयला

खानों के उत्पादन कार्यक्रम अथवा अनुसंधान और विकास अथवा अन्य विकास योजनाओं के लिये खर्च करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम 1952, के अधीन उत्पादित तथा प्रेषित सभी कोयले पर और उत्पादित तथा प्रेषित सभी कोक पर उत्पादन शुल्क उद्ग्राह्य है। इस शुल्क की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :-

	(रुपये प्रति टन)
(क) सभी नान-कोकिंग कोयलों तथा साफ्ट कोक पर	1.68
(ख) कोकिंग कोयलों पर	2.44
(ग) हार्ड कोक पर	3.66

(ख) और (ग). सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2486/68]**

(घ) 31 मार्च, 1968 को कोयला खान सुरक्षा तथा संरक्षण निधि में 1,23,55,900 रुपये बकाया थे।

(ङ) उत्पादन शुल्क की ऊपर दी हुई दरों में 14 अक्तूबर, 1968 से कोकिंग कोयले पर 76 पैसे प्रति टन तथा हार्ड कोक पर 1.14 रुपये प्रति टन की वृद्धि सम्मिलित है। शुल्क में इस वृद्धि से हुई आय का उपयोग केवल कोकिंग कोयले के संरक्षण और विकास के उद्देश्यों के लिये ही किया जाना है।

इस्पात पुनर्बेलन उद्योग

3088. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री सुदर्शनम :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पुनर्बेलन उद्योग को छड़ों के उपलब्ध न होने के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को छड़ों की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पिछले कुछ महीनों से बिलेट की सप्लाई देश की कुल मांग से कम हो रही है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस कारण से पुनर्बेलन उद्योग को किसी विशेष संकट का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सरकार ने यथासम्भव मात्रा में बिलेट की सप्लाई बढ़ाने के लिये और साथ ही

पुनबलन मिलों की तैयार माल निर्यात करने की आवश्यकताओं, देशीय उत्पादन के लिये पुनर्बेलन मिलों की आवश्यकताओं और बिलेट का बिलेट के रूप में निर्यात करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये बिलेट का साम्यिक वितरण का तरीका बनाने के लिये पहले ही कदम उठाये हैं।

Textile Industry

3089. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government, with a view to remove the difficulties faced by the textile industry, have been trying to reduce excise duty, to give priority to this industry and to make more loans available from the Scheduled Banks ; and

(b) if so, the progress made in this regard so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a). No, Sir. However, several measures which would enable the cotton textile industry to tide over its present difficulties are receiving the attention of the Government.

(b) Does not arise.

पन्ना खानों द्वारा विदेशी मुद्रा की आय

3091. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना खानें तराशे हुये और पालिश किये हुये हीरों के निर्यात से अब विदेशी मुद्रा की अपनी आय में वृद्धि दिखा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) वर्ष 1968-69 में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). पन्ना खानों से उत्पादित हीरे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा सीधे निर्यात नहीं किये जाते परन्तु वह देश में ही बिना तराशे रत्नों के रूप में नीलाम किये जाते हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक द्वारा त्याग-पत्र

3092. **श्री के० रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बाल्मीकी चौधरी
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक ने त्याग-पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके त्याग-पत्र के कारण इस्पात कारखाने के कार्य को हानि पहुंचेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक को 10 फरवरी, 1964 से पांच वर्ष के लिये नियुक्त करने का इकरारनामा किया गया था। हाल ही में उन्होंने प्रार्थना की है कि व्यक्तिगत कारणों से वे 9 फरवरी, 1969 के बाद जब इस इकरारनामे की अवधि समाप्त होगी, इस इकरारनामे का नवीकरण नहीं चाहते।

(ग) जी, नहीं।

कम्बोडिया के साथ व्यापार करार

3093. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया के साथ हाल ही में कोई व्यापार करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुन्टूर-हुबली यात्री गाड़ी का कोप्पल स्टेशन पर देरी से पहुंचना

3094. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 227 गुंटूर-हुबली यात्री गाड़ी 1 अगस्त, 1968 से 31 अक्तूबर, 1968 तक दक्षिण-मध्य जोन में कोप्पल स्टेशन पर कितने दिन समय पर आई;

(ख) इसी अवधि में यह गाड़ी कोप्पल रेलवे स्टेशन पर कितनी बार क्रमशः 50 मिनट, 100 मिनट, 150 मिनट और 200 मिनट से अधिक देरी से पहुंची;

(ग) इस गाड़ी के लगातार इतने अधिक विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन ने इस गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिए कोई उपाय सोचे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). 1 अगस्त, 1968 से 31 अक्तूबर,

1968 तक कोप्पल स्टेशन पर नं० 227 गुंटुर-हुबली सवारी गाड़ी का पहुंचना इस प्रकार रहा है :

महीना	ठीक समय पर	50" से ऊपर	100" से ऊपर	150" से ऊपर	200" से ऊपर
अगस्त	—	13	2	—	6
सितम्बर	3	9	4	3	3
अक्तूबर	3	8	2	3	8

(ग) सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण इंजनों को पानी देने के अनुसूचित स्टेशनों पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था और इस वजह से वैकल्पिक स्थानों पर अस्थायी रूप से बनाये गये पानी के बम्बों पर गाड़ियों को असामान्य रूप से रुकना पड़ा। गुन्तकल्लू-दोणचिलम खण्ड पर कंट्रोल की बार-बार खराबी के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई।

(घ) और (ङ). हाल में पानी की सप्लाई की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। इसके अलावा जो अन्य उपाय करने का विचार है, उनमें ये शामिल हैं—इस गाड़ी के डिब्बों की संख्या में कमी ताकि दुबारा ईंधन न भरना पड़े और दूर संचार व्यवस्था को मजबूत करना।

कालामेसरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना

3095. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार की असमर्थता और असहयोग के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालामेसरी स्थित कारखाने में श्रमिकों सम्बन्धी स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि यदि इस कारखाने को किसी अन्य राज्य में न ले जाया गया तो यह समूची परियोजना घाटे में चलेगी;

(ख) क्या उन्होंने 9 अक्तूबर, 1968 को यह कहा था कि जब तक केरल में श्रमिकों सम्बन्धी स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने और "केरल में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन प्रतिष्ठानों को" अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित करना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो स्थानान्तरित किये जाने वाले उत्पादन एककों के नाम, इनके स्थानान्तरण की सम्भाव्य तारीखें और वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां इन एककों को ले जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2487/68**]

छोटे पैमाने के कारखाने

3096. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी उद्योग की सलाहकार तालिका ने छोटे पैमाने के कारखानों के बारे में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ताकि वे आमने-सामने उपस्थित संकटों का मुकाबला कर सकें;

(ख) क्या बड़े एकक इन प्रस्तावों के विरुद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस तालिका ने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और बड़े एककों ने किस प्रकार से विरोध किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इन्जीनियरी उद्योग में ऐसा कोई पेनल (नामिका) नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मनीपुर में सहकारी बुनकर समितियां

3097. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 के लिए मनीपुर सरकार द्वारा उस संघ राज्य क्षेत्र में हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए कुल कितना ऋण तथा अनुदान मंजूर किया गया;

(ख) वर्ष 1967-68 में मनीपुर की सहकारी बुनकर समितियों को कुल कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया; और

(ग) इस अवधि में जिन सहकारी बुनकर समितियों को ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) 1967-68 ऋण 63,852.50 रु०, अनुदान 65,209.94 रु०
1968-69 ऋण 71,000.00 रु०; अनुदान 71,500.00 रु०
(1968-69 के बजट में व्यवस्था)

(ख) ऋण 63,852.50 रु०; अनुदान 65,209.94 रु० ।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2488/68]

रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड एक और ग्रेड दो के क्लर्कों द्वारा किया जाने वाला कार्य

3098. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री के० रमानी :

क्या रेलवे मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6140 के उत्तर के संबंध में भारतीय रेलों के लेखा विभागों में ग्रेड एक और ग्रेड दो के क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पूरे ब्योरे सहित, एक सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 6140 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, पदक्रम I के क्लर्कों को अधिक महत्वपूर्ण काम सौंपे जाते हैं, जिनमें मामलों का निपटारा करने में नियमों और विनियमों की व्याख्या और व्यावहारिक प्रयोग, लेखा पंजियों का अनुरक्षण, बिलों की लेखा-परीक्षा आदि करने की आवश्यकता होती है जबकि पदक्रम II के क्लर्कों से सामान्य ढंग की ड्यूटी जैसे वाउचर और बिल आदि तैयार करने, सामान्य पत्र-व्यवहार, पत्रों के आगम और निर्गम सम्बन्धी काम शामिल हैं। भारतीय रेलों के लेखा विभाग में पदक्रम I और पदक्रम II के क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले कामों की सूची बनाने का काम काफी बृहत् होगा और उसके संकलन में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलेगा।

पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में पदोन्नति

3099. **श्री अब्राहम :**
श्री के० रमानी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित कर्मचारी को उस तारीख से, जबकि उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को गलती से पदोन्नत कर दिया गया था, रिकार्ड में वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पीड़ित कर्मचारी के प्रति न्याय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय रेलों के लेखा विभाग में पदोन्नतियां

3100. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री अब्राहम :

श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रेलों के लेखा विभाग में संकटकालीन (शैडों) पदों पर पदोन्नति का लाभ 1 अप्रैल, 1968 के स्थान पर, जैसा कि पहले ही किया जा रहा है, 1 अक्तूबर, 1962 से देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और मामले पर विचार किया जा रहा है ।

आई० ए० एफ० टी० के बदले में रेलवे टिकट जारी करना

3101. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री अब्राहम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के इतर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में अप्रैल, 1968 से सितम्बर, 1968 तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के विरुद्ध फर्स्ट क्लास मिलीटरी यातायात के सम्बन्ध में आई० ए० एफ० टी० 1702 ए के लिए कोई बिल नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आई० ए० एफ० टी० 1702 ए के एक्सचेंज में कितने टिकट जारी किये गये थे तथा इस लेखे में कितनी राशि के बिल बनने थे ; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधीक्षण कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों पर पहले दर्जे के सैनिक यातायात के लिए आई० ए० एफ० टी० 1702 ए नम्बर से कोई फार्म इस्तेमाल नहीं किया जाता ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रेषक रेलवे

3102. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अब्राहम :
श्री के० रमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे लेखा कार्यालय पश्चिमी रेलवे, दिल्ली, यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, अजमेर और यातायात लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, दिल्ली में मील-कूपनों के लिए प्रेषक रेलों के नाम कोई राशि नहीं डाली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है और प्रेषक रेलों के साथ समंजन नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रेषक रेलों के नाम राशि का समंजन नहीं करने के लिये सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी और पर्यवेक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

3103. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **रेलवे** मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1962 को पश्चिम रेलवे के अजमेर के यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी थी ;

(ख) 1 अप्रैल, 1968 को स्थायी पदों और संकटकालीन (शैडों) पदों की संख्या अलग-अलग कितनी थी ; और

(ग) पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे लेखा कार्यालय में कितने कर्मचारी फालतू घोषित किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 930

(ख) स्थायी पद—810
छाया पद —112 } 922

(1-10-1962 तथा 1-4-1968 की स्वीकृत संख्या में अन्तर का कारण 8 पदों का

अभ्यर्पित होना है जो यन्त्रीकरण/सरलीकरण को छोड़कर अन्य कारणों से है)

(ग) 42

Export of Jute Goods and Coir Products

3104. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of jute and coir goods declined considerably in the year 1967-68 ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to increase the export of jute and coir goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Compared to the exports of 1966-67, jute goods exports rose by 17,200 tonnes in 1967-68 whereas coir and coir products registered a decline of 6,743 tonnes.

(b) The decline in exports of coir and coir products was due to competition from other sophisticated floor coverings, general rise in the standard of living in the developed countries and the shift in consumer tastes for better types of products. As a result, the offtake of coir yarn, mats and mattings, rugs and ropes fell.

(c) A statement showing the measures taken is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2489/68.]**

राजस्थान के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण

3105. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के खनिज संसाधनों का विमान से सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पूरे हुए सर्वेक्षण के अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) अब तक किन-किन खनिजों का पता चला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां। राजस्थान हवाई सर्वेक्षण 4 दिसम्बर, 1967 को प्रारम्भ किया गया था और 7 अप्रैल, 1968 को पूरा किया गया। राजस्थान में "आपरेशन हाई राक" के अधीन चुने गये क्षेत्रों में अजमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़, जयपुर, झुन झुन, नागौर, पाली, सीकर दौक और उदयपुर जिलों के भागों का 30,140 वर्ग मील क्षेत्र सम्मिलित था।

(ख) हवाई सर्वेक्षण ने "आपरेशन हाई राक" के अधीन चुने हुए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संवाही और चुम्बकीय विषमताएं दिखाई हैं। इनमें से कुछ विषमताएं सिधाना, खेतड़ी, अकवाली,

किशोरपुरा, सलादीपुरा, अजमेर, राजपुरा, दरिबा के ज्ञात खनिजयुक्त क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के नतलम्बी विस्तार में पाई गई हैं। सर्वेक्षण के अन्तर्गत लिये जाने वाले क्षेत्रों में पाई गई एकाकी विद्युतचुम्बकीय और चुम्बकीय विषमताओं से सर्वथा नये खनिजयुक्त प्रदेश मिल सकते हैं।

खेतड़ी-अजीत सागर और बम्बई के पूर्व की विषमताओं के सम्बन्ध में मई 1968, अगस्त 1968 तथा अक्टूबर, 1968 में भूमि पर भूवैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय, चुम्बकीय और प्रेरित ध्रुवण सर्वेक्षण किये गये थे, जिन्होंने विषमताओं की विद्यमानता की पुष्टि की। क्षेत्र के अन्य विषमतायुक्त मण्डलों में भूमि पर भूवैज्ञानिक अनु-परीक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ग) हवाई विषमताएं प्रत्यक्षतः अयस्क-कार्यों की सूचना नहीं देतीं। इन संवाही और चुम्बकीय विषमताओं का वास्तविक कारण जानने के लिए भूभौतिक पूर्वेक्षण, भूरसायनिक प्रति-चयन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण सहित भूमि पर विस्तृत (अनुपरीक्षण) कार्य आवश्यक है। उनमें से कुछ अयस्क निक्षेप सिद्ध हो सकती है।

सैय्यदपुर स्टेशन पर घिरे हुए रेलवे यात्री

3106. **श्री बसुमतारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने 6 अक्तूबर, 1968 की रात को पूर्णिया जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के सैय्यदपुर और किशनगंज स्टेशनों पर घिरे हुए हजारों रेल यात्रियों को बचाने के लिए वायु सेना से हेलिकाप्टरों की सहायता मांगी थी ;

(ख) उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने जख्मी हुए ; और

(ग) रेलवे की तथा निजी सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय तैयबपुर और किशनगंज स्टेशनों से है क्योंकि पूर्णिया जिले में सैयदपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। यह मालूम नहीं कि बिहार सरकार ने तैयबपुर स्टेशन पर यात्रियों के बचाव के लिये वायु सेना से हेलीकाप्टरों की सहायता मांगी थी या नहीं। हां, 6-10-68 को स्थानीय सैनिक और रेल अधिकारियों ने तैयबपुर में घिरे यात्रियों के लिए खाना गिराने के लिए एक हेलीकाप्टर पाने की कोशिश की थी, परन्तु उन्हें निकालने के लिए नहीं।

(ख) किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई और न कोई घायल हुआ।

(ग) पूर्णिया जिले में बाढ़ से रेल सम्पति को लगभग 9.20 लाख रुपए की क्षति पहुंची। यात्रियों की सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई।

Derailment of Goods Train

3107 **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 17 wagons of a goods train derailed all of a sudden between

Bhiknur and Talmadia stations on the Nizamabad-Secunderabad Section of the South Central Railway on the 12th October, 1968 ;

(b) if so, the causes of the said accident ;

(c) the amount of loss suffered by Railways as a result thereof ; and

(d) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 12,595/-.

(d) The Railways are already engaged in an intensive four-pronged safety campaign-educative, psychological, punitive and technological—to arouse the safety consciousness of the staff and prevent accidents.

Derailment of Goods Train between Kotegangur and Harnahalli Stations

3108. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 11 wagons of a goods train derailed between Kotegangur and Harnahalli stations on the Talguppa-Birur section of the Southern Railway on or about the 11th October, 1968 ;

(b) if so, the causes of the said accident ;

(c) the extent of loss caused to Railway property as a result thereof ; and

(d) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 11.10.1968.

(b) According to the finding of the Inquiry Committee, the accident was due to defect in a wagon. Excessive speed and sudden application of brakes also contributed to the cause of the accident.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 8,177/-.

(d) Suitable action will be taken against the defaulting staff.

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खनन

3109. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला निकालने के लिए बड़ी संख्या में गैर-सरकारी कम्पनियों को पट्टे दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बहुत-सी कम्पनियों ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया ;

(ग) किन-किन कम्पनियों ने क्षेत्र से उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल और बिहार में 1961 के पश्चात् कोयले के लिए खनिज पट्टे प्रदान किए जाने के लिए लगभग 30 मामलों में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति दी जा चुकी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स सैन्ट्रल इण्डिया कोल फील्ड्स लिमिटेड (जो अब वैस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है), मैसर्स खास सिजुआ कोल कम्पनी, श्री श्रीलक्ष्मी नारायण ट्रस्ट और कुछ अन्य प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जाना बताया जाता है। कुछ मामलों में खनि पट्टों के प्रदान किए जाने की स्वीकृति दे दिए जाने के पश्चात् भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिसके विभिन्न कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस, खान खोले जाने की अनुमति का अभाव, आदि। तथापि, सरकार परिस्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है।

स्वचालित ट्रेलर ब्रेक व्यवस्था

3110. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक भारतीय इंजीनियर (श्री ए० आर० फरनेन्डीज) द्वारा आविष्कार की गई एक 'स्वचालित ट्रेलर ब्रेक व्यवस्था' की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आविष्कर्ता ने यह दावा किया है कि इस व्यवस्था के प्रयोग से हताहतों की संख्या को और बोगियों की स्थायी हानि को काफी कम किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलों में गाड़ियों में इस आविष्कार का प्रयोग करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यह आविष्कार ब्रेक रहित ट्रेलर वाहनों के लिए है। चूंकि रेलों में सभी सवारी और माल वाहन 'थ्रू' ब्रेक वाले होते हैं, इसलिए रेलों में इस आविष्कार के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है।

अजमेर में पिसाई के मशीनी औजार बनाने का कारखाना

3111. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अजमेर (राजस्थान) में पिसाई के मशीनी औजार बनाने का एक

कारखाना स्थापित करने के बारे में चेकोस्लोवाकिया और भारत के मशीनी औजार निगम के बीच दिल्ली में एक सहयोग करार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 16 अक्तूबर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के उपक्रम मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० तथा मे० स्कोडाएक्सपोर्ट प्राहा चेकोस्लोवाकिया के बीच अजमेर में ग्राइंडिंग मशीन टूल के कारखाने की स्थापना के लिए तकनीकी खाना पूरी करने के हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

1. मे० स्कोडाएक्सपोर्ट तीन प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन टूल के लिए डिजाइन व प्रलेख तथा चेकोस्लोवाकिया के तकनीकी मानक सप्लाई करेंगे, तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे और भारत के मशीन टूल्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

2. उत्पादन के लिए डिजाइन व तकनीकी प्रलेख का कुल मूल्य 27.38 लाख रुपए है। परामर्श शुल्क 9.62 लाख रु० होगा यह शुल्क चेक विशेषज्ञों को दिए जाने वाले मासिक वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा। शुल्क आदि का भुगतान व्यापार तथा भुगतान करार, 1963 के अनुसरण में किया जाएगा। मे० स्कोडाएक्सपोर्ट भारत के मशीन टूल्स कारपोरेशन के परामर्श से विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा।

(3) तीनों मशीनों के लिए डिजाइन व प्रलेख जून, 1968 तक दे दिए जाएंगे।

(4) ये करार 6 वर्ष की अवधि तक के लिए लागू होगा।

चन्दनपुर तथा बेलमुड़ी के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

3112. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्तूबर, 1968 को दोपहर बाद हावड़ा बर्दवान कार्ड लाइन पर हावड़ा से 45 किलोमीटर दूर चन्दनपुर और बेलमुड़ी स्टेशनों के बीच एक डाउन मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे सम्पति को कुल कितनी क्षति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, दुर्घटना बेलमुड़ी स्टेशन पर हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 90,100 रुपए की क्षति पहुंचनें का अनुमान है।

कच्चे पटसन की कमी

3113. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कच्चे पटसन की कमी दूर करने के उपाय सुझाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस ज्ञापन पर विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिये मजदूर संघों द्वारा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिए गए हैं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

राज्य कपड़ा निगम की स्थापना

3114. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों का विचार कपड़ा निगम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा क्या सहायता दिए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने एक वस्त्र निगम की स्थापना कर भी दी है। गुजरात सरकार ने भी अभी हाल ही में एक वस्त्र निगम स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस समय वस्त्र निगम स्थापित करने का विचार नहीं है। इस मामले से सम्बद्ध अन्य राज्य सरकारों के विचार अभी ज्ञात नहीं हैं।

(ख) राज्य वस्त्र निगमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के परिणाम और स्वरूप पर विचार किया जा रहा है।

अम्बिका नदी पर रेलवे पुल

3115. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप्ती तथा अम्बिका नदियों में हाल की बाढ़ के कारण सूरत और बम्बई के बीच अम्बिका नदी पर पुल को काफी क्षति हुई थी ;

(ख) क्या इसका कारण पुल के निर्माण-कार्य में खराबी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

अनन्तपुर जिले में हीरे वाली चट्टानें

3116. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में हीरे वाली चट्टानें पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, यो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में हीरक युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। अनन्तपुर जिले में बज्रकरूर के चारों ओर के क्षेत्रों में, जो कि इस स्थान के लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है, कभी-कभी सामान्यत: वर्षा के पश्चात् हीरे मिलते हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1961 के बाद किए गए अन्वेषणों से हीर गर्भाश्म पाईप-चट्टानों का पता चला है, जिनमें पन्ना (मध्य प्रदेश) में हीरे मिलते हैं ।

1967-68 के क्षेत्रीय मौसम में, कुरनूल जिले के बांगनपल्ली, मुनियादुमु और रामल्ला कोट क्षेत्रों में बांगनपल्ली मिश्र पिंडाश्म-क्षितिज का, जिसमें प्राचीन समय में हीरों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता था, अन्वेषण किया गया । कृष्णा घाटी के कंकड़ों की भी जांच की गई थी । इस प्रारम्भिक कार्य के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को जनवरी, 1968 में 0.43 कैरेट का एक हीरा मिला था । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा पश्चिम गोदावरी

जिले में कोल्लूर के निकट कृष्णा नदी के किनारे के कंकड़ों और अनन्तपुर जिले की वज्रकरूर पाईप-चट्टानों और कुरनूल जिले में मुनिमादुमु के निकट अन्य क्षेत्रों में भी हीरों के लिए अन्वेषण किया जा रहा है ।

भावनगर में मशीन औजार कारखाना

3117. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर में मशीन औजार कारखाना स्थापित करने की योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी दूसरे करार के अंतर्गत जिस पर मई 1964 में हस्ताक्षर किये गये थे उसमें करार के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये दो कारखाने शामिल किये गये थे । इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता की पूरती के लिये दूसरे चैक ऋण के अंतर्गत 6.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । जैसा कि आरंभ में आशा थी उसके अनुसार ये दो परियोजनायें उस अतिरिक्त सहायता की पूर्ति के लिये थीं जिसकी आवश्यकता मशीनी औजारों की देश में उपलब्ध और मांग के बीच संभावित अन्तर को पूरा करने के लिये चतुर्थ योजना काल के दौरान थी ।

विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों की संभावित मांग और देशी क्षमता के संभावित विकास को ध्यान में रखते हुये यह निश्चित किया गया कि अजमेर में 3 हजार मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक ग्राइंडिंग मशीन टूल कारखाना और प्रतिवर्ष 5 हजार मी० टन की क्षमता वाला भावनगर में एक मंझोला हैवी मशीन टूल कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये । यह भी विचार किया गया कि प्रति वर्ष 10,000 मी० टन की क्षमता वाली एक ग्रेआयरन फाउन्ड्री स्थापित की जाय, जो दोनों कारखानों के लिए काम करे और मंझोले हैवी मशीन टूल कारखाने के साथ संलग्न की जाय । भावनगर की परियोजना पर 20.50 करोड़ रुपये की लागत आने वाली थी जिसमें 6.18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी ।

भावनगर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी 1967 में प्राप्त हुई तब तक इंजीनियरी उद्योगों में सामान्य मंदी के कारण मशीनी औजारों की मांग में कमी आ गई थी जिसके कारण चौथी योजना काल में मशीनी औजारों के उद्योग के लिये उत्पादन के लक्ष्य पहले से कम कर दिये गये । आगे अध्ययन करने पर पता चला कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के हैवी मशीन टूल कारखाने और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर में

इतनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता थी कि वे वास्तव में उन सब मशीनी औजारों का उत्पादन कर सकते थे जिनके उत्पादन का लक्ष्य भावनगर परियोजना में बनाया गया था। इन परिस्थितियों में यह तय किया गया कि इस परियोजना पर विचार करने का काम वर्ष 1969-70 तक टाल दिया जाय और तब इस पर पुनर्विचार किया जाय कि मशीनी औजार का नया कारखाना खोलने की आवश्यकता है भी या नहीं।

इस्पात औद्योगिकीविज्ञों का प्रशिक्षण

3118. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में नियुक्त इस्पात औद्योगिकीविज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने पर भारत सरकार को पिछले 10 वर्षों में कुल कितना खर्च करना पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी प्रशिक्षण भारतीय इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाता है;

(ग) क्या भारत इन सब वर्षों में नये कर्मचारियों को आवश्यक प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने के लिये पर्याप्त अनुभवी पदाधिकारी तैयार नहीं कर सका है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोगों को बाहर भेजने के बजाय यहीं पर प्रशिक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्व रेलवे में अभियोजन निरीक्षक (प्रोसीक्यूटिंग इंस्पेक्टर)

3119. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सम्पत्ति 'अवैध' कब्जा अधिनियम, 1966 लागू है और क्या रेलवे सुरक्षा दल के कार्यकारी कर्मचारियों में से अभियोजन निरीक्षकों की नियुक्ति करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में एक ऐसे व्यक्ति को जो विधि स्नातक नहीं हैं, नियुक्त करने से वहां पर भ्रांति फैल गई है जबकि योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभियोजन शाखा में विभागीय प्रत्याशियों को नियुक्त करने के रेलवे बोर्ड के निर्देश का पालन नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पूर्व रेलवे के एक विभागीय मामले में अभियोजन शाखा में सीधे एक नियुक्ति की गई है यद्यपि वह व्यक्ति विधि-स्नातक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो विधि में डिग्री प्राप्त विभागीय प्रत्याशियों को मनमाने रूप से न चुनने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) जी हां। रेलवे सुरक्षा दल के जो उपनिरीक्षक और निरीक्षक विधि स्नातक हैं और जिन्होंने किसी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में सहायक सार्वजनिक अभियोजक का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे अभियोजन शाखा में तैनात किये जाने के पात्र हैं।

(ख) जी नहीं। अपेक्षित अर्हता और प्रशिक्षण वाले कर्मचारियों को वंचित नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। लेकिन यह उम्मीदवार पुलिस का पुनर्नियुक्त भूतपूर्व कोर्ट इंसपेक्टर है और उसे अभियोजन के काम का पर्याप्त अनुभव है। अभियोजन अधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए उसे अभियोग निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए रखा गया है।

(ङ) अर्हता-प्राप्त किसी विभागीय उम्मीदवार को वंचित नहीं किया गया है। दो उप-निरीक्षकों को जो विधि स्नातक (Law Graduates) भी हैं लेकिन जिन्होंने सहायक सार्वजनिक अभियोजक पाठ्यक्रम पास नहीं किया है, अभियोजक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका। उन्हें इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए पुलिस ट्रेनिंग कालेज, फिल्लो (पंजाब) भेज दिया गया है।

लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद की बैठक

3120. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सलाहकार परिषद् ने 31 अक्तूबर, 1968 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह सलाह दी थी कि इस्पात की दुर्लभ किस्मों के लिये निर्यात के शेष क्रयादेशों में कटौती कर दी जाये अथवा उन्हें छोड़ दिया जाये और न पूरे किये गये कुछ क्रयादेशों के मामले में, विशेष कर बिलेटों के लिये सप्लाई धीरे-धीरे की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में परिषद् ने क्या विशिष्ट सुझाव दिये हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या परिषद् में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी लक्ष्यों पर भी अन्तिमरूप से विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् की 31-10-1968 को हुई बैठक में

बिलेट के निर्यात के बारे में विचार-विमर्श हुआ था किन्तु अन्य दुर्लभ किस्म के इस्पात के निर्यात के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि उनके निर्यात की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त बैठक में इस बात की चर्चा की गई थी कि बिलेट की अस्थायी कमी को देखते हुए अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग, देश के बाजारों को सप्लाई के प्रवाह तथा विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता जैसी संगत बातों को ध्यान में रखते हुये निर्यात की आवश्यकताओं और घरेलू आवश्यकताओं में संतुलन पैदा करना होगा। इस बारे में सरकार स्थिति का पुन-विलोकन कर रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये इस्पात के उत्पादन और उसके निर्यात के लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये और लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस बारे में लोहा और इस्पात उद्योग की कर्णधार समिति अलग से विचार कर रही है।

Fast Train Between Patna and Rajgir Stations

3121. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to lack of proper transport facilities the tourists have to face various difficulties during the period from October to February in reaching Rajgir, which is a famous tourist centre ;

(b) whether Gevernment propose to introduce a fast running train between Patna and Rajgir with a view to facilitate the tourists and increase the earnings of Railways ; and

(c) if so, the date from which the said train is proposed to be introduced and if not the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). No. In addition to two pairs of passenger trains on Bakhtiyarpur-Rajgir section which maintain connection with Main Line trains for and from Patna side, one pair of direct services, namely, 412 Dn./411 Up Danapur/Patna-Rajgir Passenger Mixed, is also available between Patna and Rajgir.

(c) There is no traffic justification for introduction of an additional fast service between Patna and Rajgir.

Wooden Overbridge at Danapur

3122. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a wooden overbridge for the passengers to cross over at Danapur (Khagaul) Station, Headquarters of the Danapur Division, Eastern Railway ;

(b) whether it is also a fact that the passengers face great difficulty in crossing the bridge from the South to the North and from the North to South because of the bridge being narrow ;

(c) if so, whether Government propose to widen the said bridge ;

(d) if so, when and if not the reasons therefor ;

(e) whether the residents and the labourers of the said place are demanding construction of another overbridge to the west of the present one ; and

(f) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, a foot overbridge with steel frame and wooden decking exists.

(b) No complaint has been received from the passengers regarding the narrow width of the foot overbridge.

(c) No.

(d) It is not proposed to widen the existing foot overbridge as a new foot overbridge opposite Loco Colony at the west end of Danapur Station has been programmed for construction.

(e) Yes.

(f) As indicated in reply to part (d) above, plans for provision of one more foot overbridge opposite Loco Colony at the west end of Danapur Station have already been finalized.

पश्चिम रेलवे के इतर यातायात कार्यालय का प्रतिनिधि मंडल

3123. **श्री अब्राहम :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्य श्री नम्बियार के नेतृत्व में पश्चिम रेलवे के इतर यातायात कार्यालय के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल 31 अगस्त, 1968 को रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिला था और उसने अनुरोध किया था कि उनके लिये, जिन्हें इस कार्यालय के बनाये जाने से अब तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, रेलवे क्वार्टरों का नियतन किया जाये;

(ख) क्या इन प्रतिनिधियों को कोई आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो असंतुष्ट कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान को निर्यात

3124. **श्री अब्दुल गनी वार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1948 से 1968 तक की अवधि में जम्मू तथा काश्मीर राज्य की कुछ

फर्मों ने पाकिस्तान को माल का निर्यात किया था;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा सप्लाई किये गये माल तथा उसकी मात्रा का ब्योरा क्या है;

(ग) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई;

(घ) इस अवधि में जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने ऊनी और लकड़ी से निर्मित वस्तुओं तथा फलों का कितनी मात्रा में निर्यात किया; और

(ङ) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ). चूंकि भारत के निर्यात व्यापार के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते इसलिये माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी एकत्र करने में बहुत भारी श्रम और पर्याप्त समय लगेगा जो कि उससे निकलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

रेलवे पर दावे

3125. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री बसुमतारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर, विजयवाड़ा तथा भुसावल के अनेक सेक्सनों से बुक कराये जाने वाले ऐसे सामान की जो खराब होने वाला होता है, ढुलाई में विलम्ब के कारण किये जाने वाले बहुत से दावों को रेलवे अधिकारी इस आधार पर अस्वीकृत कर देते हैं कि यह सासान कम दर की शर्त पर मालिक की जिम्मेदारी पर बुक कराया जाता है जिससे रेलवे उस सामान की किसी भी कारण से होने वाली, खराब होने, ह्रास अथवा क्षति के दायित्व से मुक्त हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ये मामले न्यायालय में ले जाये जाते हैं तो उनमें से 99 प्रतिशत मामलों में निर्णय सामान भेजने वाले लोगों के पक्ष में होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वह सब रेलवे से, विशेषत: उत्तर रेलवे से सम्बन्धित ऐसे मामलों का वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 की अवधि के लिये एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि पहले इन दावों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण थे तथा किन परिस्थितियों में केवल बिक्री किये जाने पर ही इन दावों का भुगतान किया गया था; और

(घ) सरकार का विचार इसके लिये क्या कार्यवाही करने का है कि सामान भेजने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से तंग न होना पड़े ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तरों को देखते हुए, सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम के देशों के वित्तीय संकट का भारत के व्यापार पर प्रभाव

3126. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंक और मार्क के आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन से पश्चिम के देशों में वित्तीय संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या इस वर्तमान संकट का भारत पर भी किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो हमारे देश के व्यापार और वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फ्रांस के फ्रेंक तथा जर्मन के मार्क के मूल्यों में परिवर्तन की आशा से पश्चिम यूरोप में मुद्रा संकट पैदा हो गया है परन्तु दोनों ही मुद्राओं के विनिमय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). भारत के व्यापार तथा वाणिज्य पर यूरोप के वर्तमान मुद्रा संकट का प्रभाव कदाचित् अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा ।

Industrial Development of Bihar

3127. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no attention has been paid towards the industrial development of Bihar after independence ;

(b) whether it is also a fact that Northern Bihar is the most backward area in the matter of development of industries ;

(c) whether it is also a fact that Bihar has necessary potentialities for industrial development;

(d) if so, whether Government have prepared any scheme for proper industrial development of the State ;

(e) if so, the details thereof ;

(f) whether Government of India propose to give assistance in this regard ; and

(g) if so, the nature of the said assistance ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). No, Sir. An investment of Rs. 356.5 crores has been made during the period 1951-68 in Central Industrial Projects in Bihar out of a total investment of Rs. 2450 crores in such projects in all the States during this period. Out of the Central Industrial

Projects in Bihar, the Barauni Refinery project and the Barauni Fertilizer project are in North Bihar Area. In planning the industrial development of the country, Government take the entire area of a State as one single unit.

(c) to (g). The Government of India have not directly made an assessment of the potentialities for industrial development of Bihar. Such an assessment has been made by the State Government themselves through the agency of National Council of Applied Economic Research (NCAER). The NCAER has carried out techno-economic surveys in respect of all the States/Union Territories including Bihar. The findings of the NCAER have been published. On the basis of these surveys, the State Governments/Union Territories themselves make proposals for industrial development. These proposals are discussed by the Working Groups formed in the Planning Commission at the time of formulation of the Five Year Plans as well as the Annual Plans and decisions are taken in respect of their inclusion in the Plans.

गोमोह पश्चिमी बाह्य केबिन पर डाउन मालगाड़ी का रुकना

3128. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमोह (पूर्व रेलवे) पश्चिमी बाह्य केबिन पर किसी डाउन मालगाड़ी को रोकने पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो अगस्त, 1968 में शरारती लोगों द्वारा रेलगाड़ी में की गई चोरी के बारे में रेलवे पुलिस ने एक मालगाड़ी को बाह्य सिगनल पर रोकने के लिये पश्चिमी केबिन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गोमोह को किस आधार पर गिरफ्तार किया था;

(ग) क्या बार-बार होने वाली चोरियों को रोकने के लिये बाह्य सिगनल, गोमोह में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने शरारती व्यक्तियों द्वारा रेलवे सुरक्षा दल की सांठ-गांठ से चोरी करने की सम्भावना पर विचार किया है; और

(ङ) क्या बाह्य केबिन पर होने वाली चोरियों के रोकने में असमर्थता की स्थिति में इस केबिन को बन्द करने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस ने गोमोह के सहायक स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार किया था क्योंकि पश्चिमी केबिन के निकट हुई चोरी में उसका हाथ होने का सन्देह था। सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/379/337/109 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है।

(ग) गोमोह के बाहरी सिगनल पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी तैनात नहीं थे। लेकिन सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गये ओर चोरी गयी सम्पत्ति में से कुछ को बरामद करने में सफल रहे।

(घ) जी हां। जब कभी रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की मिली भगत दिखायी देती है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जी नहीं, क्योंकि केबिन कांटों और सिगनलों के परिचालन के लिये बने हैं।

यात्री डिब्बों से सामान की चोरी

3129. **श्री जुगल मंडल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष यात्री डिब्बों से बिजली के बल्बों तथा बिजली के अन्य सामान को चोरी से होने वाली हानि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में कितनी रकम की हानि हुई;

(ग) क्या ये सामान यार्ड से चोरी होते हैं या चलती रेलगाड़ियों से; और

(घ) इन चोरियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 1967.....13,68,852 रुपये।

1968 (सितम्बर के अन्त तक) 10,29,249 रुपये।

(ग) यार्डों और चलती गाड़ियों दोनों से।

(घ) 1967.....1259

1968 (अक्तूबर के अन्त तक) 755

कोरी फिल्मों के कोटे का आबंटन

3130. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में सरकार ने (1) मैसर्स विमल राय प्रोडक्शन्स (2) मैसर्स वसन्त पिक्चर्स (3) मैसर्स सिटिजन्स फिल्म्स (4) मैसर्स प्रकाश पिक्चर्स (5) मैसर्स शक्ति फिल्म्स (6) मैसर्स सदाशिव चित्र (7) वाडिया मूवीटोन (8) मैसर्स नासिर हुसैन फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड (9) मैसर्स महबूब प्रोडक्शन्स (प्राइवेट) लिमिटेड (10) मैसर्स राहुल थियेटर्स (इंडिया) (11) मैसर्स वी० आर० फिल्म्स (12) मैसर्स ए० जी० फिल्म्स (13) मैसर्स ईगल फिल्म्स (14) मैसर्स गीतांजली फिल्म्स को कोरी फिल्मों का कितना कोटा दिया; और

(ख) क्या इन कम्पनियों के विरुद्ध इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ये कोरी फिल्मों को अधिकांशतः चोर बाजार में बेच देती हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी). (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Irregularities in the accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sangh, Darbhanga

3131. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the biggest Centre of Bihar Khadi Gramodyog Sangh is located at Pusa Road, Darbhanga Bihar ;

(b) whether it is also a fact that as a result of audit of its accounts for the year 1965-66 irregularities to the tune of Rs. 7.25 lakhs were discovered ; and

(c) if so, the action being taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

निर्यातकों को प्रोत्साहन

3132. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पांच वर्षों में निर्यातकों को उनके निर्यात के लिये प्रोत्साहन के रूप में कितनी रकम दी गई;

(ख) क्या यह भी एक शर्त है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेन्स दिये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो आयातित कच्चे माल से बनाये जाने वाले उत्पादों के विक्रय मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(घ) क्या सरकार को कच्ची ऊन अथवा ऊन की लच्छियों आदि कच्चे माल के आयातकों के विरुद्ध इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे वर्स्टेड कताई धागे को नियन्त्रित दर से, जोकि केवल 12 रुपये पचास पैसे प्रति पौंड है, दुगुनी-तिगुनी दर पर बेचते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गत पांच वर्षों में (अक्तूबर, 1968 तक) सहायता के रूप में निर्यातकों को दी गई कुल राशि 41.23 करोड़ रु० है। निर्यातों के लिए आयात हकदारी/प्रति पूर्ति के रूप में सहायता स्वयं निर्यातक द्वारा दी जाती है।

(ख) और (ग). निर्यातों के लिए अवमूल्यन से पूर्व निर्यात संबर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत अनुमेय आयात लाइसेंस निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त आयातित माल से दुगने के लिए थे। आयात ने सीमित हस्तान्तरणीयता का भी लाभ उठाया तथा कतिपय क्षेत्रों में कच्चे माल की कमियों के कारण उनको लाभ हुआ। किन्तु, अवमूल्यन के उपरान्त निर्यात संबर्द्धन योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है जिसमें निर्यातित उत्पाद में प्रयोग होने वाले आयातित माल की केवल एक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। यह आयात स्वयं निर्यातक निर्माता अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति के वास्तविक प्रयोग के लिए है। चूंकि आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयोग किये गये माल

की प्रति पूर्ति के लिए होता है, इसलिए आयातित कच्चे माल से निर्मित उत्पादों के विक्रय मूल्य पर नियंत्रण लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

समाचार-पत्रों को दिये गये रेलवे के विज्ञापन

3133. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में समाचार-पत्रों को (वर्षवार) रेलवे के कुल कितने विज्ञापन दिये गये;

(ख) अंग्रेजी के तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को कितने-कितने प्रतिशत विज्ञापन दिये गये;

(ग) इस अवधि में प्रकाशित पंजाबी भाषा के समाचार-पत्रों को कितने विज्ञापन दिये गये हैं; और

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों में जालंधर से प्रकाशित होने वाले पंजाबी के समाचार-पत्र 'कौमी दर्द' को कोई विज्ञापन दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रीलंका को साड़ियों की तस्करी

3134. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर साड़ियों की तस्करी को देखते हुए श्रीलंका से साड़ियों के आयात-कोटे के बारे में बातचीत की है ताकि दोनों देशों को अधिक राजस्व मिले; और

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका अन्य देशों से आयात करने के लिये आयात कोटा देता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सहित सभी स्रोतों से श्रीलंका में साड़ियों के आयात पर जुलाई, 1967 से रोक लगी हुई है । साड़ियों को छोड़ कर अन्य वस्त्रों के आयात की कोटे के आधार पर अनुमति है और उसमें भारत के विरुद्ध कोई विभेद नहीं किया जाता ।

बेलाडिला में इस्पात कारखाना

3135. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बेलाडिला में एक अन्य

इस्पात कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेषतः इस स्थान का चयन करने के, क्या कारण हैं ;

(ग) इसके निर्माण पर कुल कितनी अनुमानित रकम व्यय की जायगी ;

(घ) क्या इस कारखाने में कोई विदेशी सहयोग लिया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो किस देश से तथा सहयोग की शर्तें क्या होंगी ;

(च) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की सम्भावना है ; और

(छ) इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा यदि इसके उत्पादों की विदेशों में बिक्री की कोई सम्भावना है तो कितनी बिक्री की जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) ऐसी संभावना है कि चौथी योजना के लिए लोहे और इस्पात के विकास का कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार की सहायतार्थ नियुक्त की गई कर्णधार समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही सरकार नया इस्पात कारखाना/नये इस्पात कारखाने लगाने तथा उसके/उनके स्थल के प्रश्न पर विचार करेगी । इस बारे में कर्णधार समिति की सिफारिशें शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने की संभावना है ।

(ख) से (छ). प्रश्न नहीं उठते ।

मनीपुर को दिया गया कारों और स्कूटरों का कोटा

3136 **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में मनीपुर के लिए सभी प्रकार की कितनी कारों तथा स्कूटरों का कोटा एलाट किया गया था ;

(ख) वर्ष 1967-68 के कोटे में से कितने व्यक्तियों को कारें और स्कूटर दिये गये थे; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में कारों और स्कूटरों के लिये क्रमशः कुल कितने व्यक्तियों के नाम थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2490/68]

Import of Steel

3137. **Shri Ramavatar Sharma**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the value of steel imported into the country annually ; and

(b) the efforts being made by Government to stop this import ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) The value of steel imports in 1967-68 was Rs. 92,66,45,000. The average annual import during the last four years has been of the order of about Rs. 89 crores.

(b) The specifications in steel, particularly alloy and special steel are so varied and the quantities so limited that it is not feasible to produce the entire range of various types of steel in the country at present. However, all efforts are being made continuously to develop indigenous production and achieve self sufficiency. The import policy for 1968-69 generally permits import of individual items only on production of non-availability certificates from indigenous producers.

ईस्टर्न रेलवे बायज एच० एस० एम० पी० स्कूल, आसनसोल में दाखिला

3138. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के चीफ पर्सोनेल आफिसर ने ईस्टर्न रेलवे बायज एच०एस०एम०पी० स्कूल, आसनसोल के प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि जनवरी, 1968 से उस स्कूल में उर्दू में किसी को नया दाखिला नहीं दिया जायगा ;

(ख) आसनसोल कस्बे में बड़ी संख्या में मुसलमानों के रहने के कारण क्या उन्हें पता है कि इस निर्णय से उनमें बड़ा असन्तोष पैदा होगा ; और

(ग) क्या सरकार ईस्टर्न रेलवे के पर्सोनेल आफिसर के आदेश को वापिस लेने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, पूर्व रेलवे में आसनसोल के मंडल अधीक्षक को ।

(ख) और (ग). उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बराबर घट रही थी । इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने के बाद बायज् एच०एस०एम०पी० स्कूल में उर्दू पढ़ाना बंद कर देने का निर्णय किया गया । इस स्थिति में आदेश वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

3139. **श्री देवेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपना व्यापारिक कार्य बन्द करके अपने काम को किसी अन्य संस्था को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता भवन 2 अप्रैल, 1969 को किसी नयी संस्था को सौंप दिया जायेगा ;

(ग) क्या कलकत्ता भवन के अधिकतर कर्मचारियों ने समिति अधिनियम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भवन कार्मी संघ के नाम से एक संस्था स्थापित की है और यह संस्था कलकत्ता भवन का प्रबन्ध संभालने के लिये तैयार है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों के इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हां। आयोग की नीति अपने सीधा व्यापार करने वाले एककों को राज्य बोर्डों, अथवा पंजीकृत संस्थाओं को, जहां भी व्यवहार्य हो, सौंपने की है।

(ख) अभी तक आयोग द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ). कलकत्ता में खादी ग्रामोद्योग भवन को अपने हाथ में लेने के संघ के प्रस्ताव पर खादी ग्रामोद्योग आयोग विचार कर रहा है।

भारतीय इंजीनियरी सामान के पश्चिमी यूरोप को निर्यात पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट

3140. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञ और भारतीय इंजीनियरी सामान के पश्चिमी यूरोप को निर्यात सम्बन्धी रिपोर्ट के लेखक श्री हेल्मथ वोलार्थ ने सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में प्रतिस्पर्धा वाले मूल्य बनाये रखने के निर्यात वस्तुओं पर लिया जाने वाला पूरा उत्पादन शुल्क भारत को वापिस कर देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). निर्यातों पर करों की वापसी के बारे में श्री हेल्मथ वोलार्थ से सरकार को कोई सुझाव नहीं मिला है।

बर्मा को कोयले का निर्यात

3141. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने बर्मा को कोयले की सप्लाई के लिए कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने बर्मा को कोयले तथा कोक की सप्लाई के लिये 1 जनवरी, 1969 से शुरू हो रही तीन वर्ष की अवधि के लिये एक संविदा प्राप्त की है। इस संविदा के अंतर्गत निगम 1969 में 2,59,380 लांग टन कोयले तथा कोक की सप्लाई करेगा। बाद के वर्षों में सप्लाई किये जाने वाले कोयले की मात्रा तथा मूल्य निगम द्वारा, प्रत्येक वर्ष बर्मा के प्राधिकारियों

के साथ, प्रत्येक वर्ष की सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति से चार महीने पूर्व, बातचीत द्वारा तय किये जायेंगे ।

उत्तरी कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

3142. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा०रा० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क की सप्लाई के लिये उत्तरी कोरिया के साथ करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 10,000 मे० टन मैंगनीज अयस्क की पूर्ति,(43/45 प्रतिशत) की अक्तूबर, 1968 में सुपुर्दगी के लिये मे० कोरिया खनिज निर्यात तथा अयात निगम (उ० कोरिया) के साथ सितम्बर, 1968 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किये थे । माल जहाज द्वारा भेजा जा चुका है ।

लघु उद्योग

3143. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा०रा० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल ईरान भेजने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । ईरान के अधिकारियों के परामर्श से स्थानीय दशाओं का अध्ययन करने के लिये तथा लघु उद्योगों व दस्तकारियों के विकास में ईरान की सरकार को सहायता के लिए एक योजना तैयार करने हेतु एक दल ईरान को भेज दिया गया है ।

(ख) इस दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री आर० एन० गांधी — नेता
2. श्री मोहम्मद अकरम

3. श्री के० सी० राव
4. श्री जी० बी० जखेटिया
5. डा० जे० डी० वर्मा
6. श्री ए० बी० दिवाकर
7. डा० पी० एन० कौल और
8. श्री एन० हरीहरन्

(ग) ऊपर दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईरान द्वारा औद्योगिक संयंत्रों तथा मशीनों का क्रय

3144. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान द्वारा रूस से प्राप्त बड़ी राशि के ऋण से भारतीय औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनें खरीदे जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो ईरान द्वारा कौन-कौन सी वस्तुओं की खरीद की जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जी० ई० सी० इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और ए० ई० आई० (इंडिया) लिमिटेड

3148. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री गणेश घोष :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो, छत के पंखों, रेफ्रीजरेटरों, औद्योगिक पंखों, बिजली के लैम्पों, मोटरों, ट्रांसफारमरों तथा स्टार्टरों के बारे में जी० ई० सी० आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड तथा ए० ई० आई० (इंडिया) लिमिटेड में से प्रत्येक के पास कितने प्रतिशत में मार्केट शेयर हैं ; और

(ख) क्या जी० ई० सी० ए० ई० आई० के प्रस्तावित विलय-ग्रुप के मिले-जुले मार्केट-शेयरों पर एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट के कुछ टिप्पणियों का प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में, 31-12-67 के वर्ष समाप्ति के मध्य, जी० ई० सी० आफ इंडिया

(प्रा०) लिमिटेड तथा ए० ई० आई० (इंडिया) लिमिटेड का प्रतिशत हिस्सा दिखाता हुआ एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2491/68]

(ख) विलय की अवस्था में जी०ई०सी० आफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड का 1967 के औद्योगिक पंखों के कुल उत्पादन में हिस्सा स्वयं ही, 8 दिसम्बर, 1965 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 171 में प्रस्तावित मसौदा विधेयक के खंड 13 को प्रभावित करेगा ।

जी० ई० सी० आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

3149. **श्री प० गोपालन :**

श्री अ० कु० गोपालन :

श्री गणेश घोष :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ए० ई० आई० (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड के एक गैर-सरकारी विदेशी कम्पनी जी० ई० सी० आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा ए० ई० आई० के नहीं बल्कि जी० ई० सी० के हित में सब कुछ करने के आदेश दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ए० ई० आई० (इंडिया) लिमिटेड के 8,000 भारतीय हिस्सेदारों के हितों की रक्षा के लिए ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के बोर्ड में सरकार की ओर से मनोनीत एक व्यक्ति की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेडियो के पुर्जों का आयात

3150. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रेडियो के पुर्जों, जिनमें कुछ प्रतिबंधित पुर्जे भी शामिल हैं, जो अब भारत में ही बनाये जाते हैं, के आयात की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या सरकार इसके स्थान पर भारतीय उद्योग को रेडियो-पुर्जों के निर्माण की अपनी

क्षमता बढ़ाने के हेतु कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) रेडियो के पुर्जों के निर्माण में लगे हुये उद्योग को कच्चे माल के आयात के प्रयोजनों के लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के रूप में माना जा रहा है तथा इस उद्योग की आवश्यकता के अनुसार आयात लाइसेंस जारी किये जाते हैं ।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये विद्यार्थियों का सहयोग लेना

3151. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा तथा खतरे की जंजीरों के दुरुपयोग को रोकने के लिये विद्यार्थियों की सहायता प्राप्त करने का एक आदर्श अभियान आरम्भ किया था ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रयोक्ताओं की इन समाज-विरोधी आदतों को दूर करने के इस प्रयत्न में विद्यार्थियों की ओर से अभी तक क्या सहयोग प्राप्त हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिए ।

(ख) अनुक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है ।

सलाहकार समितियां और बोर्ड

3152. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 30 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न सलाहकार समितियों और बोर्डों के नामों के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और जल्द ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पार्ली उपरि पुल योजना

3153. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के पालघाट जिले में पार्ली उपरि पुल योजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे की ओर से कोई देरी नहीं हुई है । रेलवे ने इस काम की अनुमानित लागत की मंजूरी फरवरी, 1968 में दे दी है ।

मालूम हुआ है कि केरल सरकार ने, जिसे पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण करना होगा, अभी हाल में इस काम के लिए आवश्यक अनुमानित लागत की मंजूरी दी है और अब वह इसके निष्पादन की व्यवस्था कर रही है । ज्यों ही राज्य सरकार पहुंच-मार्गों पर काम शुरू करेगी, रेल प्रशासन भी साथ-साथ पुल बनाना आरम्भ कर देगा ।

Cast Iron Tools Centre in Bihar

3154. **Shri Lakhan Lal Kapur** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up a model cast iron tools centre in Chakla Panchayat, Kishanganj Block, District Purnea, Bihar ;

(b) whether it is also a fact that the machinery is lying idle there for many years and the craftsmen are being paid salary for doing no work ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the Table of the House.

रेलवे गार्डों को महंगाई भत्ता

3155. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगचल भत्ता समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन में देरी के कारण भारतीय रेलवे के गार्डों में भारी असंतोष है और इस बारे में सारे देश में लगभग 150 तार जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये वेतन के 75 प्रतिशत भाग को शामिल करने की उनकी मांग काफी समय से लम्बित है;

(ग) क्या ग्रेड 'बी' गार्डों और ग्रेड 'सी' ड्राइवरों के संगचल भत्ते में बहुत अन्तर है जबकि उनके वेतनमान समान हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त सभी भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो भत्ते की दरों में असमानता तथा इन व्यक्तियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) इस विषय पर भारतीय रेलों के गार्डों से कई तार मिले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, उसी तरह जैसे रनिंग कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच रनिंग भत्तों की दरों में अन्य अन्तर हैं ।

(घ) रनिंग भत्ता समिति की सिफारिशों पर जिनमें महंगाई भत्ता देने के लिए रनिंग भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में गिनने की मांग शामिल है, सरकार विचार कर रही है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्टरों वर्ग 4/ सेक्शन कंट्रोलरों और यार्ड मास्टरों का चयन

3156. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 250-380 रुपये के वेतन-मान में सहायक स्टेशन मास्टरों वर्ग 4/ सेक्शन कंट्रोलरों का 1961 में चयन किया गया था और 1962 में परिणाम घोषित कर दिया गया था परन्तु जुलाई 1966 में 13 सफल उम्मीद-वारों के नाम इस आधार पर तालिका (पेनल) से निकाल दिये गये थे कि वे पूर्व-अपेक्षित पदोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त नहीं थे;

(ख) क्या तालिका से निकाले गये उम्मीदवारों ने इस निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है;

(ग) क्या इसी दिल्ली डिवीजन में 250-380 रुपये के वेतनमान में यार्ड मास्टरों का 1966 में चयन किया गया था, जिसमें पूर्व-अपेक्षित पदोन्नति पाठ्यक्रम, अर्थात् पी० 16/ पी० 201 डी, में अर्हता न प्राप्त किये हुए कर्मचारियों का चयन किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि अर्हता प्राप्त न किये हुए इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की उपेक्षा की गई थी, जो यार्ड मास्टरों के रूप में पहले से सन्तोषजनक कार्य कर रहे थे और जिन्होंने लिखित परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विवादास्पद आदेशों के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ जिला के गार्डों को मील भत्ता

3157. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ जिले के एक गार्ड ने वर्तमान नियमों

के अन्तर्गत उसका जायज, वैध तथा परिश्रम का कमाया मील भत्ता न दिये जाने की अवस्था में उनको तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भूख हड़ताल का नोटिस दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लखनऊ जिले के अनेक गार्डों ने रेलवे मन्त्री तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को लिखित रूप में अपनी सहमति प्रकट की है कि वे अपने जायज कार्य (ड्यूटीज) में बाधा डाले बिना भूख हड़ताल में उसका अनुसरण करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निरोधक कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एक गार्ड, श्री एस० सी० धर ने इस आशय का नोटिस दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये एक नोटिस में दी गयी मांगें यदि स्वीकार न की गयीं, तो वह भूख हड़ताल करेंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) श्री धर की कुछ मांगों पर विचार किया जा रहा है और रेल प्रशासन ने स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया है ।

Posts of Guards Grade 'C' in Headquarters Gorakhpur

3158. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Zonal Office of the North Eastern Railway, District Gonda, had sought the approval of the Headquarters Gorakhpur for filling up 19 posts of Guard Grade 'C' ;

(b) whether it is also a fact that the Headquarters Office at Gorakhpur had given its approval for filling up the said posts in October, 1968 ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). The correct position is that 19 posts of Guards Grade 'C' have been created for Gonda District in October, 1968 and they are intended to be operated as and when necessity arises.

Nurses in Railway Hospitals

3159. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nurses in the Railway Hospitals are appointed from amongst the High School pass candidates and they are placed in the pay scale of Rs. 150-280 after 4 years' training whereas persons having the same qualification and having undergone similar training are appointed in the pay-scale of Rs. 250-380 in the Mechanical Engineering Department ;

(b) whether it is also a fact that there is always shortage of Nurses on account of the said discrimination ; and

(c) if not, the other reasons for the shortage of nurses in Railway Hospitals ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) **Qualifications for recruitment of Nurses :—**

A candidate should be matriculate and possess Junior Nursing 'B' Certificate awarded by a recognised medical institution registerable under the State Government Act for Nurses, Midwives or Health Visitors or an equivalent qualification. Selected candidates are appointed as Staff Nurses in grade Rs. 150-280 (AS) and they are not given any training before they are appointed to a working post.

In the Mechanical Engineering Department, matriculates are recruited as Apprentice Mechanics or Apprentice Train Examiners. In their case, an initial training for a period of 5 years is given and on successful completion, they are appointed in the grade of Rs. 205-280 (AS).

(b) and (c). It will be observed that the recruitment for these two groups is not comparable and there is no question of discrimination. Information regarding shortage of Nurses on the various railways and the reasons therefor is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

थाईलैंड को साइकिलों के फ्री ह्वील का निर्यात

3160. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद की एक फर्म द्वारा निर्यात किये गये और राज्य व्यापार निगम द्वारा विधिवत् मुहरबन्द किये गये साइकिलों के फ्री व्हील की एक पेटी के उस मामले की जांच पूरी हो गई है; जिसमें माल के प्राप्तकर्ता द्वारा बैंगकाक (थाईलैंड) में पेटी खोले जाने पर साइकिलों के फ्री व्हील के स्थान पर ईंटें पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच पूरी नहीं हुई है । राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि ने पेटी को मुहरबंद नहीं किया था । इसे निर्यात निरीक्षण अभिकरण ने मुहरबंद किया था ।

अमरीका से रुई का आयात

3161. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

डा० सुशीला नैयर :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से रुई खरीदने के लिये हाल में एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुई के नियतन के लिये अमरीकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित रुई का भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाता है।

आटोमोबाइल एसोसियेशन आफ अपर इण्डिया

3162. **श्री अनिरुद्धन :**

श्री विश्वम्भरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अक्तूबर, 1968 के नई दिल्ली के "स्टेट्समैन" में "नई दिल्ली नोट बुक" शीर्षक के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इंडिया'''''में कार्य-स्थिति के बारे में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या इस कम्पनी में वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में एसोसियेशन के कुछ सदस्यों द्वारा कम्पनी पंजीयक, नई दिल्ली को पेश किये गये ज्ञापन की ओर भी सरकार का ध्यान गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां, श्री मान्।

(ग) मामला परीक्षान्तर्गत है।

नमक का मूल्य

3163. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी घाट की बन्दरगाहों तथा तूतीकोरिन से नमक ढोने के लिये जहाजों और पत्तन सुविधाओं आदि की कमी के कारण कलकत्ता में पश्चिमी घाट के बढ़िया नमक के जहाज से उतारने से पहले के थोक मूल्य 1951-52 में 205-255 रुपये प्रति 100 मन और तूतीकोरिन के नमक के मूल्य 190-230 रुपये प्रति 100 मन से बढ़कर 1968 में क्रमशः 380-450 रुपये और 300-415 रुपये हो गये हैं;

(ख) कलकत्ता बाजार में बढ़िया नमक के जहाज में उतारने से पहले के मूल्य के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से कलकत्ता के लिये नमक की सप्लाई नमक उत्पादन के अन्दरूनी साधनों जैसे हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, द्वारा चांदा और सांभर साल्ट्स लिमिटेड से जोड़ने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जहां के औद्योगिक नमक और घर में काम आने वाला नमक रेल द्वारा सस्ते भाड़े पर ढोया जा सकता है; और

(घ) इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार करने में क्या बाधा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां ।

(ख) वेस्ट कोस्ट नमक का जहाज भाड़ा सहित मूल्य 415 रुपये तथा तूतीकोरिन नमक का 395 रुपये प्रति 100 मन है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मंत्रिमण्डलीय समिति के 1961 में लिए गये इस निर्णय का कि नमक को उद्गम स्रोतों से कलकत्ता जलपोतों के द्वारा भेजा जाय । रेलवे विभाग इस लाने ले जाने का विरोध कर रहा है । इस पर अब पुनरीक्षण किया जा रहा है । निर्णय न होने तक रेलवे हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, खारागोधा से पश्चिमी बंगाल स्थित गन्तव्य स्थानों तक नमक ले जाने के लिए राजी हो गया है ताकि उन क्षेत्रों में कमी पर काबू पाया जाय । अभी तक इस प्रकार का कोई लदान नहीं हुआ है ।

हिस्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छपाई मशीनों का निर्माण

3164. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में छपाई मशीनों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स विभिन्न विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करार करना चाहता था;

(ख) क्या उसने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ वस्तुतः कोई करार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में छपाई मशीनों का निर्माण करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की विभिन्न विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी सहयोग के बारे में बातचीत चल रही है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फास्फोरस के विकास के लिये भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग

3165. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने उस देश में फास्फोरस निक्षेपों के विकास के लिये तथा मूलतत्वीय फास्फोरस के निर्माण में भारत का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारत सरकार को संयुक्त अरब गणराज्य में फास्फोरस निक्षेपों के विकासार्थ किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है । तथापि, मूलतत्वीय फास्फोरस के उत्पादन का प्रश्न औद्योगिक सहयोग के लिये अगस्त, 1967 में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग के लिये उठाया गया था । भारत सरकार ने इस प्रकार के उद्यम में अभिरुचि व्यक्त की और इस विषय पर अभी संयुक्त अरब गणराज्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है ।

विदेशी पूंजी नियोजन बोर्ड

3166. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड के गठन तथा कार्य करने की प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बोर्ड के कब तक चालू होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी, हां । बोर्ड के अध्यक्ष वित्त मन्त्रालय के सचिव होंगे । सरकार के आर्थिक मन्त्रालयों के सचिव, योजना आयोग के सचिव, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धान के महानिदेशक और तकनीकी विकास के महानिदेशक इसके सदस्य होंगे ।

दो करोड़ रुपये की सामान्य पूंजी से अधिक विनियोजन वाले तथा उन मामलों को जिनमें विदेशी विनियोजन जारी की गई सामान्य पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक होगा, को छोड़कर सभी मामलों को निपटाएगा । बोर्ड की एक उप समिति होगी जो कि 25 प्रतिशत तक के विदेशी विनियोजन तथा एक करोड़ रुपये तक के विनियोजन मामलों का निपटान करेगी । ऐसे मामले जिनमें केवल तकनीकी सहयोग लिया जा रहा हो और उनमें विदेशी विनियोजन न हो, प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा ही निपटाए जायेंगे ।

(ग) बोर्ड के शीघ्र ही काम प्रारम्भ करने की आशा है।

जुण्ड-कांडला रेलवे लाइन

3167. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुण्ड-कांडला रेलवे सेक्शन को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस सेक्शन को चालू करने के लिए कई बार व्यवस्था की गई थी और बाद में उसे स्थगित कर दिया गया; और

(ग) सरकार का इस सेक्सन को कब चालू करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). यातायात के लिए इस लाइन के खुलने की निर्धारित तारीख 30.10.1969 है और इसके खुलने में देर/आस्थगन नहीं हुआ।

(ग) इस लाइन का झुंड-ध्रंगधरा (52.72 कि० मी०) भाग 27.3.1968 से माल यातायात के लिए खोला जा चुका है। ध्रंगधरा से हल्वद तक (31.04 कि० मी०) का आगे का भाग 8.11.1968 को यातायात के लिए खोला गया था। 230.84 कि० मी० लम्बी इस बड़ी लाइन का शेष भाग अनुसूची के अनुसार 30.10.1969 को पूरा कर दिया जायेगा और यातायात के लिये खोल दिया जायेगा।

भारत के निर्यात व्यापार प्रणाली में परिवर्तन

3168. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य उप मंत्री के पूर्वी यूरोपीय देशों के हाल के दौरे के बाद सरकार ने देश की विकासशील अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन देशों के साथ अपने व्यापार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो व्यापार की पुरानी प्रणाली में क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) भारत के निर्यात व्यापार पर उसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार की यह नीति रही है कि भारत की विकासशील अर्थ-व्यवस्था की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व यूरोपीय देशों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार का विकास किया जाये। इस संदर्भ में वाणिज्य उप-मंत्री के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि-मण्डल अभी हाल में कुछ पूर्व यूरोपीय देशों में गया था, वह औद्योगिक कच्चे माल की कुछ मदों एवं उर्वरकों की उत्तरोत्तर अधिकाधिक पूर्ति के संबंध में बातचीत करने में सफल हुआ। इन देशों से ऐसी मदों के बढ़े हुए आयातों से ऐसे संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे भारत अपने निर्यात, विशेषत: इंजीनियरी तथा निर्मित माल के निर्यात, बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा।

Platform at Nivari Railway Station

3169. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway Wagons arrived at and departed from Nivari Railway Station on the Jhansi-Manikpur Railway Section between the Ist October, 1967 and the 30th June, 1968;

(b) whether it is a fact that great difficulty is experienced in loading and unloading goods at the said station because of its platform being only six inches high from the ground level;

(c) whether it is also a fact that foodgrains, cement, sugar and other articles keep lying in the open at the said station during rainy season because no shed has been provided there; and

(d) whether Government would take action to make necessary improvements in the said platform without delay?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Inward received loaded—242 wagons

Outward despatched loaded—281 wagons.

(b) Some difficulty is being experienced lately in the loading and unloading of goods.

(c) Since there is no covered goods shed accommodation at Niwari station, loading and unloading operations are done in the open. However, damageable goods are covered by tarpaulins.

(d) A 80 ft. long goods platform and a covered goods shed of 1500 sft. area are proposed to be provided.

Foreign Experts at Bhilai Steel Plant

3170. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the number of foreign experts working in the Bhilai Steel Plant;

(b) the time by which Indian experts would be in a position to handle the work without the assistance of these foreign experts; and

(c) whether Government would appoint Indian experts in all the plants in the public sector in view of the serious unemployment problem in the country?

The Deputy Minister in the Ministry ef Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) As on 31st October, 1968, 88 foreign experts were working in the Bhilai Steel Plant.

(b) and (c). In the initial stages, a large number of foreign experts had to be engaged generally because sufficient Indian Engineers with the requisite experience and qualification were not available. Indian Engineers are being trained as under-studies to the foreign experts and are gradually replacing them. Foreign experts are now being retained only where absolutely necessary. Whenever Indian experts are available, foreign experts are not engaged.

Production of Steel

3171. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of steel produced by each steel plant during the period from the Ist April, 1967 to 31st March, 1968;

(b) the quantity of steel consumed within the country and the quantity of steel exported, out of the steel produced by Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants ; and

(c) the foreign exchange earned by exporting the steel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The plantwise production of iron and steel during 1967-68 was as under:—

(In thousand tonnes)

	TISCO	IISCO	Rourkela	Bhilai	Durgapur	Total
Pig iron for sale	—	196	64	656	278	1194
Seleable semis.	486	160	2	561	176	1385
Finished Steel.	955.4	450	612	685	350	3052.4

(b) Producerwise exports of iron and steel during 1967-68 are given below :

(In thousand tonnes)

	Steel	Pig iron
Hindustan Steel Ltd.	273.3	515.2
Tata Iron and Steel Co. Ltd.	69.0	—
Indian Iron and Steel Co. Ltd.	35.7	91.6

The balance of the production together with the steel imported was apparently consumed within the country.

(c) The foreign exchange earnings of each producer are given below in lakh of Rupees.

Hindustan Steel Ltd.	Rs. 3059.03 lakhs
TISCO	394.02 ,,
IISCO	494.09 ,,

In addition Rs. 1401.40 lakhs worth of foreign exchange was earned by export of rerolled products and by export of pig iron and billets produced by Mysore Iron and Steel Ltd. The total foreign exchange earnings during the year being Rs. 5348.53 lakhs.

बांदीकुई और जयपुर के बीच शटल सेवा

3172. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बांदीकुई जंक्शन और जयपुर के बीच कुछ वर्ष पहले एक शटल सेवा थी;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को बन्द करने के लिये क्या कारण थे; और

(ग) क्या यातायात के बढ़ाने तथा रेलवे डिब्बे आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी अथवा वर्तमान रिवाड़ी बांदीकुई सेवा को जयपुर तक बढ़ायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). मार्च, 1942 से पहले बांदीकुई और जयपुर के बीच दो जोड़ी शटल गाड़ियां चलती थीं। इन सेवाओं को द्वितीय विश्वयुद्ध की आवश्यकताओं के कारण निलम्बित कर दिया गय था।

(ग) वर्तमान सेवाओं की उपयोगिता के विश्लेषण से यह पता चला है कि रेवाड़ी-बांदीकुई तेज सवारी गाड़ियों को जयपुर तक बढ़ाकर बांदीकुई और जयपुर के बीच कोई अतिरिक्त सेवा प्रारम्भ करने के लिये यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है।

बम्बई और कोचीन के बीच नियमित रेलगाड़ी चलाना

3173. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और कोचीन के बीच एक नियमित रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह नई सेवा कब तक आरम्भ की जाएगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सीसल और सन के रस्सों के आयात पर प्रतिबन्ध

3174. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नौवहन कम्पनियों द्वारा सीसल और सन के सस्ते रस्सों के आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). सीसल तथा सन के सस्ते रस्सों के आयात पर बांड में उल्लिखित जहाजी माल के रूप में प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया है, क्योंकि ऐसे रस्सों के स्वदेशी उत्पादन से जहाजों की मांगें पूरी हो सकती हैं।

रूस के सहयोग से ट्रैक्टर कारखाना

3175. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोवियत संघ के सहयोग से एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले ट्रैक्टर कारखाने की परियोजना को मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जायेगा और उस पर कितती विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली ने मैसर्स प्रोमाएक्सपोर्ट तथा मैसर्स ट्रैक्टर एक्सपोर्ट सोवियत रूस के सहयोग से प्रति वर्ष 10,000 डी० टी० 14 बी (14 अश्व-शक्ति वाले) ट्रैक्टर चलाने के लिये उत्तर प्रदेश में लोनी नामक स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है और विदेशी सहयोग की प्रतिक्रियाओं की सूचना फर्म को दे दी गई है। फर्म से यह भी कहा गया है कि वह इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्वक पूंजीगत सामान के आयात के लिये प्रार्थना-पत्र दे दे।

फर्म ने बताया है कि इंजिनों सहित ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये आवश्यक जुगाड़ों, औजारों, जुडनारों आदि उपकरणों का मूल्य लगभग 559 लाख रु० का सहित होगा। उनके अनुसार इन उपकरणों में से 30 प्रतिशत देशी फर्मों में ही मिल जायेगा और शेष उपकरणों का आयात करना होगा।

मैसूर में लौह अयस्क का विमान द्वारा सर्वेक्षण

3176. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी दल द्वारा मैसूर में लौह अयस्क का विमानों द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) विस्तृत रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रुई व्यापार में "हैज" ठेके

3177. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हाल में हुई एक बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये रुई व्यापार में "हैज" ठेकों की अनुमति देने की मांग की; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कौन-सी विशिष्ट बैठक माननीय सदस्य के ध्यान में है। तथापि रुई में "हैज" व्यापार तथा अन्य सम्बद्ध व्यापार कार्य प्रणालियों को फिर से शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया गया है। यह निर्णय किया गया है कि निर्यात के लिये बंगाल देशी रुई के सम्बन्ध में अन्तरणीय यथोलिखित सुपुर्दगी संविदाओं की अनुमति दी जाये जिनके लिये सुपुर्दगी के माह को छोड़कर तीन महीने की सुपुर्दगी अवधि हो। यह भी निर्णय किया गया है कि रुई के गैर-अन्तरणीय यथोलिखित सुपुर्दगी संविदाओं के लिये अवधि को बढ़ाकर सुपुर्दगी माह सहित छः महीने कर दिया जाये। रुई में "हैज" व्यापार की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

रुई में "हैज" व्यापार

3178. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और श्रमिकों के प्रतिनिधि तथा कपड़ा आयुक्त सदस्य हैं, सरकार से तुरन्त रुई के "हैज" व्यापार की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार से बिना किसी समय सीमा के एन० टी० एस० डी० ठेकों की और टी० एस० डी० के लिये बंगाल से देशी रुई के लिये अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि निर्यात के लिये बंगाल देशी रुई के सम्बन्ध में, टी० एस० डी० संविदा फिर से चालू की जाय, जिसमें सुपुर्दगी के माह को छोड़कर तीन महीने की

सुपुर्दगी की अवधि हो। यह भी निर्णय किया गया है कि रुई में एन० टी० एस० डी० संविदाओं के मामले में, सुपुर्दगी की अवधि, सुपुर्दगी के माह सहित, छः महीने तक बढ़ाई जाय।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुये "हैंज" व्यापार को पुनः आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित इस्पात उत्पादों का वितरण

3179. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम आयातित इस्पात उत्पादों के वितरण में सुस्ती से काम करते हैं और वे गलत आकार के उत्पाद बेचते हैं तथा उन पर पारिश्रमिक के रूप में 25 प्रतिशत अधिक विक्रय मूल्य लेते हैं जो बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्हें राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम पर निर्भर करने के बजाय उन्हें आवश्यक इस्पात उत्पादों का सीधे आयात करने की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम इस्पात का आयात तथा वितरण नहीं करता। यह कार्य खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। यह कहना ठीक नहीं है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम आयातित इस्पात के वितरण में सुस्त है और गलत आकार तथा प्रकार के उत्पाद बेचता है अथवा 25 प्रतिशत अधिक विक्रय मूल्य लेता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू अवधि में कच्चे माल के रूप में इस्पात का आयात निगम के माध्यम से नहीं किया जाता है। वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे आयात करने की अनुमति है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

न्यू शाहदरा कालोनी में डकैती

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I beg to draw the attention of the Hon. Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him

to make a statement thereon :

'Dacoity at the New Shahdara Colony and failure on the part of the police to tackle the situation'.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : आपने उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की हड़ताल की चर्चा की तो अनुमति नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दिल्ली के बारे में है, जो केन्द्र का उत्तरदायित्व है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 29/30 नवम्बर, 1968 की रात्रि को 1.34 पर पुलिस कन्ट्रोल रूम में यह रिपोर्ट पहुंची थी कि कुछ व्यक्ति झिलमिल कालोनी शाहदरा में झगड़ा कर रहे थे । इस सन्देश के बारे में शाहदरा की गश्ती गाड़ी को वायरलैस द्वारा सूचना दी गई थी और यह गाड़ी 1.45 पर घटनास्थल पर पहुंच गई थी । असिस्टैंट सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर, शाहदरा) जिनको इस दुर्घटना के बारे में सूचित किया गया था, घटनास्थल पर 2.16 पर पहुंच गये थे ।

यह पता लगा है कि 3 व्यक्ति झिलमिल कालोनी के निवासी श्री बृजलाल के घर में किसी औजार से द्वार का ताला तोड़कर घुस गये थे, जबकि उस घर के लोग सो रहे थे । चोर दो बक्स ले गये जिनमें कुछ आभूषण तथा नकदी थी । चोर जो वस्तुएं ले गये हैं, उनका मूल्य लगभग 600 रुपये था ।

मकान में सेंध लगाकर अन्दर घुसने की घटना के पश्चात् इन चोरों ने झिलमिल कालोनी के समीप रहने वाले एक व्यक्ति श्री शिवचरण दास के मकान का द्वार खटखटाया । स्थानीय चौकीदार श्री मानबहादुर ने चोरों को चुनौती दी । चोरों ने उसको मारा और उससे खुखरी छीन ली । इसी बीच मकान मालिक श्री शिवचरण दास बाहर आ गये और उसकी नाक पर चोरों द्वारा खुखरी से, जो कि उन्होंने चौकीदार से छीनी थी, चोट की गई । यह शोर सुनने से पड़ोसी एकत्र हो गये और उन्होंने चोरों का पीछा किया, जिन्होंने तब भागना आरम्भ कर दिया था । चोरों द्वारा जो इस समय भाग रहे थे, दो व्यक्तियों को लाठी तथा खुखरी से चोट की गई । कुल चार व्यक्ति घायल हुये । जब 1.45 पर पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, उसी समय घायल व्यक्तियों को पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ी में तुरन्त इर्बिन अस्पताल में पहुंचाने के प्रबन्ध कर दिये गये । एक व्यक्ति को प्रथम उपचार के पश्चात् अस्पताल से भेज दिया गया और शेष तीन व्यक्तियों की स्थिति जिनको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था, संतोषजनक ढंग से ठीक हो रही है ।

जांच कार्यवाही तुरन्त आरंभ की गई थी और कुत्तों की सेवाएं भी उपलब्ध की गई थीं । पुलिस स्टेशन, शाहदरा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 458/380 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

उसी रात को उसी कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकार में एक कर्मचारी के घर चोरी

होने की घटना की सूचना मिली है । मकान अभी पूरी तरह बना नहीं था और दरवाजे तथा अन्य सामान अभी नहीं लगे । मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे का एक शटर लगा हुआ है । चोर मकान से लगभग 1000/- रुपये के मूल्य की वस्तुएं ले गये, जब घर वाले सो रहे थे । भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 457/380 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है ।

डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस (आर) पुलिस सुपरिंटेन्डैन्ट तथा उत्तरी जिले के अतिरिक्त सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस ने तुरन्त घटनास्थल का दौरा गया । सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस (उत्तरी जिला) की देख-रेख में इन मामलों की जांच की जा रही है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The law and order situation in Delhi is deteriorating day by day. Seventy-six murders have been committed during the last ten months whereas only 52 murders were committed during the same period last year. Many crimes are being committed in the capital in connivance with the police. A head constable was caught along with a gang of culprits, when police raided a night club.

The tendency of the police has been to show serious and complicated cases as simple and straight cases. Delhi has also been turned into a distillery of illicit liquor. 98 per cent of the cases relating to brothels and fallen women are turned down by courts as the police fails to make proper investigation.

The Hon. Minister has tried to present this case as a simple case of theft. Actually the burglars had entered five houses one after the other. Three persons were injured seriously whereas other three persons received serious injury.

Previously there had been a police post which has been removed now. The area had been turned into the safest hideout for the criminals.

I would like to know whether the Hon. Minister is prepared to hold enquiry through some Central Agency. I also want to know what action the Government propose to take on the report of the Police Commissioner. I would also like to know whether a police post will be established on Delhi-U. P. border to check such incidents ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I have stated the investigation of this case is being conducted personally by the Superintendent of Police. It is therefore clear that great importance is being attached to this case so that the recurrence of such incidents may be effectively checked.

It appears from the report received by us, which is based on the investigation, that the burglars were three or four in number and they committed theft in two houses which are ten to fifteen yards away from each other.

Another gang was involved in the case which has been stated here. Investigation is still going on. Hence nothing can be said precisely.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Police reached the place after four hours.

Shri Vidya Charan Shukla : According to my information police van reached at the spot ten minutes after receiving the information through wireless. The injured persons were taken to hospital in the same van.

So far as general crime situation of Delhi is concerned we have had consultations with the Hon. Members to Parliament belonging to Delhi. The Police Commission established for the purpose has also submitted some recommendations. Keeping in view all these things we are trying to streamline the work of the Delhi police. We are not completely satisfied with the work the Delhi police although they are functioning well.

So far as Delhi-U. P. border is concerned, we are trying to solve the problem.

We have carefully considered the report of the Police Commission.

Shri Hardayal Devgun (Delhi-East) : It is not correct to say that there were only three or four persons in that gang. Actually this gang was divided in two or three small groups which tried to commit dacoities in three or four houses. The incident happened before midnight whereas police reached on the spot at about 3 A. M. The law and order situation in that part of the capital has worsened. Illicit liquor is being sold there openly.

I would like to know the arrangements made to establish a police post in that area. I would also like to know whether arrangements for the patrolling of the police in that area have also been made ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have strengthened patrolling arrangements in that area by police to check the recurrence of such incidents.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : आज देश में पुलिस प्रशासन बहुत भ्रष्ट हो गया है और सरकार इसको नियंत्रण में रखने में असफल रही है । नागरिकों की रक्षा करने के नाम पर पुलिस प्रशासन अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को परेशान कर रही है । देश में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है और ये सब घटनाएं पुलिस की सांठगांठ से होती हैं । गृह-कार्य मंत्री आश्वासन देने के पश्चात् इन घटनाओं की पुनरावर्ति को रोकने में नितान्त असमर्थ रहे हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : समस्त देश के पुलिस बल के विरुद्ध सामान्य रूप से इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है । कर्त्तव्य का पालन न किये जाने की कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, परन्तु पुलिस अपने कर्त्तव्य का, जिसमें उसे बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी कुशलता से पालन करती है । इसके साथ-साथ मैं यह नहीं कहता कि पुलिस बल ने कोई गलतियां नहीं की हैं । लेकिन फिर भी पुलिस के विरुद्ध इस प्रकार के सामान्य आरोप लगाना उचित नहीं हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : जब तक आप दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं करते तब तक स्थिति में सुधार नहीं ला सकते ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पुलिस की कार्य क्षमता में सुधार लाने के बारे में हमने बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया था लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्योरा मैं सभा-पटल पर रख दूंगा ।

———

अनुपूरक प्रश्नों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
Re : SUPPLEMENTARY TO QUESTIONS AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : आज पूरी सूची में से केवल तीन प्रश्नों पर ही चर्चा की जा सकी है। यदि प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न पर लम्बा या छोटा भाषण दिया जायेगा तो अधिक प्रश्नों को सभा की कार्यवाही में लेना कठिन हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे अनुपूरक प्रश्न पूछें जो छोटे हों और संगत हों। प्रश्न काल में केवल यह संख्या बहुत कम है। अनुपूरक प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य बड़े-बड़े भाषण देने लगते हैं। अतः मैं इस विषय में आपका सहयोग चाहता हूं। कल से मैं प्रश्नों पर चर्चा शीघ्रतापूर्वक समाप्त करूंगा। यदि मैं इस मामले में सफल नहीं हुआ तो मुझे दो या तीन प्रश्नों पर प्रतिदिन चर्चा करने की वर्तमान पद्धति को फिर से अपनाना होगा। वरिष्ठ सदस्यों को पहले बोलने का अवसर दिये जाने के कारण कनिष्ठ सदस्यों को बोलने का कम अवसर मिलता है। श्री हेम बरुआ ने पूछा था कि यह ध्यान दिलाने वाले प्रश्न को क्यों स्वीकार किया गया। सभा को यह पता होना चाहिये कि दूसरा प्रश्न भी स्वीकार कर लिया गया है किन्तु मंत्रालय को जानकारी एकत्रित करने में समय लगता है। चूंकि यह मामला दिल्ली से सम्बन्धित है, इसलिए वे जानकारी शीघ्र एकत्रित कर सकते हैं, जहां तक शिक्षकों के बारे में चर्चा का प्रश्न है माननीय मंत्री को उत्तर प्रदेश से जानकारी एकत्रित करने में समय लगेगा, इसी कारण उसे आज लिया गया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मुझे 19 और 20 सितम्बर, 1968 के बीच पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में गिरफ्तार और नजरबन्द किये गये मेरे प्रश्न से उठे विशेषाधिकार के प्रश्न पर नियम 222 के अन्तर्गत चर्चा करने में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् मैं सभा को तथ्य प्रस्तुत करता हूं।

मुझे पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में पुलिस द्वारा अदरा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 147/353 सितम्बर, 1968 के अध्यादेश की धारा 5 और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 100 बी के अन्तर्गत सुबह 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट ने मुझे शीघ्र इस आधार पर रिहा कर दिया कि मामले की डायरी की प्रति और प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन मुझे पुलिस द्वारा गैर-कानूनी रूप से 20 सितम्बर, 1968 के 1 बजे रात तक नजरबन्द रखा गया। मुझे सायं चार बजे रिहा कर दिया गया लेकिन पुलिस ने मुझे 1 बजे रात तक बिना अधिकार के और गिरफ्तारी के वारंट के बिना रोके रखा। गैर-कानूनी रूप से पुलिस द्वारा नजरबन्द किये जाने के बाद मुझे 20 सितम्बर को एक बजे रात फिर गिरफ्तार कर

लिया गया और लगभग 2.20 बजे रात पुरूलिया के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने मुझे लगभग 2.30 बजे रात पी० आर० बाण्ड के अधीन रिहा कर दिया । अतः इससे स्पष्ट है कि 19 सितम्बर, 1968 को 4.00 बजे सायं रिहा किये जाने के बाद मुझे 20 तारीख के 1 बजे रात तक बन्दी बनाये रखा गया । ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी गिरफ्तारी और नजरबन्दी की लोक सभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं दी गई थी ।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 229 और 230 की ओर दिलाना चाहूंगा ।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : इस बारे में कल विस्तृत ब्योरा दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I raised question of privilege with regard to my arrest on 20th November. It was decided at that time that since the matter is under consideration with the Supreme Court, therefore, we should wait its judgment. The Supreme Court has given its judgment in which it has released me. Therefore it is clear from its judgment that my arrest was illegal. Now this matter should be referred to the Privilege Committee.

In its judgment the Supreme Court has also mentioned that it is hoped that similar action will be taken by the Government with regard to my other arrested 116 colleagues (**interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : उस दिन हमने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्राप्त हो जाने दीजिये । यह ठीक है कि आपको छोड़ दिया गया था लेकिन हमें वह निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर आपको छोड़ा गया था । निर्णय को अवश्य देखा जाना चाहिये । गृह-कार्य मंत्री और विधि मंत्री के विचार जानने के पश्चात् मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

रेलवे दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : मैं, श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 के प्रतिवेदन भाग 1 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2462/68]**

खनिजों तथा कच्ची धातुओं के निर्यात संशोधन नियम

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं, श्री दिनेश सिंह की ओर से निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खनिजों तथा कच्ची धातुओं का निर्यात--ग्रुप 2 (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 12 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3978 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2460/68]

सूती कपड़ा कम्पनियां (संशोधन) नियम अग्रिम ठेकों (विनियमन) अधिनियमन के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा समापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा समापन अथवा पुनः स्थापन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1918 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2461/68]

(2) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4098 (अंग्रेजी संस्करण) तथा एस० ओ० 4099 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2456/68 और 2457/68]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० ओ० 3246 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2463/68]

(दो) एस० ओ० 3746 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 3246 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2464/68]

(4) वर्ष 1966-67 के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2458/68]

(5) वर्ष 1966-67 के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2459/68]

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: THREATENED STRIKE BY L. I. C. EMPLOYEES

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से भारत के जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी के बारे के एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कार्य-सूची की मद संख्या 7 के बारे में आपका ध्यान दिलाता हूं। शायद माननीय मंत्री ने नियम 372 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया है। हमने जीवन बीमा निगम की हड़ताल के बारे में ध्यान आकर्षण प्रश्न और अल्प-सूचना प्रश्न उठाये थे। हड़ताल अब स्थगित कर दी गई है। आज दूसरे सदन में 10 सदस्यों ने इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रश्न उठाया है।

दूसरे सदन में माननीय मंत्री ने इस विषय पर वक्तव्य दिया है और दस सदस्यों के दस प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन यहां पर मंत्री महोदय ने केवल वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया है, चूकि हमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है अत: हमें वक्तव्य को पढ़ने के बाद उस पर प्रश्न करने या उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे आवश्यक प्रश्न पर जिसका सम्बन्ध 40,000 जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से है, के बारे में अल्प-सूचना प्रश्न की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री बनर्जी ने जो यह कहा कि मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, यह ठीक नहीं है। मैंने आपसे पहले तो पूछा था कि क्या मैं इस बारे में वक्तव्य दूं तो आप यह चाहते थे कि वक्तव्य को सभा-पटल पर रख दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं आप वक्तव्य को यहां पढ़ दें। सभा-पटल पर वक्तव्य रखने का अभिप्राय यह है कि आपने वक्तव्य पढ़ दिया है।

वक्तव्य

आपकी अनुमति से मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 5-12-68 से अनिश्चित काल तक की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

7 नवम्बर, 1968 को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने जीवन बीमा निगम को यह नोटिस दिया कि संघ भारत के जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को 5 दिसम्बर, 1968 से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने के लिए कहेगा। उस समय वह संघ तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मान्यताप्राप्त संघ था लेकिन बाद में, 21 नवम्बर, 1968 के आस-पास, अनुशासन संहिता के निश्चित उल्लंघन के कारण निगम ने संघ की मान्यता वापस ले

ली । श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय की केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति की 16 नवम्बर, 1968 को हुई बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार मान्यता वापस लेने को प्राधिकृत ठहराया गया। हड़ताल नोटिस के साथ दिये गये संकल्प में संघ ने हड़ताल के निम्न-लिखित कारण बताये :—

(i) यंत्रीकरण, जिसमें कलकत्ता में दूसरी संगणक मशीन लगाना भी शामिल है ;

(ii) संघ द्वारा पेश किये गये मांग-पत्र के बारे में किसी समझौते पर पहुंचने से इन्कार किया जाना ;

(iii) संघ के नेताओं को कथित रूप से हानि पहुंचाना ।

माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि बम्बई तथा कलकत्ता में एक एक इलैक्ट्रानिक संगणक लगाने का निश्चय जीवन बीमा निगम ने 1964 में ही कर लिया था तथा इस मामले पर इस सदन में एक या दूसरे रूप में अनेक बार विचार-विमर्श किया जा चुका है । भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की छंटनी अथवा उनके पारिश्रमिक की हानि अथवा कार्यालय स्थान से बाहर स्थानान्तरण नहीं होगा । यहां तक कि नियोजन सामर्थ में भी बहुत कम हानि होने की संभावना थी । संगणकों के इस्तेमाल से 383 नौकरियां समाप्त हो जायंगी लेकिन संगणक लगाने की प्रक्रिया से ही 225 नए पदों का निर्माण होगा । इसलिये पदों की संख्या में वास्तविक रूप से केवल 158 की कमी होने की संभावना थी, अर्थात् प्रतिवर्ष लगभग 50 प्रतिशत की कमी होती जो, जीवन बीमा निगम में हर वर्ष बनाये जाने वाले 1500 नये पदों के मुकाबले नगण्य थी । बम्बई में संगणक लगाने के कारण जो कि पहले से चालू भी है, विस्थापन के वास्तविक आंकड़े और भी कम पाये गये हैं ।

जनवरी 1967 में संघ ने जीवन बीमा निगम को एक मांग-पत्र पेश किया जिसमें 42 मांगों की सूची थी ; इन मांगों के कारण प्रतिवर्ष 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होता और इससे नवीकरण-व्यय का 16 प्रतिशत का वर्तमान अनुपात, जो अब भी 15 प्रतिशत की सांविधिक सीमा से अधिक है, लगभग 45 प्रतिशत बढ़ जाता । इसके बाद मांग-पत्र पर विचार-विमर्श हुआ । निगम 1.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करने को राजी था । बाद में अध्यक्ष ने बताया कि वह इस रकम में और 10 प्रतिशत की वृद्धि करने को सहमत हो जायगा । संघ को यह बात स्वीकार नहीं थी, जिसकी संशोधित मांगों के कारण प्रति वर्ष 11 करोड़ रुपये का व्यय होता और यह व्यय निगम की आय के साधनों से अधिक होता ।

5 अप्रैल, 1968 को संघ के आह्वान पर बहुत से तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने यंत्रीकरण के विरुद्ध और मांग-पत्र पर समझौता न होने की वजह से एक दिन की हड़ताल की।

जुलाई 1968 में भारत सरकार के समझौता-तंत्र ने मांग-पत्र से सम्बन्धित विवाद में

हस्तक्षेप किया किन्तु दोनों पार्टियों के लिये किसी समझौते पर पहुंचना संभव नहीं हो सका। "असफलता" के बारे में श्रम मंत्रालय को विधिवत् बता दिया गया। समझौते की कार्यवाही की असफलता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में निगम की प्रबन्ध व्यवस्था और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद पर न्याय-निर्णय करने के लिए 28 नवम्बर, 1968 को कलकत्ता में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण गठित किया जिसमें श्री जस्टिस वी० एन० बनर्जी प्रधान अधिष्ठाता थे :—

1. विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन।
2. महंगाई भत्ते का संशोधन।
3. कुछ वर्गों के कर्मचारियों को विशेष वेतन मंजूर करना।
4. अन्य भत्तों की अदायगी।
5. भविष्य निधि, पेंशन और उप-दान की वर्तमान योजनाओं का संशोधन।
6. चिकित्सा-लाभ।

पदाधिकारियों तथा अन्यों को हानि पहुंचाने का आरोप निश्चित रूप से गलत है। हानि पहुंचाने के तथाकथित कार्य भी सम्बन्धित अलग-अलग कर्मचारियों द्वारा किये गये दुराचरण के लिये कर्मचारी-विनियमों के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत उनके खिलाफ केवल अनुशासनिक कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ पदधारी भारतीय दण्ड सहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किये गये आरोपों के मामलों का सामना कर रहे हैं।

अब चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन, महंगाई भत्ते का संशोधन आदि के प्रश्न पर न्याय-निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है इसलिये मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित कर्मचारी प्रस्तावित हड़ताल नहीं करेंगे।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

पेट्रोल तथा डीजल आयल पर शुल्क में वृद्धि

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 1 दिसम्बर, 1968 को मंत्री महोदय डा० बी० के० आर० वी० राव ने विशाखापत्तनम में भाषण देते हुए किस प्रकार सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। 2 दिसम्बर, 1968 के "स्टेट्समैन" में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि परिवहन तथा नौवाहन मंत्री डा० वी० के० आर० राव ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल आयल पर शुल्क की वृद्धि करने का विचार है।

सर्व प्रथम यह सभा के विशेषाधिकार का विषय है। दूसरे यह बजट प्रस्तावों को गोपनीय रखने का भी मामला है। तीसरे यह मंत्रिमंडल के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में भी एक सिद्धान्त की बात है। ऐसे मामलों में पहले भी कई निर्णय किये जा चुके हैं। मंत्री महोदय का यह कहना कि 20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के लिये पेट्रोल और डीजल आयल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का विचार है, सभा का अवमान करना है। मंत्रीगण सभा के बाहर इस प्रकार के उत्तरदायित्वहीन वक्तव्य देते रहते हैं। यह प्रथा समाप्त होनी ही चाहिये। फिर इस मामले में तो आय-व्ययक की गोपनीयता का भी सम्बन्ध है और वित्तीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक पेचीदगियां भी हैं। फिर इस मामले पर वित्त मंत्री को कार्यवाही करनी चाहिये थी, अतः आय-व्ययक गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है, फिर प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री को छोड़कर और कोई मंत्री अन्य मंत्रालयों के विषय में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करें।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैंने डीजल आयल और पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाने के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। जिस सूचना के आधार पर माननीय सदस्य ने यह सब बातें कहीं हैं वह सूचना ठीक नहीं है। मैं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति काफी सजग हूं। मैंने 24 और 25 जून, 1968 को हुई परिवहन विकास परिषद की सातवीं बैठक में जो भाषण दिया था उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को सप्लाई की गई थीं ; मैं उसे फिर सभा में पढ़कर सुना देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि एक प्रस्ताव रखा गया है कि एक अलग सड़क आय-व्ययक बनाया जाना चाहिये। इस प्रकार के प्रस्तावों का मंतव्य यह है सड़क परिवहन से जो राजस्व प्राप्त हो उसका अधिकांश भाग सड़कों के लिये खर्च किया जा सके। इसके बाद यह कहा गया कि तेज रफ्तार वाले डीजल आयल पर सीमा और उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व के कुछ भाग को केन्द्रीय सड़क निधि में जोड़ा जा सकता है। अन्त में उस बैठक के निष्कर्षों में यह कहा गया था कि पेट्रोल पर उत्पादन और सीमा शुल्क पर 3.5 पैसे प्रति लिटर के अधिभार के हिसाब से लगभग 5 करोड़ रुपये केन्द्रीय परिवहन निधि को प्राप्त होते हैं जो लनभग 6 प्रतिशत बनता है। इस बात पर सहमति हुई थी कि पेट्रोल पर इसको बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है और इसी प्रकार डीजल आयल पर 10 प्रतिशत और कर लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था से लगभग 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्राप्त हो सकेंगे जो वर्तमान राजस्व से चार गुना होगा।

अतः मैंने सरकार की ओर से डीजल आयल या पैट्रील पर नया कर लगाने के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। यू० एन० आई० की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि :

"पैट्रोल और डीजल आयल पर शुल्क बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।"

मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है, बाकी यह कहना कि मैं केवल परिवहन और नौवहन के सम्बन्ध में ही बोल सकता हूं, यह बहुत कठिन बात है। मैं तो मंत्रीमंडल में नया व्यक्ति हूं अतः मैं इस सम्बन्ध में स्पटीकरण चाहता हूं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : जब यह समाचार, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था तो क्या मंत्री महोदय ने इससे इन्कार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अब इन्कार कर दिया है।

सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय—जारी
MATTER UNDER RULE 377—Contd.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मेरे विचार में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण के रूप में कुछ कहना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा में इन्कार कर दिया है।

श्री रंगा : उन्होंने उस समय क्यों इन्कार नहीं किया जब यह रिपोर्ट समाचार-पत्र में छपी थी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि उन्होंने पहले इसका खण्डन क्यों नहीं किया।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं दौरे पर गया हुआ था और कल रात ही मैं वहां से लौटा हूं। मैंने कल ही इसे देखा था और आज मैंने इन्कार कर दिया है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर आठ मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eight minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक—जारी

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL—Contd.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

श्री क० नारायण राव के संशोधन संख्या 172 को स्वीकार करते हुए कल मैंने एक परिवर्तन का उल्लेख किया था कि वे शब्द "fails to subscribe" के बाद आने चाहिए। ऐसा करने से यह अधिक अर्थयुक्त बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक मसौदा सम्बन्धी परिवर्तन है। मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I simply want to point out that the farmers should be given something in the real sense. I am saying so because farmers are not getting loans, tractors etc. in time and moreover they have to go through a complicated procedure before getting the same. It has also been observed that only defeated candidates of the ruling party are appointed to the posts of chairmen of such corporations which is not proper. These corporations should be run by the people who are well wishers of the farmers in the real sense.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I congratulate the Government for introducing this Bill. I want to point out that there should be simple procedure for giving loan to the farmers otherwise it will be difficult for the farmers to make use of these loans. Moreover limit of business should be increased. I am of the view that a Central State Agriculture Credit Corporation should also be established which should coordinate the business of all such corporations.

People of urban areas do not know about agricultural system. They even do not know the time of sowing and harvesting and when the farmers are in need of money. So the officers coming to this institution should be agriculturist's minded and belong to the villages. Such officers can only understand the need of farmers.

I suggest that the time limit of five years for the repayment of loans should be amended. The farmer cannot repay the loan in such a short period so the time-limit may be extended to ten years.

I want that it should be implemented as soon as possible and special attention may be given to Co-operatives which are weak in the States.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : There are many other agencies operating in the country for giving loans to farmers and this new agency has been created. There are two criteria for giving loans but this agency does not fulfil the same. The first is that since more than fifty percent of National Income come from Agriculture and also the same percent of export come from agriculture indirectly or directly so the Financial Credit system should give loans up to fifty percent to the farmers. But actually it does happen. All the agencies do not do

any thing for the benefits of farmers. It can be said for propaganda that this agency is meant to give loans to the farmers but the fact is that even ten percent of loans is not reached to the farmers.

There cannot be two opinions in it that the farmers may get loans according to their capacity and there should be guarantee of recovery. I want to say that there should be only one agency instead of so many operating in the country. The Government can give a pass book in which the capacity of the farmer is written. Then only he can know how much money he wants and how much he has to repay. So the Government should make only one agency. The agency which you are creating will not do any benefits to the farmers. Will you give guarantee that the farmers may be able to get loans without any difficulties ? There is red-tapis mand bureaucracy going on every where with the result the farmers have to give bribes for taking loans.

I had also written a letter to the Finance Minister in this respect but nothing has been done so far. The land Mortgage Banks are under the influence of political parties and they take undue advantages in the names of giving loans to the farmers. If the farmer go to other banks for loan, then he has to give eighteen percent as interest. I asked the Finance Minister to issue a circular in this respect but he pointed out that it is the subject matter of States and we cannot do anything. The Government give advice to the States on other matters but keep mum on this matter. Such attitude is dangerous for the interests of farmers.

If this bill does not fulfil the requirements of farmers then it is useless. The second thing is that the share of National Income and Export taking out from agriculture must be given to farmers in the form of loans. But this bill has nothing to do with this. So I request that a comprehensive bill may be introduced and try to establish only one agency which may be able to do all the work.

Shri Sheo Narain (Basti) : I warmly support this bill. I hope that our Finance Minister will succeed in his aim to give relief to the farmers. Now the farmers will be able to get loans in times. The S. V. D. Government did not pay any heed to the interests of farmers. There should not be any delay in giving loans to the farmers because only in this way there can be development in agriculture. With these words I support this bill.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Finance Minister should know that the farmers obtain loans after great difficulties and harassments caused to them. It is all due to the corrupt machinery which gives them loans. Everybody knows that there is shortage of credit in the field of agriculture, loans are not available in time and the farmer cannot avail of other benefits. You should make such arrangements which may benefit the farmers. Without these the farmers cannot increase the production. You should also change the administrative machinery which implement these policies. Only then it is possible to fulfil the requirements of farmers.

Credits alone cannot benefit the farmers. Even now there are many landless farmers. This is a big problem. This must be solved in time, otherwise we will remain backward as far as the agriculture is concerned. The landless farmers should be given lands. It cannot be solved only through law. Gramdan is also a way to solve this problem because in this way the farmers can

get land and the production will be increased. The administrative machinery should be streamlined so that the farmers get loan without difficulties. With these words I welcome the bill.

Shri Shinkre (Panjim) : We see that in India the poor are becoming poorer and the rich becoming richer. I want that this Corporation should not increase this gap. There is no limit of loans to be given to farmers. It is necessary that full facilities may be given to small farmers for taking loans. If there is no limit in providing loans then the purpose of the bill will be defeated.

I have repeatedly stressed that only those persons may be given the office of Chairmanship who believe in Public undertakings. Because only then the work can go on smoothly.

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : When Panditji started Community Project and Panchayati Raj, then it was thought that the rural area will be developed but generally all the Governments abolished the system of Taccavi which the farmers used to get from them and decided to hand over this work to co-operative. But it has been seen that the farmers could not get loans neither from Land Mortgage Banks nor from Co-operative Banks. The main difficulty in Co-operative banks is in respect of medium term loans. So the provision of providing medium term loan and long term loan must be made in the bill.

If one goes to Industry department for a machinery he has to deposit only ten percent but when the farmer goes to Community Development block then he has to deposit fifty percent. This system should be abolished and the same facilities should be provided to farmers which are given to industries.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : We all want that the farmers may get loans without any difficulties and there should not be any complications in it. Under the present system the farmers have to face obstacles in getting loans. If there is no Legal complications in taking loans then the farmers will utilize it to increase their production. Loans should be provided on easy terms to the farmers who want to purchase lands.

Shri K. C. Pant : I am happy that all the members supported the bill. At least 206 amendments were moved for the bill. This shows that great interest was shown in this bill by the House. Two or three hours were provided for the discussion on the bill but it took eight hours. I convey my thanks to the Hon. members who have shown so interest and moved their amendments.

This discussion has shown that we all want to become self-sufficient in respect of food-grains. The suggestion of creating only one agency is impracticable. The farmers will not be benefited fully.

Some members have talked about Co-operative and pointed out that there are some drawbacks in it. I want to remind them that co-operative institutions work under State Governments and it is their duty to look after them. A point has also been raised that the money allotted to the Corporation for giving loans is not sufficient. I assure that more money will be provided if the need arises. There should be no anxiety in this respect. The board will decide about rules and regulations at the later stage. I thank to the Hon. Members for showing so much interest in this debate as also for giving their valuable suggestions in the matter.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सड़क परिवहन करारोपण जाँच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION Re. FINAL REPORT OF ROAD TRANSPORT TAXATION ENQUIRY COMMITTEE—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार करेंगे । इसके लिए एक घण्टा और बीस मिनट निर्धारित किए गए हैं । श्री गोयल अपना भाषण जारी रखें ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : परिवहन उद्योग की व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है । सरकार ने इसके साथ उचित न्याय नहीं किया है । मंत्री महोदय ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि इस उद्योग के सामने कई कठिनाइयां उपस्थित हैं जैसे कि इस पर करारोपण का काफी भार है । अतएव यह अच्छा रहेगा कि ईंधन, टायर और ट्यूब पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया जाये ताकि यह भार कुछ सीमा तक कम हो जाये ।

दूसरी कठिनाई अन्तर्राज्यीय आवागमन की है । परिवहन वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में विभिन्न कानूनों से निबटना पड़ता है । इसके लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि परिवहन सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय आयोग को मजबूत बनाया जाये और इसको स्थायी निकाय का रूप दिया जाये ताकि यह सब करों का संग्रह करके विभिन्न राज्यों में बराबर से वितरण कर दे ।

एक अन्य कठिनाई चौकियों से सम्बन्धित है, केशकर समिति ने अपने दूसरे अन्तरिम प्रतिवेदन में चुंगी को समाप्त करने का सुझाव दिया है । परन्तु विभिन्न राज्यों ने इस सुझाव पर कोई अमल नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार को एक निदेश जारी करके राज्य सरकारों को चुंगी शुल्क में वृद्धि न करने के लिए कहना चाहिए ।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

विभिन्न चौकियों से परिवहन वालों से ली जाने वाली अवैध परितुष्टि भी एक समस्या है । उनको इस कारण काफी धन देना पड़ता है ।

सरकार ने जो ऋण की सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, वे परिवहन वालों को सुलभ नहीं हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि परिवहन वालों को 30 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है, सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। रेल परिवहन में जो कठिनाइयां आती हैं वे सड़क परिवहन में नहीं हैं और इसके अलावा इसमें उठाईगीरी, खोने आदि का भय नहीं रहता। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह सुविधाजनक, तेज परिवहन का साधन है, सरकार को इस ओर प्रभावशाली कदम उठा कर इसमें सुधार लाने चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह केशकर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में से 25 प्रतिशत को कम से कम क्रियान्वित करायें। इतने से ही उक्त उद्योग को पर्याप्त लाभ होगा। चूंकि देश की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने में इसका बहुत अधिक योगदान रहेगा, इसलिये उसके सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए अवश्य ही कोई न कोई कार्य-वाही की जानी चाहिए। अन्तर्राज्यीय आयोग को स्वतंत्र निकाय का रूप दिया जाना चाहिए और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सड़क परिवहन का विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय है जबकि उसकी उपेक्षा की जा रही है। जांच समिति द्वारा जो कठिनाइयां इसके विकास के मार्ग में बतायी गयी हैं और जो अन्य राज्यों में लगे करों आदि के कारण सामने आती हैं, पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उद्योग में लगे अधिकतर लोग मध्यवर्गीय श्रेणी के हैं और उनमें से लगभग 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने निर्वाह के लिये केवल एक ही ट्रक है। एक अन्य बात इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मोटर परिवहन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है। एक मोटर चलाने वाला अपनी गाड़ी के लिए लाइसेंस, परमिट और फिटनेस सर्टीफिकेट लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की दया पर निर्भर रहता है। जब तक वह उसे कुछ भेंट पूजा नहीं देता तब तक वह उसकी गाड़ी को सड़क पर चलने की योग्यता का प्रमाण-पत्र देता ही नहीं। अत: लाइसेंस आदि जारी करने की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके जिनका सुझाव समिति द्वारा भी दिया गया है वहां से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है।

चाहे यात्री कर हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का हो उसका प्रभाव अन्तत: उपभोक्ता पर ही पड़ता है। कुछ राज्यों में यात्री कर लगाया गया है परन्तु वह उन यात्रियों पर है जो बस या टैक्सी में यात्रा करते हैं। और जो लोग अपनी निजी कारों में यात्रा करते हैं उन पर यह कर नहीं लागू होता। इस प्रकार की कर व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक नहीं है। आखिर निजी कार में भी तो लोग यात्रा ही करते हैं तो फिर उनको इस कर से क्यों मुक्त रखा जाये ? इस

विषमता को दूर करने के लिये समिति ने एक सुझाव यह दिया है कि ईंधन (पेट्रोल आदि) के उपभोग पर यह कर लगाया जाये और उसे एकत्र करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हो, जिससे निजी कार वालों पर भी इस प्रकार का कर लग जायेगा ।

प्रायः यह कहा जाता है कि कर व्यवस्था ऐसी बन गई है कि उससे कर भुगतान के लिये प्रेरणा नहीं मिलती । यह बात वास्तव में ठीक है । इससे भी अधिक खतरनाक एक बात और है वह अधिक चिन्ता का विषय है । वह यह है कि भारी कर भार के कारण लोगों में प्रत्येक क्षेत्र में चोर बाजारी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । उदाहरण के रूप में मोटर गाड़ियों का ही मामला लीजिये । अधिकतर मोटर गाड़ियां बिना उचित कागजात और प्रमाण-पत्रों के सड़कों पर चलती रहती हैं और जहां पकड़ी जाती हैं वहीं सम्बंधित अधिकारी को कुछ भेंट पूजा चढ़ाकर आगे बढ़ जाती हैं । इस प्रकार मोटर गाड़ियों के चालक बिना निर्धारित कर का भुगतान किये ही गाड़ियां चलाते रहते हैं । इससे भ्रष्टाचार के लिये अधिक अवसर मिलते हैं और अधिकारी तथा जनसाधारण दोनों ही भ्रष्ट तरीकों की ओर बढ़ते जा रहे हैं । कर भार के अधिक होने के साथ ही करों की दरों में विभिन्न राज्यों में भारी अन्तर है । अतः कर व्यवस्था में उचित सुधार अपेक्षित है और विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाने चाहिये जिससे सम्पूर्ण देश में कर व्यवस्था में एकरूपता आये । निजी कारों को भी बिना कर दिये टैक्सी रूप में चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाये । इस प्रकार यदि कर की दरों में उचित मात्रा में कमी की जाये तो अवश्य ही वर्तमान भ्रष्टपूर्ण स्थिति में सुधार हो जायगा । इससे सरकार को घाटा नहीं होगा बल्कि उसकी आय 20 गुणा अधिक बढ़ जायगी ।

अपनी गाड़ी के लिये 'सड़क-योग्य' का प्रमाण-पत्र आदि लेने के लिये और करों का भुगतान करने के लिये गाड़ी के मालिक को अनेक कार्यालयों में जाना पड़ता है । यात्री कर का भुगतान करने के लिये एक कार्यालय में तो माल पर लगे कर का भुगतान करने के लिये दूसरे कार्यालय में जाना पड़ता है । लाइसेंस अथवा परमिट एक स्थान से मिलेगा तो 'सड़क-योग्य' का प्रमाण-पत्र किसी दूसरे स्थान से मिलेगा । इससे परिवहन उद्योग में लगे लोगों को परेशानी होती है और इससे भ्रष्टाचार की वृद्धि भी होती है । यदि किसी मोटर गाड़ी के मालिक ने किसी बात का विरोध किया तो उसकी गाड़ी का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा अथवा उसे सड़क के अयोग्य घोषित कर दिया जायगा । अतः इसमें सुधार के लिये स्वयं मंत्रालय को उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन में जो कठिनाइयां इस उद्योग के मार्ग में बताई गयी हैं वे ठीक होते हुए भी एक पक्ष पर आधारित हैं । समिति ने कहा है कि 85 प्रतिशत से भी अधिक इस उद्योग में लगे लोग मध्यवर्गीय लोग हैं और उनके पास एक या दो ट्रक हैं । दूसरी ओर परमिट मांगने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है जिससे यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि इस उद्योग से लाभ अधिक होता है और

उस पर और अधिक कर लगाया जा सकता है। साथ ही मंत्री महोदय को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अधिक दूरी के लिये सड़क परिवहन का अभाव है और इसका कारण प्रायः यह बताया जाता है कि सरकार इस उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जिससे उसमें विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा सड़क यातायात के विकास में रुचि न लेने के कारण यह बताया जाता है कि चूंकि यह उद्योग सरकारी उद्योग रेलवे के मुकाबले जा खड़ा होगा इसलिये सरकार इसके प्रति उदासीन है। अतः मंत्री महोदय को लोगों की इस गलत धारणा को भी दूर करना चाहिए। इसमें कोई भी शक नहीं है कि सड़क परिवहन का समुचित विकास होना चाहिये और उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को भी लाभ होगा।

मैं सरकार का ध्यान इसकी व्यवस्था में व्याप्त अराजकता की ओर दिलाना चाहता हूं। विभिन्न प्रकार के कर हैं और भिन्न-भिन्न राज्यों में उनकी दर अलग-अलग है। निरीक्षण चौकियों और चुंगी चौकियों की बहुतायत है। इस प्रकार की व्यवस्था में अराजकता छायी रहती है और उसमें भ्रष्टाचार भी पलता रहता है। इसलिये यदि सरकार को देश में सड़क परिवहन की एक सक्षम, कार्यकुशल और तीव्रतापूर्ण व्यवस्था का विकास करना है तो उसे कराधान एक ही बिन्दु पर केन्द्रित करना होगा, निरीक्षण और चुंगी चौकियों के उलझे हुए जाल को सुलझाना होगा। कराधान की व्यवस्था को सरल और एकरूप बनाना होगा।

प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों का ही जिक्र किया गया है और अप्रत्यक्ष करों की उपेक्षा की गई है। हानि इस उद्योग को अप्रत्यक्ष से अधिक होती है। मोटर गाड़ियों के दाम, उनके पुर्जे, और पेट्रोल आदि के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस मूल्य वृद्धि को भी रोका जाये। परिवहन उद्योग की समस्याएं एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और उन पर अलग-अलग विचार करने से कोई लाभ न होगा। सड़क परिवहन में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी बहुत कम है। यह भी एक समस्या है और इसका प्रभाव सड़क परिवहन की कार्य क्षमता और कार्यकुशलता पर पड़ता है। इस सम्बन्ध में भी सुसंगठित और मानक रूप में एक व्यवस्था बनायी जाये जिसके आधार पर परिवहन उद्योग में कुशल कर्मचारियों की भर्ती हो और जो संतुष्ट भी रहें।

मंत्री महोदय को केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम पर भी ध्यान देना चाहिये जिसे 1966-67 में 16,52,000 रुपये का घाटा हुआ है। इसके कारणों में उसने ईंधन और टायरों के मूल्य में और मोटरगाड़ी कर में वृद्धि होना भी बताया है। मंत्री महोदय को सड़क परिवहन की स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिये। वे अपने आपको इस मामले में असहाय न बतलायें। यदि वास्तव में सड़क परिवहन उद्योग का विकास चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये भी अलग से बजट लाना चाहिए जैसे रेलवे का पृथक बजट होता है। उसके लिये नियत की जाने वाली राशि को वित्त मंत्रालय की दया पर न छोड़ा जाये। यदि वे पृथक बजट की बात उठायें तो हम उनका समर्थन करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, मैं केवल सड़कों की दशा के बारे में ही चर्चा करना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार पर राष्ट्रीय मार्गों की देखभाल राज्यों के माध्यम से करने का दायित्व है। परन्तु मुझे शक है कि वह उनकी ओर समुचित ध्यान देगी। केन्द्रीय सरकार को सड़कों के विकास पर अधिक खर्च करना चाहिये। प्रतिवेदन में लिखा है कि सड़क परिवहन कर से सरकार को 236 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है जबकि वह सड़कों के विकास पर 67 करोड़ रुपये खर्च करती है। सड़कों के ठीक न रहने पर कितनी हानि हो सकती है, इसका अनुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। इससे मोटरगाड़ियों के मालिकों को अधिक हानि, दुर्घटना की सम्भावनाएं अधिक, माल की ढुलाई में देरी होती है। यह अर्थ-व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित करती है।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

जहां तक कर-भार की बात है, मेरा ऐसा विचार है कि यदि सरकार कर-राशि का पर्याप्त भाग सड़कों के विकास पर खर्च करे, तो यह भारी कर भार भी उचित ठहराया जा सकता है। कर अधिक लिया जाता है? परन्तु सड़कों पर कम खर्च किया जाता है। सड़कों की दशा बहुत अधिक खराब, सड़कों पर यातायात के रुकने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस दिशा में विकास की बहुत अधिक गुंजाइश है। सरकार को इन सब बातों पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए। मुख्य रूप से देश की सड़कों की दशा वैसी ही सुधरी हुई होनी चाहिये जैसी विश्व के अन्य देशों में है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं अपने आप को यात्री परिवहन तक ही सीमित रखूंगा। अब हमारे देश में अधिक लोग बसों से यात्रा करने लगे हैं। जनसाधारण के लिये परिवहन का यह माध्यम सस्ता होना चाहिये। पहली बात तो यह है कि डीजल तेल, मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि पर उत्पादन शुल्क बहुत अधिक है। अतः मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि डीजल तेल पर लगे उत्पादन शुल्क में कमी की जाये ताकि यात्री बसों के किराये में कमी हो सके। दूसरी बात परमिट जारी करने में पक्षपात किये जाने के सम्बन्ध में है। परमिटों की अधिक मांग होने से तो ऐसा लगता कि यह उद्योग बड़ा ही लाभप्रद है। यदि ऐसा है, तो सरकारी यात्री परिवहन निगम को घाटा क्यों हो रहा है? पश्चिमी बंगाल या किसी भी अन्य राज्य के निगम को लाभ नहीं हो रहा है।

इस कारोबार में बड़े व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं था। इसे छोटे लोग किया करते थे। जब हमने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया तो ये छोटे लोग बेरोजगार हो गये और यह कारोबार बड़े लोगों के हाथ में आ गया और उन्हें हानि होने लगी जिससे कर और भाड़ों में वृद्धि हो गई। इससे जनसाधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा अतः परिवहन के राष्ट्रीयकरण से जन-साधारण

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि निगमों को घाटा होने लगा और उन्होंने भाड़े में वृद्धि कर दी । अतः मेरा यह सुझाव है कि इन निगमों का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जाना चाहिये । यह छोटी-छोटी सहकारी समितियां बनाने से किया जा सकता है । आठ-दस सदस्यों की सहकारी समितियां बना कर उन्हें किराया खरीद के आधार पर बसें दी जानी चाहिये । ऐसा करने से बसों के किराये कम हो सकते हैं और जन-साधारण को राहत मिल सकती है ।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Road transport is a very important industry. But we have seen that many a small companies have developed in this industry. These companies have become so big that their branches have sprung up in all the big towns of this country. This has an adverse effect on our Railways. These companies do not maintain their accounts properly and it is difficult to assess income-tax on them. Thus it has adversely effected the whole economy. As far as the question of trucks and the number of owners thereof is concerned we find that 37 persons are the owners of 21,000 trucks and they are making a lot of profit. As a matter of fact road transport industry is controlled by these persons. These persons are exempted from many taxes. The persons who are having only one truck pay taxes regularly. Hence my submission is that taxes should be imposed uniformly and 37 persons who have more than 100 trucks should be asked to pay more taxes than those who have only one truck. Only then more persons can be employed in this industry and can earn profit.

There are many recommendations in the report of this Committee. The Committee has made very good recommendations in the interests of common people and I submit that these should be implemented without fail. I have seen that the poor people pay the taxes while the rich evade it because they feel that no action will be taken against them.

I feel that there should be a separate budget for road transport industry because this industry has a great importance in our country. Today road development is going on in our country and with this there will be a development of road transport also. Thus it should be given a special status.

Our Central Government has created a Central Government Road Transport Undertaking. I feel that instead of it a full-fledged corporation should be created to look after the whole thing.

Shri Shashi Bhushan (Khargone): First of all I would like to draw the attention of the Hon. Minister, who is a protagonist of socialistic ideas, towards the condition of the drivers. The poor drivers have to do very much over-loading and as a result thereof the incidence of accident is very large in which the poor drivers are involved. The bus owners earn at their cost and their profits multiply. I fail to understand how this industry is prospering inspite of so many accidents.

While improving the roads for this industry arrangements should be made for the drivers to take rest. Apart from it arrangement should be made to set up a petrol pump at least at a distance of hundred miles. To achieve this object road transport industry should be nationalised. Some time back a meeting of road transporters was held in which the

Hon. Minister was also present. The big leaders had opposed the idea of nationalisation. We hoped that the socialist Minister as he was, would oppose it but it was not done.

As far as the question of taxes is concerned tax should be taken only at one place. Once a licence is given to a truck it should be allowed to move anywhere in India. The licensed trucks should be allowed to move anywhere from Kashmir to Kanya Kumari. The policy in this respect should be relaxed. The policy to restrict the movement of trucks leads to bribery which should be put an end to.

The trucks should be nationalised in the public sector instead of in the private sector.

Shri Deven Sen (Asansol) : Mr. Chairman, Sir, though the Commission has presented its report with unanimous approval. Yet I would like to ask from the Hon. Minister in whose interest these recommendations have been made ? Attempt has been made to show in this report that these recommendations have been made in the interest of the operators.

It has also been said that motor transport industry is not improving on account of the burden of taxes imposed by Central as well as State Governments but figures given in the report do not prove so.

I would also like to draw your attention to page 87 of the report, where the account of 182 operators has been given and where it has been tried to prove that none of them is earning any profit. Firstly, we cannot conclude anything from the account of 182 operators where there are one lakh and fifty-three Operators. Moreover the figures given prove that only 51 operators out of 182 have actually suffered a loss while others have made a profit ranging from 12 to 18 per cent and even more than that. So, I would like to submit that no other industry makes so much as it has made. Hence it is difficult for us to believe that no operator has made any profit.

I do not understand from this report whose interests have been protected and whose interests have been lost sight of. But nothing has been said in this report for transport employees or the consumers on whom the burden of taxes falls. Therefore I do not trust this report.

The most important recommendation of this report is that one inter-state transport Commission should be set up and that should be authorised to impose taxes. But I think that the implementation of this recommendation will violate the Constitution, as motor transport is a State subject. Moreover these recommendations cannot be implemented without the concurrence of the State Governments.

It has also been recommended in this report that the various check posts of the State Governments should be brought under Inter-State Transport Commission. It is true that a lot of corruption takes place on account of these check posts but how can the States work without check posts ?

Taking all these things into account it appears that the Committee has not made worthwhile recommendations while considering these aspects.

It has also been laid in this report that in case roads are improved then fifty per cent

expenditure will be reduced. But no recommendation has been made in regard to the improvement of roads.

Thus we see that on this account only the rich will be benefited and not the poor. Hence we are unable to accept this report.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : इस रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि सड़क परिवहन में सिवाये दुर्व्यवस्था के कुछ भी नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सड़क परिवहन की गाड़ियों पर कर, सारे देश में करों में हुई सामान्य वृद्धि की तुलना में, बढ़े हैं। परन्तु बात यह है कि इन करों को कम आय वाले लोग ही देते हैं। यह बताया गया है कि 89 प्रतिशत मालिकों के पास केवल एक-एक गाड़ी है। वे सामान्य हैं। अत: जब उन्हें इतना अधिक कर देना पड़ेगा तो सड़क परिवहन में विकास नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे सड़क यातायात में सुधार नहीं हुआ है।

जहां तक देहाती क्षेत्रों का सम्बन्ध है सड़क परिवहन का महत्व रेलवे परिवहन से भी अधिक है। रेलगाड़ी तो हर गांव में नहीं जाती है परन्तु सड़क परिवहन का सम्पर्क हर एक गांव से होना चाहिए। यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो सड़क परिवहन का विकास करना आवश्यक है। हर एक गांव में सम्पर्क सड़क होनी चाहिए।

रिपोर्ट में दिखाया गया है कि सड़क परिवहन कर विकास करने में बड़ी कठिनाइयां रास्ते में आती हैं। आप पड़ताल चौकियों को ही ले लीजिए। ये पड़ताल चौकियां भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। चुंगियों के माध्यम से कर वसूल करने की प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में बहुत से अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। निस्सन्देह वे बहुत अच्छे सुझाव हैं। आखिरी सुझाव यह दिया गया है कि एक अन्तर्राज्य परिवहन आयोग बनाया जाना चाहिए ताकि कर सम्बन्धी विधियों में समानता लाई जा सके। करों के सम्बन्ध में समूचे देश को एक एकक समझना चाहिए। केवल तभी सड़क परिवहन का विकास हो सकता है अन्यथा नहीं। हमारे संविधान के अन्तर्गत सड़कें राज्य विषय के अन्तर्गत आती हैं। रेलों पर एक केन्द्रीय प्राधिकार का नियन्त्रण होता है। अत: यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसे ऐसा आयोग दूर कर सकेगा। इसके लिये कुछ और उपाय सोचा जाना चाहिए।

अत: मेरा यह सुझाव है कि सरकार को अमरीका और रूस जैसे बड़े-बड़े देशों में हुए सड़क परिवहन के विकास के बारे में अध्ययन करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

अमरीका और रूस में सड़क परिवहन का बहुत विकास हुआ है।

चाहे इस प्रतिवेदन में बहुत अच्छी सिफारिशें की गयीं परन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मामले में हमारी सरकार अंग्रेजों की नीति अपना रही है। जब कभी शोर मचाया जाता है तो समिति या आयोग तो बना दिया जाता है परन्तु बाद में उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इसलिए मैं परिवहन मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले में गम्भीर हैं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा। यदि नहीं किया जायेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार समय क्यों नष्ट किया जा रहा है।

यही कारण है कि यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने का अवसर हमें प्रदान किया है। परन्तु हमें केवल विचार-विमर्श ही नहीं करना है। हमारी सरकार केवल विचार-विमर्श ही करती है परन्तु न तो कोई निर्णय ही लेती है और न ही उन्हें लागू करती है। अतः मैं परिवहन मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि वह इस अन्तर्राज्य परिवहन अधिकरण को कब स्थापित करने जा रहे हैं तथा क्या वह दूसरे देशों की परिवहन प्रणाली का गम्भीरता से अध्ययन करेंगे ताकि हमारी अपनी सड़कों का भी तेजी से विकास हो सके। सरकार हमें कोई संतोषजनक उत्तर दे।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I will say here what others have not said. Firstly, there has been absolutely no consideration for the Tonga Drivers, Rehariwalas, Farmers etc. plying on our national highways. I want that every car or truck driver, whether he is a Minister or anybody else, should salute every farmer; as we all salute our National Flag; whenever he comes across a farmer plying on the road because a farmer is really the master of our roads.

Secondly, proper by-passes should be provided on all the highways so as to enable the farmers, labourers and other poor villagers to walk safely along the roads. You are very well aware, Sir, how rashly and negligently do the truck and car drivers ply on these highways.

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध के बारे में चर्चा
DISCUSSION Re: CENTRE-STATE RELATIONS

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Since 1967, the relations between the Centre and the States are deteriorating day by day. The reason, firstly, is that prior to 1967 while there were Congress Government in almost all the States, and there was little difference of opinion amongst Centre and States; the position is quite reverse now. Secondly, none could dare to raise his head before the towering personality of Pandit Jawahar Lal Nehru, who is now no more. And this problem is now on the increase.

For the last two years, the Centre has been making conspiracy to dislodge the non-Congress Governments in the States. I agree that the constitution of our country is a federal one and it is of a unique type in the whole world. The Centre is well empowered to issue directives to the States, change their boundaries and also to abolish them, but since our Government is a federal Government and also that certain rights have been given to the States also, the Centre should give a free hand to the State Governments and should make efforts for maintaining a proper balance between the Centre and the States. There should have been a balanced code to establish better relations between them. But the Central Government totally failed to establish it. First of all they suspended Rajasthan Assembly and it was revived only when they were successful in regaining Congress majority there. Similarly, they set up minority Governments in Bihar, Punjab and West Bengal also. Thus they cast a very bad picture of our democracy before the World. They routed non-Congress Governments and used the respective Governors as their instrument for this purpose. It was thus a great set back to our democracy. They have appointed such persons as Governors as are known to be second-rate people unable to act according to constitution and who have been always the instruments of the Centre. These people have played very deplorable role. So, if we wish that a true democracy should prevail in our country, we should treat the opposition also equally responsible, and a proper balance should be kept between the ruling party and the opposition. Today, I demand that the Governors should be appointed from amongst independent people who have a respect for the Constitution, and not the defeated Ministers or so.

Secondly, there should be a provision to impeach the Governor also as we can impeach the President. Such a provision should be included in our Constitution.

There is an alround frustration in the states owing to paucity of fund. There should be no discrimination in allocation of funds and it should not be left on the whims of only one man. Now-a-days, a State has become like a municipality. I want that more powers and funds should be given to them. More allocations should be made and priorities should be fixed for them. There should be a permanent Finance Commission to decide about all these things. The National Development Council is of no use in this regard.

Kerala is the crux of the problems. We agree that the Centre had the right to send Central Reserve Police there ; Kerala Chief Minister Shri Namboodripad has also admitted it ; but why was he not consulted in this regard ? You want to make the people obey the Constitution by force. In this case, impropriety of Constitution is there and this Government has done so.

Similarly, in Bihar also, you appointed the Governor against the wishes of the Chief Minister there.

In the beginning, the C. R. P. was not constituted as a police force, as you are using it now just like a preliminary force. At the time of introducing this Bill in 1949, when Sardar Patel was the Home Minister, the C. R. P. was constituted on the line of Crown Representative Police to give help to States and the States of Rajas and Maharajas.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

I would like to quote Sardar Patel saying :

"We have told the Provinces that they should as far as possible be self-sufficient in their requirements for internal security. The Police forces for the Unions and States are in the process of formation. We shall still require considerable time before they function anything like the manner in which Provincial police forces have been functioning. We must, therefore, have a force for the interim period (mark the words **interim period**) and having regard to the State in which the police forces of the Unions and States are at present, I am afraid that the interim period is going to be a pretty long one. Thirdly, a process of reorganisation of State forces is also on and during this process of reorganisation, it will be most useful to have a force which would take the first shock of any threat to security."

It clearly shows that this force was meant for extending emergent help to the States as they did in the case of Orissa. But they have now made it a preliminary force..... (**interruptions**)

Now, efforts are being made to empower the C. R. P. to prosecute and investigate. This would further deteriorate the relations between the Centre and States.

You could not handle the situation in Kerala properly. When you found that they had violated the spirit of the Constitution, why did not you issue a proper directive ? I object to the way in which you had communication with Kerala State. However, it is always demanded by the whole country that if a State Government ignores Central Government, the former should certainly be brought to book.

Some people demand that the C. P. I. (M) should be banned. But I think there is no difference between the CPI (M), CPI (Right) or Naxalites. All these three parties are like poisonous snakes and do not have faith in parliamentary system. There loyalty is also doubtful. Why did not you, then issue a directive to them ? If you think that the communists had done some mischief there you should have issued a white paper and also published the communication which you had with them. Let people know that you are right.

Then, what has been the attitude of the Centre towards the non-Congress States. Although the Hon. Prime Minister at the time of her becoming the P.M., had wished good relations between the Centre and non-Congress States, but it is regretted that nothing was done to achieve it. The Congress Government at the Centre have always indulged in employing double standard. They wanted to control even the transferred subjects like composition of Wakf Boards, Board of Higher Secondary Education and also Local-Self Government. Do you want to keep your relations with the States in this way and will you adopt such tactics ? I want that an assessment should be made to find out the mistakes committed by the Centre and the States both during the last two years. A Parliamentary Committee or an independent committee or a commission should be set up to find it out. Article 263 provides for the constitution of an Inter-State Council, but it is yet to be formed. It has now become essential also since there is no likelihood of one party Governments in all the States. Besides, certain conventions and codes should be developed both by the Centre and the opposition so as to run the administration harmoniously. We believe in unitary type of Government and do not want that the States should be given more powers, but certainly they should be allowed to utilise their rights conferred on them under Constitution. The Centre should not act as a dictator with a danda' in hand.

You have failed miserably in setting up the States on the basis of language. Your experiment in re-organising Assam will be a disastrous one for the country.

I, therefore, demand that our Government structure should not be a federal one and it should be a unitary system of Government. A strong Central Government should be set up and I pray for a strong leadership for the country which may rule the country in a well balanced manner. It may not think on party-lines only and establish such conventions as may strengthen our democracy so as to raise the name of the country high in the world.

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आधा घण्टा ले लिया है । अभी विपक्ष के सात दलों को भी बोलना है क्या कांग्रेस के भी आधे से अधिक व्यक्तियों को बोलना है । अत: मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि प्रत्येक लगभग 10 मिनट ही बोले अन्यथा दो घण्टे की इस चर्चा में सबको समय न मिल सकेगा । इसका समय भी अधिक से अधिक आधा घण्टा अथवा 45 मिनट ही बढ़ाया जा सकता है ।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 15 मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि 15 सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : महोदय, मुझे अपने मित्र श्री कंवर लाल गुप्त का भाषण सुनकर हंसी आती है । वह तो अपने दल के सिद्धान्तों को ही समझाने लगे । वह कहते थे कि वह एकीय प्रकार की सरकार चाहते हैं तथा एक ढीले प्रकार का संघ चाहते हैं । उनका बहुमत में भी विश्वास समाप्त होता जा रहा है ।

वह केरल सरकार की नीति के भी पक्ष में बोल रहे थे । वह कहते थे कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय रिजर्व दल भेजने का अधिकार है तथा बाद में कहा कि यह दल भेजने से पूर्व केरल सरकार से परामर्श क्यों नहीं किया । साम्यवादी तो लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहते हैं । साम्यवादी नहीं चाहते कि केन्द्रीय सरकार मजबूत हो । वह तो ढीले प्रकार के संघ में विश्वास रखते हैं जैसा कि श्री कवंरलाल गुप्त चाहते हैं ।

अब मैं पहले प्रश्न की ओर आता हूं कि केरल सरकार की, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के समय की कार्यवाही उचित थी अथवा नहीं । मेरा कहना यह है कि यह न्यायसंगत नहीं थी । जब तक संविधान है, हमें उसके अनुसार चलना है । हमारे संविधान में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के सम्बन्ध कैसे होने चाहिये । उनके प्रशासनिक सम्बन्धों का भी उल्लेख किया है कि वे किस प्रकार के होने चाहिये तथा वित्तीय मामलों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्यपालों की संस्था का भी उल्लेख है । एक उपबन्ध इस बात पर भी है कि अन्तर्राजीय सम्बन्ध कैसे हों ।

संविधान के अतिरिक्त संविधान से बाहर के सम्बन्ध भी हैं जो कि राष्ट्रीय विकास

परिषद द्वारा बनाए हुए हैं। संसार की संघीय सरकारों के इतिहास में संतुलन केन्द्र की ओर रहा है। इसी कारण मैंने गृह कार्य मंत्री को परामर्श दिया था कि वह केरल सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे कि उसने केन्द्रीय सरकार का परामर्श नहीं माना जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। सारे संसार को पता चलना चाहिए कि साम्यवादी लोकतन्त्र तथा संविधान का लाभ उठाते हैं वास्तव में केरल सरकार की कार्यवाही ने सिद्ध कर दिया है कि इनका लोकतन्त्र तथा संविधान में विश्वास नहीं है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : महोदय गत सामान्य चुनाव के कारण कांग्रेस का राज्य करने का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई।

इस देश में विभिन्न भाषा बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों के मानने वाले व्यक्ति हैं। इस कारण एक संघीय सरकार ही यहां ठीक कार्य कर सकती है। राज्य सरकारें भी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करें।

वैसे भारत का संविधान बिल्कुल संघीय नहीं है। यहां सांतवी अनुसूची के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हैं। राष्ट्रीय आयात स्थिति के समय अथवा जब संवैधानिक तन्त्र समाप्त हो जाए अथवा वित्तीय प्रबन्ध ठीक न चले तो संसद् राज्य को वैधानिक शक्ति अपने हाथ में ले सकती हैं।

संविधान में यह नहीं लिखा कि राज्यों में केन्द्र के कानून के लागू करने के लिए अलग एजेन्सी होगी। उनको राज्य सरकार के प्रशासन पर निर्भर रहना होगा कि केन्द्रीय कानूनों का पालन हो सके।

केरल सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश को लागू न करके देश की सार्वभौमिकता तथा कानून द्वारा राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया है। यह स्वीकार करते हुए भी कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के मौलिक अधिकार हैं, 19 सितम्बर, की हड़ताल राजनीतिक हड़ताल थी परन्तु इसे औद्योगिक विवाद का नाम दे दिया।

13 सितम्बर को अध्यादेश जारी किया गया तथा कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल गैर-कानूनी है। इसके अनुसार सारी राज्य सरकारों को हिदायतें दी गईं कि जो लोगों को भड़काते हैं तथा कानून का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। केरल के मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी कि वह केन्द्रीय सरकार की हिदायतों का पालन नहीं करेंगे। केरल सरकार के चार मंत्रियों ने हड़ताल की सफलता का आशीर्वाद दिया तथा जन सभाओं में उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की।

ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र के पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। केन्द्र अपने संस्थापनों की सुरक्षा तथा अपने वफादार कर्मचारियों के प्रति

अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता था । इस कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का भेजा जाना न्यायसंगत था ।

बाद की घटनाओं से पता चलता है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है । राज्य पुलिस के कुछ कर्मचारियों को कत्ल कर दिया गया है तथा वहां अराजकता फैलाई जा रही है ताकि कोई विदेशी शक्ति हस्ताक्षेप कर सके । हमने देखा है कि रूसियों ने चैकोसलोवाकिया में अपनी सेना को भेजा है । केरल सरकार यदि राज्य के विलय की संधि की समाप्ति की भी घोषणा कर दे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा । इस कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का भेजना उचित था ।

अब मैं कुछ शब्द केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कहना चाहता हूं । हम राज्यों को अधिकतम स्वायतता देने के हक में हैं । साथ ही हम केन्द्र के प्राधिकारों का भी सम्मान करते हैं । यदि दोनों के बीच कोई विवाद हो जाये तो आपसी समझौते से दूर हो जाना चाहिये तथा आपस में दोनों के अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये। जैसा कि मेरे मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा राज्यपालों को गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के समाप्त करने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है । हमें राज्यपालों के व्यवहार के लिये एक स्तर निर्धारित करना चाहिये । स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा था कि राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं परन्तु राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों में वे भारत सरकार के एजेन्ट नहीं हैं । हमने देखा कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा हरियाणा में राज्यपालों ने गैर-कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध कार्य किया परन्तु पंजाब में एक दल बदलू को ही कांग्रेस के समर्थन से मुख्य मंत्री बनाया गया इससे तो राज्यपालों की संस्था ही बदनाम हो गई है । इसलिये राज्यपालों के व्यवहार के बारे में कोई मार्ग दर्शक संकेत स्थापित करने चाहिये ।

वित्तीय मामलों में राज्यों को केन्द्र पर आधारित रहना पड़ता है । उनके कार्य तो बहुत होते हैं परन्तु साधन बहुत कम ।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि वर्तमान वित्त आयोग ने जो अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है वह असंतोषजनक है । उड़ीसा को केवल वर्तमान स्तर पर 29.8 करोड़ रु० की राशि मंजूर की है और इससे राज्य सरकार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण 13 करोड़ रु० और अधिक व्यय करने होंगे । राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है । इसके लिये केन्द्रीय सरकार की गत 20 वर्षों की गलत आर्थिक नीतियां हैं । उन नीतियों के लिये राज्य सरकारों को क्यों दण्ड मिले । क्यों न केन्द्र इस बोझ का भाग अपने ऊपर ले । क्योंकि सहायता देना इनके अपने विवेकाधिकार में है, इसलिये राज्यों की स्वायत्तता समाप्त होती जा रही है । यह इस प्रकार राज्यों की सरकार को संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत समाप्त कर सकते हैं । उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय में तथा राष्ट्रीय आय में 1950 में 100 रु० का अन्तर था परन्तु 15 वर्षों की योजनाओं के बावजूद यह अन्तर अब 200 रु० हो गया है ।

योजनाओं के निर्धारण तथा प्राथमिकताओं के मामले में भेदभाव बरता जाता है ।

इसलिये मेरा कहना यह है कि अन्तर-राज्य परिषद जिसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है वह गठित की जाये तथा वह इन सब मामलों की जांच करे। दूसरे राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति से सरकार बनाने को कहने की बजाय उस व्यक्ति को सरकार बनाने को कहे जिसे विधान सभा अपना नेता चुन ले। अन्त में वित्त आयोग को स्थाई आयोग बना दिया जाये ताकि वह प्रति वर्ष केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय मामलों की जांच-पड़ताल कर सके तथा राज्यों को बिना भेदभाव के उनकी आवश्यकता के अनुसार राजस्व दे सके।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : To-day we are discussing a very vital subject i.e. Centre-State relations. After the Fourth General Elections the question of Centre-State relations has assumed special importance. Before further discussion on this vital issue., I would like to draw the attention of the Hon. Members to the instances of history which teaches us the lesson that our disunity had resulted in our defeat. The reason of India's defeat at the hands of Mohammed Gauri was the enmity between Prithvi Raj and Jaichand. Again at the time of Moughal invasion Rana Sangha wanted to defend the country but he failed to get the support of other rulers and their differences resulted in India's defeat. Again the main reason of the easy conquer of the Britishers was the disunity of India after the fall of Moughal Empire. So we must learn a lesson from these examples of history that national unity and a feeling of national integration is of prime importance.

I would like to take this opportunity to congratulate our able and deligent Home Minister who had given a strong leadership to the nation in the critical period after fourth general elections. He had firmly dealt the situation created by Naxalites, the Communists in Kerala and Mao supporters in Bengal and had proved if our Centre was not strong, our independence would be in danger. Keeping all this in view I want to point out that Shri Kanwar Lal Gupta had advocated for a loose federation in order to get chief popularity, despite the fact the top Jan Sangh leaders like Atal Bihari Vajpayee have always expressed their opinion that Centre should be strong, national unity should be upheld and should be maintained. But the out look of Jan Sangh has now changed. After the fourth general elections made alliances with such political parties like communists, with whom they have of ideological affinity. They formed coalition Government in many states, which were hatrogenous in nature. So they died their natural death as their view points to various problems were different. They have no common policy and there was internal misunderstanding and ill will between the different constituents of coalition Government. In order to hide their differences they have blamed Central Government for their fall, which was not a fact. I want to say the Centre had not interfered in the working of Orissa Government. They have not tried to dethrone the D. M. K. Government of Madras or the Communist Government in Kerala. The coalition Governments have failed in Haryana, Punjab and Bihar due to their internal differences. I fail to understand as to what type of assistance is required by Madhya Pradesh Government, where the present coalition Government is likely to fall. I want to tell my friends that congress had come to power because the party had proved that their aim is selfless service of the people. The party had undergone many sacrifices and the party had come to power because the people wanted it. So I would advise my friends if they want to come to power they should not enter into cheap alliance and form coalition Governments but they should prove to the people that their aim in selfless service. They should not sacrifice their principles for the sake of power.

The Hon. Member has made a reference to Rajasthan. I want to tell him that the results of Dausa and Jhallor bye-elections in which Congress had won these two seats with big margin indicate that Swatantra and Jan Sangh parties are no longer popular there. If it had been so, the results of these bye-elections would not have resulted in their defeat. So, it is wrong to say that democracy has been murdered in Rajasthan.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

So far as Kerala is concerned, an unique problem was created by the Kerala Government in regard to Central Government Employees strike. I must congratulate the Home Minister for the bold step he had taken in this matter. I would request my Hon. friends, specially Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Kanwar Lal Gupta that if you are interested in national unity, then you must keep aside provincialism. Whatever has been done by Central Government in Kerala, it has been done keeping in view the national interest and national unity. So we must congratulate the Central Government for their action. The basic question before us today is whether we want to defend our national unity and integrity or not ? If you say that you have no interest in democracy, then I have nothing to say otherwise my submission is that Centre should be powerful. More and more powers should be given to Centre. It is only by giving more powers to the Centre that we can defend our democracy.

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है, जो शीघ्र ही एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लेगा। कुछ वर्ष पहले इस प्रश्न पर केवल शैक्षिक तथा संवैधानिक दृष्टि से ही चर्चा की जाती थी, क्योंकि सब स्तरों पर एक ही राजनैतिक दल को बहुमत प्राप्त था, परन्तु आज यह समस्या एक राजनीतिक समस्या बन गई है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का मुकाबला करने के लिये अध्यादेश जारी किया गया तथा जिन परिस्थितियों में उस अध्यादेश को जारी किया गया, वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र और केरल के बीच इस सम्बन्ध में आज जो विवाद है, वह तीन बातों पर निर्भर है और वे बातें हैं :—क्या केन्द्र को अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यों की सलाह लेनी चाहिये ; दूसरे क्या केन्द्र को निदेश जारी करने में कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने और कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़ने की छूट है और क्या राज्यों को भी वही छूट प्राप्त है और तीसरे क्या केन्द्र किसी राज्य की जानकारी के बिना उसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेज सकता है ?

केरल का मुख्य मंत्री होने के नाते श्री नम्बूदरीपाद ने कहा था कि अध्यादेश की कानूनी और संवैधानिक मान्यता के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार के निदेश की कठोरता की जानकारी है। सरकार बिना किसी सन्देह के उसका अविलम्ब पालन चाहती है। अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण, अल्प संख्यकों की शिक्षा तथा

राज भाषा इत्यादि के बारे में ऐसे निदेश देने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार है। यदि कोई राज्य उनका उल्लंघन करता है, तो संवैधानिक सजा का खतरा उठा कर ही वह ऐसा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के निदेश को न मानना उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के समान हैं और वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। यह एक हमारे संविधान की विशेष बात है, जो कि संसार के किसी भी संघीय संविधान में नहीं पाई जाती। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यदि निदेश एक ऐसे विधि विरुद्ध कानून के रूप में हो, जिससे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो, तो क्या राज्य सरकारों के लिये उसका पालन करना अनिवार्य है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित प्रमुख न्यायवादियों की एक विचार गोष्ठी में यह प्रश्न पूछा गया था तथा श्री शीतलवाद ने यह मत व्यक्त किया था कि ऐसे मामले में भी राज्य के पास उसे मानने के सिवाय और कोई *विकल्प* नहीं है। इस सम्बन्ध में संविधान-ज्ञाताओं के दो मत हो सकते हैं तथा संविधान के पंडित ही इस प्रश्न पर सविस्तार से विचार करेंगे। उपरोक्त स्थिति संविधान की पदावलियों के अनुसार तो सही है, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह संविधान की भावना के भी अनुकूल है।

संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है, जब संसद का अधिवेशन न हो। परन्तु प्रश्न यह है कि अध्यादेश किस प्रकार जारी किया जाता है। यह एक स्वस्थ परम्परा है कि मंत्रि-परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है। कुछ समय के लिये मान लो यदि राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद की सलाह के बिना अमरीका के राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करता है, तो क्या उसे रोका जा सकता है ? उस समय क्या स्थिति होगी ? हम नहीं चाहते कि कभी ऐसी स्थिति आये, परन्तु संविधान के अनुसार उसे अध्यादेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि संविधान में इस सम्बन्ध में कुछ भी उल्लिखित नहीं है, तथापि यह एक स्वस्थ परम्परा है कि राष्ट्रपति द्वारा सब काम केवल मंत्रि-परिषद की सलाह पर ही किया जाता है। इस आधार पर हम मांग करते हैं कि स्वस्थ परम्परा यह है कि केन्द्रीय सरकार को अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यों की सलाह लेनी चाहिये।

आज यह प्रश्न केन्द्र में बहुमत प्राप्त कांग्रेस सरकार और राज्य में गैर-कांग्रेस सरकार का प्रश्न है, परन्तु कल स्थिति बदल भी सकती है। केन्द्र में गैर-कांग्रेसी सरकार हो सकती है और राज्य में कांग्रेसी सरकार। उस संदर्भ में मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या उस स्थिति में वे यह नहीं चाहेंगे कि अध्यादेश जारी करने से पहले उनकी सलाह ली जाये ? क्या वे यह नहीं चाहेंगे कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजने से पूर्व उन्हें सूचित किया जाये ?

चौथे आम चुनाव के बाद एक भारी परिवर्तन आया है और हमारे देश का राजनीतिक ढांचा बिल्कुल बदल गया है। वास्तव में इस चुनाव के बाद ही संघवाद के सम्बन्ध में हमारा प्रयोग आरम्भ हुआ है। इसलिये हमें स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रथाओं और परम्पराओं का निर्माण करना है। परन्तु जो कुछ हो रहा है, वह कुछ और ही है। विधि तथा व्यवस्था को राज्यों का विशेषाधिकार प्राप्त विषय माना गया है। परन्तु स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है कि

जब एक राज्य की जानकारी के बिना उसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई है। यह स्थिति किस बात की द्योतक है ? यह एक साम्राज्यवादी रवैया है, जो नई दिल्ली के वातावरण से प्रभावित हो रहा है। यह हमारे संविधान की त्रुटि है। यदि किसी राज्य में विधि तथा व्यवस्था भंग होती है, तो वहां केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है तथा वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है, परन्तु यदि किसी संघीय राजक्षेत्र में अथवा किसी ऐसे राज्य में जहां पहले ही राष्ट्रपति का शासन लागू है, विधि तथा व्यवस्था भंग होती है, तो वहां कौन हस्तक्षेप करेगा ? क्या सेना वहां हस्तक्षेप करेगी ?

केन्द्र और राज्यों में खराब सम्बन्ध होने का कारण, हमारे संविधान की त्रुटियां हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि केन्द्र राज्यों को अपना साझेदार नहीं, अपितु अधीनस्थ समझता है। सरकार संविधान के शब्दों का पालन करती है, न कि उसकी भावना का। इसलिए यह जरूरी है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाये जो संविधान तथा केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की जांच करे और स्थिति पर विचार करते हुए शक्तियों को फिर से बांटने का सुझाव दे।

हम एक अत्यन्त छोटे केन्द्र का समर्थन करते हैं। किन्तु इसके साथ हम भारत की अखण्डता और एकता बनाये रखने में अद्वितीय हैं। इसी कारण हम चाहते हैं कि ऐसी शक्तियां जो भारत की अखण्डता और एकता कायम रखने के लिए आवश्यक हैं, केन्द्र में निहित होनी चाहियें और दूसरी शक्तियां राज्यों में फिर से बांटी जानी चाहिए। भविष्य में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तन होगा तथा हमारे संघवाद का वास्तविक परीक्षण होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्रगडकर के इस कथन की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि देश में प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध स्वस्थ होने चाहिए तथा उनकी शक्तियों का बंटवारा पक्षपात रहित आधार पर होना चाहिए।

अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि देश के हित में तथा देश की एकता के हित में यही है कि केरल के साथ शीत युद्ध समाप्त किया जाये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The matter under discussion in this House is very important one, but it is sad that it is being taken lightly. I want to ask a question from my Hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta as to where their patriotism has gone. It is a good fortune of the country that the country was united after 2500 years. Our country was united under Asoka rule and it was after 2500 years that the country was united by Sardar Patel and other Congress leaders. It was Sardar Patel, who integrated 750 States into Indian Union. But now they want to create 1500 States and thus destroy the unity of the country. The disciples of Mao-Tse-Tung have no faith in democracy. Today the question before us does not relate to Kerala only, but it is a very broad question. The question is whether we want to preserve our unity or not, whether we want to preserve our flag or not and whether we want to preserve our democracy or not. So this question does not belong to any political party. It is not a question of Congress party or any

other party. We have to preserve the unity of the nation at all costs. It is the demand of 50 crore people of our country. So it is essential that the Centre should be strong, because only a strong Centre can preserve the unity of the country.

I know that disruptive forces are active and they are out to destroy our unity and democracy. We have to crush them with iron hands. This statement of Shri Nambiar that parliamentary democracy here is a farce, is not a trifle. It is a serious matter and we have to tackle such tendencies. We have to see that the writ of the Centre runs through out the country. No State should be allowed to disobey the Centre. So it is very essential that Centre should be strong. It is very sad that Shri Kanwar Lal Gupta opposed it.

Shri Kanwar Lal Gupta : I have never said that Centre should not be strong. The Hon. Member should not misrepresent me. I always plead for a strong Centre.

Shri Randhir Singh : The Hon. Member should not disturb me. He should listen to my view point also. I used to treat Shri Kanwar Lal Gupta as my brother from Haryana. But it is surprising that an Haryanvi should talk that the Centre should be weak. He should have pleaded for a strong Centre. He should have said that whatever has been done by the Hon. Home Minister it has been done for the unity of the country.

Shri Kanwar Lal Gupta : I suppose the Hon. Member has not heard me.

Shri Randhir Singh : I want to warn my Hon. friends who want to weaken the Centre that we are not going to tolerate it. The unity of the nation will be preserved at all costs. Any one who dares to challenge the Constitution, who dares to challenge the democracy and who dares to challenge the unity of the nation will be taught a lesson.

These people are, of course, communalists and capitalists and those who love the country and look at her interests will never corroborate with them.

It is desirable that the Home Minister should get himself armed with more powers in order to strengthen the C. R. P. and deal through it with those who want to damage the integrity and sovereignty of this country otherwise the nation's security would be in danger and the disintegrating forces would emerge and raise their ugly heads. In order to maintain integrity of the country, it is absolutely necessary to strengthen the hands of the Central Government and fight and deal firmly with such disruptive forces in the country.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : हमारा यह कड़ा अनुभव है कि केन्द्रीय नेता तथा केन्द्रीय सरकार वर्ष 1957 से 1967 तक की अवधि में केरल राज्य में विधिवत् गठित सरकार की समाप्ति का हर सम्भव प्रयत्न करती रही है। 1967 के बाद अब भी उनका वहां की लोकप्रिय सरकार को नष्ट करने का प्रयत्न जारी है। मैं यह आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं।

इस निन्दनीय कार्य को केन्द्रीय सरकार ने केरल से कांग्रेस के एकमात्र निर्वाचित सदस्य श्री गोविन्द मेनन को जो मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधि मंत्री हैं, सौंप रखा है। उनके हाल के भाषण तथा गतिविधियां बहुत आपत्तिजनक रही हैं और केरल सरकार ने उन पर जोरदार आपत्ति उठाई है। श्री गोविन्द मेनन वहां की जनता को केरल की साम्यवादी सरकार के विरुद्ध

संयुक्त सुरक्षा संघर्ष आयोजित करने की शिक्षा दे रहे हैं और उसके लिये लाठियों का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। इस पर भी वह दावा करते हैं कि वह संविधान की भावना का आदर कर रहे हैं, यह आडम्बर नहीं तो क्या है ?

जहां तक केरल में वहां की सरकार से परामर्श किये बिना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजने का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्री ने वहां के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें केरल सरकार से परामर्श करने का समय नहीं मिल सका और इसके साथ-साथ उसमें यह भी कहा गया है, जैसाकि वह हमेशा अपना अधिकार जताते हैं, कि राज्य सरकार से इस मामले में परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वर्ष 1967 के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का रुख यही रहा है कि किसी न किसी प्रकार केरल राज्य तथा अन्य राज्यों में सरकारों को लुढ़काया जाये। वह सभी गैर-कांग्रेसी राज्य-सरकारों को समाप्त करने की फिराक में हैं। अब केरल को किसी प्रकार खत्म करने का लक्ष्य उसके सामने है। इसलिये प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों के साथ चलने को तैयार है जिन्होंने पूर्णतः भिन्न राजनैतिक, सैद्धान्तिक तथा आर्थिक नीतियां अपनायी हैं। सचाई यह है कि कांग्रेस पिछले बीस वर्षों में देश में बहुत से निहित स्वार्थों, एकाधिकारियों, भू-स्वामियों, काले बाजार वालों तथा निकृष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करती रही है और हम इनसे भिन्न वर्गों तथा तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह गड़बड़ी पैदा होती है। इस समय केरल विधान मंडल के सामने दो विधेयक हैं जो भूमि सुधार तथा शिक्षा के सम्बन्ध में हैं इसलिए वहां भूमि तथा शिक्षा के क्षेत्र में सभी निहित स्वार्थों ने राज्य सरकार के विरुद्ध हाल में अपना आन्दोलन तेज कर दिया है और ये लोग राज्य सरकार के विरुद्ध पुरजोर विष उगल रहे हैं। कांग्रेस और जनसंघ वहां कुछ ऐसे विवादों का सहारा ले रहे हैं जिनसे केरल में साम्प्रदायिक तनाव भड़के। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता वहां हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काने की जानबूझ कर प्रयत्न कर रहे हैं और वहां कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जाती है। लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए मन्दिर सम्बन्धी विवादों तथा ऐसे ही अन्य साम्प्रदायिक प्रश्नों को उठाया जाता है।

इसके बाद 19 सितम्बर की घटना को ले लीजिए। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता लोग हर रोज विमानों से दिल्ली आ जा रहे थे और जंतर—मंतर में केरल के कांग्रेसी नेताओं के लिए एक शिविर लगाया गया था और वे प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की लातिन अमरीकी देशों से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी केन्द्रीय नेताओं के साथ यही बातें चल रही थीं कि केरल राज्य सरकार ने केन्द्र के आदेशों का उल्लंघन किया है और संविधान का उल्लंघन किया है और केरल सरकार को समाप्त करने का यही स्वर्णावसर है। यहां तक कि समाचार-पत्रों में तक प्रकाशित होने लगा कि केरल सरकार को किसी दिन खत्म किया जा सकता है। केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के नेता जब ऐसी बातें फैला रहे हैं, तो उस स्थिति में कोई राज्य सरकार

जमकर काम कैसे कर सकती है ? दूसरी ओर ये नेता लोग राज्यों की स्वायत्तता, राज्यों के अधिकारों तथा उनकी शक्तियों की बातें करते हैं। ऐसी स्थिति केवल केरल सरकार के साथ ही नहीं अपितु उन सभी राज्य सरकारों के साथ है जहां गैर-कांग्रेसी हकूमत है। इसलिये यह स्थिति हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

इसलिए हम चाहते हैं कि 1967 के आम चुनाव के बाद जो नई घटनाएं हुई हैं उन पर सारे देश को, इस संसद् को गौर करना चाहिए अतएव मैं अन्तर्राज्य-परिषद् गठित करने के सुझाव तथा इस समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त एक आयोग नियुक्त करने के सुझाव का हार्दिक स्वागत तथा समर्थन करता हूं ताकि ऐसा समाधान निकल आये कि लोक-प्रिय सरकारों को इन लोगों की दया पर निर्भर न रहना पड़े और स्थायित्व के साथ अपना काम कर सकें और कर्तव्य निभा सकें।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यद्यपि मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था किन्तु मेरे विरुद्ध श्री वासुदेवन नायर ने अपने भाषण में जो आरोप लगाये हैं इसलिये मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देकर उनका खण्डन करना चाहता हूं और वास्तविकता को सामने रखना चाहता हूं। केरल में सरकार विशेषत: मुख्य मंत्री के विरुद्ध मैंने यह आरोप लगाया है कि अब वहां मार्क्सिस दल के सदस्यों ने लोगों पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो पुलिस खासकर ऐसे मौकों पर गायब रहती है। एक सप्ताह पहले की बात है कि केरल विधान मंडल में दक्षिण वामपंथी दल के सभी सदस्य मुख्य मंत्री की नीति के विरोध में सभा त्याग कर चले गये थे क्योंकि उक्त दल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लाठी चार्ज किया गया था। मुख्य मन्त्री ने पहले जांच कराने का वचन दिया था और अब वह मुकर गये हैं। ऐसा समाचार मिला है कि श्री वासुदेवन नायर के दल के तीन सदस्य भूख-हड़ताल पर हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री महोदय दक्षिण साम्यवादियों की गतिविधियों की ओर न्यायपूर्ण वर्ताव नहीं कर रहे हैं। दो दिन पहले क्रान्तिकारी समाजवादी दल के सात-आठ सदस्य मुख्य मंत्री की नीति के विरोध में सभा त्याग कर बाहर चले गये थे। तीन दिन पहले की बात है कि केरल मंत्रिमंडल के सदस्य बिलिंगटन ने एक आम सभा में घोषणा की थी कि वह स्थिति आ गई है जब लोगों को उस स्थिति में जबकि उन पर हमला हो और पुलिस उनकी मदद के लिए न आये, अपने बचाव के लिये अपने को संगठित करना चाहिए।

मैंने यह आरोप लगाया है और मैं इसे फिर दुहराता हूं कि केरल में किसानों, श्रमिकों तथा अन्य लोगों पर यदि मार्क्सवादियों द्वारा यदि कोई हमला किया जाता है, तो पुलिस शिकायत किये जाने के बावजूद अंगुली तक नहीं उठायेगी। 19 सितम्बर को त्रिचूर में एक मार्क्सवादी के नेतृत्व में लगभग 100 कार्यकर्ता त्रिचूर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में घुस गये थे और उन्होंने कैश बाक्स वाले कमरे में घुसने की कोशिश की थी। प्रबन्धक ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे स्टेट बैंक आफ इण्डिया को बचाने में उसकी मदद के लिए वहां पहुंचें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि विधि मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया

है, तो वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के अन्तर्गत यह कह सकते हैं कि वह निराधार है और गलत है और मामला वहीं तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन वह मुख्य मंत्री के आचरण का मामला तथा कुछ अन्य विवादों को उठा रहे हैं जो पूर्णतः गृह-मंत्रालय से सम्बन्धित है। उन्हें केवल अपने आरोपों का खण्डन करने तक ही सीमित रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक वक्तव्य दिये हैं। यदि एक ओर से उन पर कुछ आरोप लगाये हैं—चाहे वे सच हैं अथवा नहीं, मैं नहीं जानता—तो यह बिलकुल वाजिब है कि वह अपने पास मौजूद सभी प्रमाणों सहित व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न भिन्न है। श्री गोविन्द मेनन मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इसलिए वह इस सभा के केवल एक सदस्य की हैसियत से ही नहीं बोल रहे हैं। जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा अथवा क्या किया, लेकिन यदि वह इससे आगे बढ़ते हैं, और राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगाते हैं, तो वह मामला केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की परिधि में आ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन्हें इन सीमाओं से बाहर न दिया जाये। वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में अपने उन भाषणों का उल्लेख जरूर कर सकते हैं जिनका यहां उद्धरण किया गया है। यदि वह एक राज्य सरकार के विरुद्ध निराधार आरोप लगाते रहें, तो फिर ऐसा समझा जाना चाहिए कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार का वक्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह है कि वह विधि मंत्री की हैसियत से बोले हैं अथवा दल के सदस्य के रूप में, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वह किसी हैसियत से बोले हों। जब आप उन पर यहां श्री गोविन्द मेनन तथा विधि मंत्री दोनों के रूप में प्रहार करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है।

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस वाद-विवाद में केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के हेतु हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैंने जो वक्तव्य दिया वह यह है कि केरल में जब मार्क्सवादियों ने अन्य लोगों पर आक्रमण किया तथा उनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया तो पुलिस लोगों की मदद के लिये नहीं आई। यह मेरा पहला वक्तव्य है और उदाहरणार्थ मैंने 19 सितम्बर की घटना का उल्लेख करना चाहा, जब स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धक ने डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट आफ पुलिस से मदद के लिए आने का अनुरोध किया तो उन्होंने आने से इन्कार कर दिया और उस दिन पुलिस की मदद न मिलने के कारण इस बैंक को 10 बजे से 11 बजे (म० पू०) तक बन्द रखना पड़ा।

ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि कानून के अधीन प्रदत्त अधिकार तथा कर्तव्य का पालन करके लोगों को अपनी रक्षा करनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि केरल सरकार को खत्म

करने के लिये लोग कानून को अपने हाथ में लें। यदि कोई कांग्रेसी, दक्षिण पन्थी साम्यवादी अथवा आर० एस० पी० या कोई भी अन्य व्यक्ति हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं, तो यह जरूरी है कि पुलिस वहां जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही करे और पीड़ितों की रक्षा करे। यदि कोई पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, तो भी पुलिस को वहां जाना जरूरी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप है कि जब वहां कानून और व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, तो उसने निदेश जारी क्यों नहीं किया ?

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, संसद द्वारा बनाये गये कानून जब भंग किये जाते हैं, तो केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत निदेश जारी कर सकती है। ऐसा हर कोई जानता है। कानून मंत्री को भड़काने का कोई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में वे कानून मंत्री नहीं बने रह सकते।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विधि मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : जब कानून मंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों को हथियार उठाने चाहिये तब उन्हें कानून मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या उन्होंने उस वक्तव्य से इन्कार किया है जो मैंने कहा है उन्होंने दिया था ?

श्री गोविन्द मेनन : हां। उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिये और केन्द्र के निदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : हमें ऐसा कानून मंत्री नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सामूहिक रक्षा के सिद्धान्त के बारे में कभी कोई निर्णय नहीं दिया है। माननीय सदस्य उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकते।

Shri Kanwar Lal Gupta : If law and order had broken there, he should have asked the Centre to give protection to the people there. But in the capacity of Law Minister he should not have made such a speech there.

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : हमें बढ़ते जा रहे आर्थिक संकट और उसके कारण उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकट के संदर्भ में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों की समस्या पर विचार करना चाहिए। गत 21 वर्षों में हमारे देश में पूंजीवादी-अर्थ व्यवस्था का विकास किया जाता रहा है और सत्तारूढ़ कांग्रेस दल इस तरह के पूंजीवाद का विकास करता रहा है। एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास ही चन्द एक लोगों के हाथ में धन के संचय के लिये उत्तरदायी है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में धन के संचय की छवि हाल ही में हमारे देश के राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई दी है। ये आर्थिक तथा राजनीतिक कारण केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का

आधार है। राज्य सरकारें अधिक अधिकारों की मांग कर रही है और केन्द्रीय सरकार भी अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे राज्य सरकारों की शक्तियां छीनती जा रही है। उदाहरण के लिए गत सांकेतिक हड़ताल के दौरान एक अध्यादेश जारी किया गया। सभी राज्य सरकारों को कुछ निदेशों पर अमल करने के लिये कहा गया। परन्तु केरल सरकार ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। इस अध्यादेश के अन्तर्गत गृह मंत्री श्री चह्वाण ने राज्यों को हड़ताल को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। परन्तु केरल के मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया है कि जब केन्द्रीय गृह मंत्री को अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है तो राज्य के मुख्य मंत्री को भी हड़ताल को बढ़ावा देने वाले किसी नेता को गिरफ्तार न करने का स्वविवेक प्राप्त है।

एक और कारण है। केरल सरकार का राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम से भिन्न है। केन्द्रीय सरकार देश में श्रमिक आन्दोलनों को दबा रही है और केरल की सरकार उनका समर्थन कर रही है।

हमारी राज्य सरकार ने श्रमिक विवादों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है। चूंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल मुख्य रूप से एक श्रमिक विवाद था इसलिए हमारी राज्य सरकार को तो भिन्न दृष्टिकोण अपनाना ही था क्योंकि उनका राजनीतिक कार्यक्रम जो भिन्न है। इसलिये केन्द्रीय मंत्री यह आशा कैसे करते हैं कि केरल राज्य सरकार उनकी श्रमिक वर्ग विरोधी नीति का समर्थन करेगी ?

अब मैं केन्द्रीय सरकार और विशेषकर हमारे विधि मंत्री के केरल राज्य सरकार के प्रति रवैये के प्रश्न पर आता हूं। चूंकि वे केरल से कांग्रेस के एकमात्र संसद सदस्य हैं इसलिए उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिया गया है। एक घटना के कारण विधि मंत्री को केरल का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने 'केरल कौमुदी' के अनुसार अपने एक भाषण में केरल सरकार को डाकुओं की सरकार की संज्ञा दी है।

श्री गोविन्द मेनन : यह गलत रिपोर्ट है। मैंने इसे नहीं देखा है।

श्री प० गोपालन : उन्होंने आगे कहा है कि लोगों को ऐसी सरकार का विरोध करना चाहिए और अपने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटानी चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : यह गलत है।

श्री प० गोपालन : वे इसे मान कैसे सकते हैं। केरल में कुछ वर्ष पहले हुए एक नाटक के वे एक लोकप्रिय नायक हैं जो "5½ लाख चीनी गोलमाल" के नाम से कुख्यात है। यदि श्री गोविन्द मेनन ने व्यक्तिगत रूप में ये बातें कही होतीं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। परन्तु मंत्री के रूप में इस प्रकार का प्रचार किये जाने पर हमें आश्चर्य है।

कांग्रेस वालों द्वारा 1959 में आरम्भ किए गए स्वाधीनता आन्दोलन में मेरे जिले में ही कितने साम्यवादी कांग्रेसी गुण्डों द्वारा मार दिये गये थे और कितनी बसें नष्ट कर दी गई थीं। आज वे ही लोग संविधान की पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मार्क्सवादियों तथा साम्यवादियों का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है और वे संविधान का सम्मान नहीं करते।

मैं विधि मंत्री से पूछता हूं कि क्या वे संविधान का आदर करते हैं? यदि ऐसा है तो फिर वे ये अवैध तरीके क्यों अपनाते हैं? ये तरीके नहीं चलेंगे। विधि मंत्री के लिए हमारे दिल में कोई सम्मान नहीं है और उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें अभी $1\frac{1}{2}$ घण्टा और लगेगा। मैं अब सभा को *स्थगित* करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 1968 /13 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 4, 1968/ Agrahayana 13, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 2-4-69—600